ईसीजीसी लिमिटेड
ECGC Limited

66 वीं वार्षिक रिपोर्ट
66TH ANNUAL REPORT
2023 - 2024

ईसीजीसी लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या.
	भाग अ	
1	निदेशक मण्डल	1
2	वरिष्ठ प्रबंधन	2
3	निष्पादन विशेषताए – पिछला दशक	4
4	अध्यक्ष का सम्बोधन (बैठक में प्रसारित किया जाएगा)	
5	निदेशकों की रिपोर्ट	6-89
6	प्रबंधन परिचर्चा एवं संचालन की समीक्षा	90-128
7	व्यापार प्रदर्शन रेखांकन	130-141
	भाग आ	
8	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण	
	वित्तीय विवरणों के लिए प्रमाण पत्र	144
	तुलन पत्र, राजस्व खाता एवं लाभ और हानी खाता	145-148
	वित्तीय विवरण की अनुसूचीया (अनुसूची 1 से 15 तक)	149-159
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16)	160-171
	लेखागात पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17)	172-198
	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात	195-196
	अर्जन एवं भुगतान खाता	199
9	वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन रिपोर्ट	201-203
10	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	205
11	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	207-225

भाग क

1. श्री सृष्टिराज अंबष्ठ
   कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ईसीजीसी लिमिटेड (दिनांक 01 नवंबर 2023 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त)
   (दिनांक 14 नवंबर 2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त)
2. श्री सुनील जोशी
   कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ईसीजीसी लिमिटेड (दिनांक 11 अगस्त 2023 से 31 अक्तूबर 2023 तक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त)
3. श्री एम सेंथिलनाथन ,अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड (31 जुलाई , 2023)
4. श्री सिद्धार्थ महाजन , भा प्र से, संयुक्त सचिव , वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार (16 अप्रैल 2024 से)
5. श्री विपुल बंसल , भा प्र से
   संयुक्त सचिव , वाणिज्य विभाग ,
   वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार (16 अप्रैल 2024 तक)
6. श्रीमती अपर्णा भाटिया , भा आ से
   आर्थिक सलाहकार , आर्थिक मामले विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
7. श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू
   कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
8. सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात – आयात बैंक
9. श्री रामस्वामी नारायण, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक , भारतीय साधारण बीमा निगम
10. श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भारतीय साधारण बीमा निगम (30 सितंबर 2023 तक)
11. श्री अश्विनी कुमार, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (07, मई 2024 से)
12. डॉ ए शक्तिवेल, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ(26 दिसंबर 2023 तक)
13. श्री अमित कुमार अग्रवाल
14. श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा
15. श्री पलानीअप्पन मुथु(15 जून , 2023 से)

कंपनी सचिव	श्रीमती स्मिता पंडित
बैंकर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व का कार्पोरेशन बैंक) आई डी बी आई बैंक
नियुक्त बीमांकिक	***श्रीमती प्रिसिला सिन्हा***

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

1. मेसर्स केबीडीएस एंड कंपनी
   सनदी लेखाकार ,
   फर्म पंजीकरण सं . 323288E
2. मेसर्स एम एल पूरी एंड कंपनी
   सनदी लेखाकार
   फर्म पंजीकरण सं. 002312N

पंजीकृत कार्यालय: ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069

वरिष्ठ प्रबंधन

कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री सृष्टिराज अंबष्ठ

कार्यपालक निदेशक

श्री सुबीर दास

महाप्रबंधक

1. **श्री परमदीप लाल ठाकुर**
2. **श्री ईशनाथ झा**
3. **श्रीमती स्मिता पंडित**
4. **श्री आनंद सिंह**
5. **श्री अभिषेक कुमार जैन**
6. **श्री गौरव अंशुमान**
7. **श्रीमती अर्पिता सेन**
8. **श्रीमती प्रिसिला सिन्हा**
9. **श्री सब्यासाची दा**

उपमहा प्रबन्धक	
1. **श्री बलबीर सिंह मान**	9. **श्री राहुल**
2. **श्री एन सुब्रमणियन**	10. **श्री सचिन खन्ना**
3. **श्री आर के पांडियन**	11. **श्री अमित कुमार**

4. **श्री कुमार अंशुमान**	12. **श्रीमती सिवासंकरी मुरूगन**
5. **श्री यशवंत ब्रीद**	13. **श्रीमती रचना बबेरवाल**
6. **श्री वाय सुधीर**	14. **श्री राजेश जोशी**
7.**श्री सुभाष चंद्र चाहर**	15. **ुश्री आरती पाण्डेय**
8. **श्री नीरज गुप्ता**	16. **श्री अमोघ दीपक जड़े**

निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(Rs. In Crores)

वर्ष / YEAR	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ / Short Term Policies	356867.00	321767.00	269272.00	241934.17	215021.77	198872.00	177349.00	172788.00	135871.97	133983.00
अल्पावधि ई सी आई बी / Short Term ECIB	373252.00	338984.00	345676.00	354200.12	341826.72	455267.00	456684.00	448604.00	127534.80	138555.00
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	4709.00	2851.00	3896.97	6667.25	4757.37	5787.00	7415.57	6027.26	5979.06	7652.00
कुल / Total	**734828.00**	**663602.00**	**618844.97**	**602801.54**	**561605.86**	**659926.00**	**641448.57**	**627419.26**	**269385.83**	**280190.00**
प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियां / Short Term Policies	572.02	540.22	485.45	429.99	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87
अल्पावधि ई सी आई बी / Short Term ECIB	657.47	632.50	600.84	603.78	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64	942.29
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	41.28	24.81	20.33	28.51	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24
कुल / Total	**1270.77**	**1197.53**	**1106.62**	**1062.28**	**1075.47**	**1247.54**	**1240.41**	**1267.62**	**1320.73**	**1362.40**
प्रदत्त दावें / CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियां / Short Term Policies	282.93	190.42	237.91	284.87	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98
अल्पावधि ई सी आई बी / Short Term ECIB	158.35	415.70	443.42	761.87	261.64	813.39	1131.47	655.50	995.52	462.85
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	9.03	156.93	5.87	-	-	31.79	14.99	22.99	-	-
कुल / Total	**450.31**	**763.05**	**687.20**	**1046.74**	**408.41**	**1013.31**	**1283.16**	**885.34**	**1122.84**	**589.83**
वित्तीय शुल्क, कों / RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियां / Short Term Policies	19.36	10.55	16.53	9.77	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61
अल्पावधि ई सी आई बी / Short Term ECIB	124.65	136.85	93.44	107.53	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	29.90	22.11	0.00	0.17	0.06	-	0.67	19.14	0.18	8.02
कुल / Total	**173.91**	**169.51**	**109.97**	**117.47**	**166.44**	**150.83**	**185.61**	**138.67**	**114.04**	**160.15**

नोट / Note:

* इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संक्षारित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के ल;ईईए निर्धारित औसत हानी सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य हैं।

** कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो. मू. सकल हानी सीमा(ए एल एल) का बीआईएस गुना लिया गया हैं क्योंकि ए एल एल से निर्यात पण्यावर्त अनुपात 5% तक होता हैं जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता हैं। जो. मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01/04/2017 से प्रभावी हैं। विवरण कों तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष 01/04/2016 से 31/03/2017 तक के आकड़ों की पुनर्गणना की गई हैं।

*** वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया कों दर्शाता हैं।

**** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात रिन एवं चार के कारक से गुणन किया गया हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

Directors' Report

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक, दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी की 66वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय विशेषताएँ

समीक्षाधीन अवधि हेतु हमारी कंपनी की वित्तीय विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
पण्यावर्त (सकल प्रीमियम)	1270.77	1197.53
वित्तीय प्रभार, कर, मूल्यह्रास / परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीआईटीडीए)	2870.55	2770.49
घटाएं : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास / परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीटीडीए)	2870.55	2770.49
घटाएं : मूल्यह्रास	11.60	9.32
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	2858.95	2761.17
कराधान हेतु प्रावधान	699.90	596.92
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	2159.05	2164.25

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹763.05 करोड़ की तुलना में कम्पनी द्वारा कुल ₹450.31 करोड़ के दावों की अदायगी की गई। पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्सेदारी, वसूलियों एवं प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹(974.47) करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर ₹(702.92) करोड़ हो गए है। निवेश एवं अन्य आय, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1139.61 करोड़ की तुलना में बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 5.73% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए ₹1204.89 करोड़ हुई हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान ₹1197.53 करोड़ की तुलना में कंपनी द्वारा 6.12% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1270.77 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जित किया गया। पुनर्बीमा रियायत तथा असमाप्त जोखिमों हेतु प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2023-24, के दौरान अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) के आंकड़े पिछले वर्ष के ₹938.72 करोड़ की तुलना में 15.02% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1079.76 करोड़ रहे।

लाभ तथा विनियोजन

वित्तीय वर्ष 2023-24, के दौरान परिचालनों से कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1507.70 करोड़ की तुलना में कुल ₹1549.75 करोड़ रही । वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के ₹2215.33 करोड़ की तुलना में, ₹2162.01 करोड़ का लाभ दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24, के दौरान पिछले वर्ष के ₹2761.17 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में ₹2858.95 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पी बी टी) रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹699.90 करोड़ रु के आय कर तथा पूर्व अवधि समायोजन के प्रावधान करने के उपरांत विनियोजन हेतु उपलब्ध करोत्तर लाभ (पी ए टी) पिछले वित्तीय वर्ष के ₹2164.25 करोड़ की तुलना में ₹2159.05 करोड़ रहा।

लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक ₹100 के 43,38,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के पूर्ण एवं अंतिम लाभांश के रूप में ₹433.80 करोड़ की राशि की सहर्ष सिफारिश की जाती है। ₹433.80 करोड़ की कुल लाभांश राशि ₹2159.05 करोड़ के पी ए टी के 20.04% के चुकता अनुपात को दर्शाती है।

प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 16 मई 2024 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 446$^{वीं}$ बैठक में ₹1725.25 करोड़ की राशि को सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरित करना प्रस्तावित हैं।

अदावीत लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतरण करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावीत लाभांश घोषित व प्रदत्त नहीं किया गया, अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2024, तक कंपनी का निवल मालकियत ₹11841.89 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹10116.64 करोड़) रही, जिसमें ₹4338 करोड़ की चुकता पूंजी व ₹7503.89 करोड़ की प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष शामिल हैं ।

प्रतिभूतियों की पुनः खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपनी किसी भी प्रतिभूति की पुनः खरीद नहीं की गई है।

स्वेट इक्विटी शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार की स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया गया।

बोनस शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया।

कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी द्वारा कार्मिकों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की गई है।

कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के बहिर्नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शोधक्षमता मार्जिन

दिनांक 31 मार्च, 2024 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्रधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 47.87 गुना रहा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन(आर.एस.एम.) (₹ करोड़ में)	235.92	195.98
उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए.एस.एम.) (₹ करोड़ में)	11292.75	9394.14
शोधक्षमता अनुपात (कुल ए.एस.एम. / आर.एस.एम.)	47.87	47.93

अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है, जिसके अंतर्गत किसी कम्पनी द्वारा भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत, बीमांकन किया जा सकता है, को भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं के-11015/2/2021-ई एंड एमडीए-डीओसी, दिनांक 9 मार्च, 2022 के अनुसार

दिनांक 31 मार्च 2023 तक कम्पनी की अधिकतम देयता को ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ा कर ₹1,50,000 किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2024 को अधिकतम देयता ₹ 1,18,010.21 करोड़ रही।

नये उत्पादों का परिचय

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने 'एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स (फैक्टर रिस्क) इंश्योरेंस कवर इन फॉरेन करेंसी (ईआरआईसी-एफसी)' नाम से एक नया उत्पाद प्रस्तुत किया, जो फैक्टरिंग कंपनियों को उस हानी से सुरक्षा प्रदान करता है, जो बिलों के फैक्टरिंग की स्थिति में हो सकते हैं। विदेशी खरीदार के जोखिम अथवा राजनीतिक जोखिमों के कारण वे अप्राप्त रह गए थे। कंपनी द्वारा 'पोत्तलदान-पूर्व जोखिम का ऐड-ऑन रक्षा' भी प्रस्तुत किया गया है, जो निर्यातकों को विदेशी खरीदार के दिवालिया होने अथवा राजनीतिक जोखिमों के कारण पोत्तलदान-पूर्व चरण में होने वाले हानी हेतु सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, अतिरिक्त जोखिम शमन उपायों को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों के लिए घरेलू ऋण बीमा पॉलिसी (डी सी आई पी) को पुनः प्रस्तुत किया गया, जो निर्यातकों को उनकी घरेलू बिक्री के लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है।

निवेश

कंपनी के निवेश आईआरडीएआई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रबंधन व्यय

प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रबंधन व्यय आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित मानदंड 29.68% (पिछले वित्तीय वर्ष 27.90%) के अंतर्गत रहा।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

भारत सरकार (भा स) द्वारा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं हेतु ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना की गई है। दिनांक 31.03.2024

तक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹4,741 करोड़ रहा। ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण योजना के अधीन घाना, श्रीलंका, सूरीनाम तथा जाम्बिया को प्रदत्त सुविधाओं के अधीन भारतीय एक्ज़िम बैंक के ₹1,907.80 करोड़ रुपये के नौं दावों का निपटान किया गया। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹80,000 करोड़ है, जिसकी 25% राशि यथा ₹20,000 कंपनी द्वारा जारी मध्यम व दीर्घावधि रक्षाओं (एम एल टी) के समर्थन हेतु निर्धारित की गई है। 54 देशों में ₹43,571 करोड़ के कुल मूल्य की 213 परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किए जाने वाले 331 रक्षाओं के संबंध में ₹14,153.77 करोड़ के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000 करोड़ में से शेष 75% राशि यथा ₹60,000 करोड़ खरीदार ऋण व्यवस्था (बीसी) - एनईआईए हेतु निर्धारित की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2024, तक, ट्रस्ट द्वारा कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मोज़ाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया एवं ज़िम्बाब्वे देशों में ₹18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए ₹25,091 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 28 खरीदार ऋण रक्षाएं जारी की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकार किए गए दावों एवं ट्रस्ट द्वारा जारी/समर्थित रक्षाओं के अधीन रिपोर्ट की गई चूकों के लिए किए गए प्रावधानों को देखते हुए, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बीमांकन हेतु उपलब्ध कॉर्पस शून्य है। भारत सरकार ट्रस्ट की एकमात्र निपटानकर्ता एवं ईसीजीसी प्रबंध एजेंसी है।

निदेशक मण्डल

ईसीजीसी भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन जैसे सामान्य अधिकार से सम्बंधित सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दो पूर्णकालिक निदेशक अर्थात श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं दो अंशकालिक निदेशक अर्थात् श्री देवेश श्रीवास्तव, भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल कंपनी के निदेशक नहीं रहे। श्री रामास्वामी नारायणन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम एवं श्री पलानीअप्पन मुथु, स्वतंत्र निदेशक को अंशकालिक निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस, संयुक्त सचिव को श्री विपुल बंसल, आईएएस, संयुक्त सचिव के स्थान पर दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से प्रभावी एक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है एवं श्री अश्विनी कुमार, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिनांक 07 मई 2024 से प्रभावी, एक गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट की तारीख तक, बोर्ड में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पद एवं अंशकालिक निदेशकों के तेरह पदों में से चार पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के साथ जारी है।

ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ को दिनांक 01 नवंबर, 2023 से प्रभावी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें दिनांक 14 नवंबर, 2023 से कार्यपालक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक को पुनर्निर्वाचित/पुनः नियुक्त नहीं किया गया हैं।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की पॉलिसी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) एवं (4) के प्रावधान, निदेशकों की नियुक्ति/निष्कासन, योग्यता निर्धारित करने, निदेशकों की सकारात्मक विशेषताओं तथा

स्वतंत्रता हेतु मानदंड तैयार करने एवं पॉलिसी की सिफारिश करने से संबंधित हैं। निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं कंपनी के अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक तथा पारिश्रमिक हेतु पॉलिसी तैयार करने में अन्य विचार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं इसलिए कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, भुगतान से संबंधित कोई पॉलिसी तैयार नहीं की गई है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक, निदेशक योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामले शामिल हैं। कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय एक ही व्यक्ति द्वारा परिचालित किया जाता है), एवं नियुक्त कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालित) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक को राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन एवं/अथवा भत्ते प्राप्त होंगे।

वार्षिक प्रतिफल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक प्रतिफल के उद्धरण कंपनी के वेबसाइट (www.ecgc.in) कंपनी शासन अनुभाग के अधीन उपलब्ध हैं।

स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक की घोषणाएँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पब्लिक लिमिटेड कंपनी लागू स्वतंत्र निदेशक (कों) एवं महिला निदेशक (कों) की नियुक्ति से संबंधित, धारा 149 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की छह बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

क्र सं .	निदेशक का नाम
1.	श्री रामास्वामी नारायणन (दिनांक 30/10/2023 से सदस्य के रूप में एवं दिनांक 09/11/2023 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)

2.	श्री सिद्धार्थ महाजन (दिनांक 16/04/2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू (दिनांक 10/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	सुश्री हर्षा बंगारी (दिनांक 23/09/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	श्री अश्वनी कुमार (दिनांक 07/05/2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
7.	श्री विपुल बंसल (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 16/04/2024 से सदस्य नहीं रहें)
8.	डॉ. ए. शक्तिवेल (दिनांक 09/08/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 26/12/2023 से सदस्य नहीं रहें)
9.	श्री देवेश श्रीवास्तव (दिनांक 21/01/2020 से सदस्य के रूप में एवं दिनांक 15/07/2021 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त) (दिनांक 30/09/2023 से सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं रहें)

स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री रामास्वामी नारायणन की अध्यक्षता वाली लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना में स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, सुश्री हर्षा बंगारी एवं श्री अश्विनी कुमार शामिल हैं, जो बहुमत का सृजन करते हैं।

कंपनी द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है एवं लेखा परीक्षा समिति के जरिए कार्मिकों एवं अन्य निदेशकों द्वारा व्यक्त की गई वास्तविक मामलों की निगरानी की जाती है। कंपनी द्वारा अपने विचार व्यक्त करने वाले कार्मिकों एवं निदेशकों को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं। कंपनी द्वारा कार्मिकों एवं कंपनी के

हितों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट करने हेतु कार्मिकों को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष का संपर्क विवरण भी प्रदान किया गया है।

<u>वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सतर्कता मामलों के विवरण</u>

दिनांक 01.04.2023 तक आरंभिक शेष	दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 की अवधि के दौरान प्राप्त सतर्कता मामले	निपटान किए गए मामले	शेष
00	09	06	03

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा न तो कोई जमा स्वीकार किया तथा न ही उसका नवीनीकरण किया गया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अधीन आरंभ की गई कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अधीन कंपनी के खिलाफ न तो कोई आवेदन किया गया है एवं न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण ग्रहण करते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर का कारण सहित विवरण

लागू नहीं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप, कंपनी के पास यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने हेतु एक पॉलिसी मौजूद है। सभी कार्मिक पॉलिसी के अंतर्गत रक्षित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की गई थी एवं कंपनी द्वारा उसका निपटान किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक निवारण हेतु कोई शिकायत लंबित नहीं है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय मापदंडों के मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी के निष्पादन को वित्तीय वर्ष 2019-20 में "अच्छा", वित्तीय वर्ष 2020-21 में "बहुत अच्छा", वित्तीय वर्ष 2021-22 में "उत्कृष्ट" एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में "बहुत अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कंपनी के निष्पादन को "उत्कृष्ट" रेटिंग दिए जाने की संभावना है। इन मापदंडों के अंतर्गत कंपनी द्वारा लक्ष्य एवं अनुमानित उपलब्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु एमओयू मापदंडों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमान के आधार पर समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अंतर्गत निष्पादन

क्र सं	मानदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	परिचालनों से प्राप्त राजस्व (राजस्व खाते से प्राप्त कुल आय)	करोड़ रु में	1843	1549.75
2	शामिल किए गए नए खरीदार	संख्या	21803	23221
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	60.40	125.65

	(पीबीटी + मूल्यह्रास) / (राजस्व खाते से कुल आय + लाभ एवं हानि खाते से आय) *100			
4	शुद्ध मालियत पर अर्जन (पी ए टी / औसत शुद्ध आय * 100)	%	12.32	19.66
5	आस्ति पण्यावर्त अनुपात (राजस्व खाते से कुल आय + लाभ व हानि खाते से आय)/कुल संपत्ति *100	%	13.59	11.79
6	कुल खरीद के % के रूप में जेम से खरीद	%	100	100
7	प्रति शेयर आय (पी ए टी/भारित औसत शेयरों की संख्या)	Rs.	24.43	49.77

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा आठ 'अनुपालन मापदंडों' में से छह का अनुपालन भी किया गया है। गैर-अनुपालित पैरामीटर निम्नानुसार हैं:

1. वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में एससी/एसटी एमएसई के माध्यम से वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद -4 %।
2. डीपीई ओएम संख्या डीपीई-7(4)/2007-फिन, दिनांक 04-05-2020 में उल्लिखित टीआरईडीएस(TReDS) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति`

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खातों एवं उस पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, दिनांक 20 दिसंबर, 2023 एवं दिनांक 09 फरवरी, 2024 को क्रमशः, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

कार्मिक विवरण

पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं	कार्मिक का नाम / विवरण	सुश्री प्रिसिला सिन्हा	श्री सब्यसाची दास	श्री अमोघ डी ज़ादे
1.	कार्मिक का पदनाम	नियुक्त बीमांकिक	मुख्य तकनीकी अधिकारी	उप मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
2.	प्राप्त प्रारिश्रमिक	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,07,38,456	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹39,14,840	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹16,05,218.97
3.	रोजगार की प्रकृति, संविदात्मक अथव अन्यथ	नियुक्ति एक निश्चित अवधि के आधार पर संविदात्मक है।	नियुक्ति एक निश्चित अवधि के आधार पर संविदात्मक है।	नियुक्ति एक निश्चित अवधि के आधार पर संविदात्मक है।
4.	योग्यत	फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया बीमांकिक तकनीक में डिप्लोमा, बीमांकिक संस्थान, यूके	एग्जी. मास्टर – इंटरनेशनल बिजनेस, एमएससी. सॉफ्टवेयर सिस्टम, एएमआईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	एम.एससी., सॉफ्टवेयर सिस्टम, बी.ई. इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स
5.	रोजगार के आरंभ की तिथि	18.04.2019	25.09.2023	07.12.2023
6.	कार्मिक की आयु	57	52	42
7.	कंपनी में शामिल होने से पूर्व ऐसे कार्मिक का अंतिम रोजगार	जी आई सी रे	अल तायेर ग्रुप एलएलसी, यू ए ई	रिज़र्व बैंक आईटी प्रा. लिमिटेड
8.	उपरोक्त उप-नियम (2) के खंड (iii) के अर्थ के अंतर्गत कंपनी में कार्मिक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	शून्य .	शून्य .	शून्य .
9.	क्या इस प्रकार क कोई कार्मिक कंपनी के किसी	नही	नही	नही

	निदेशक अथवा प्रबंधक का रिश्तेदार है तथा यदि ऐसा है तो ऐसे निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम:			

ग्राहक सेवा तंत्र

कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु मुंबई में स्थित प्रधान कार्यालय में एक ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना की गई है एवं इसके प्रमुख एक महाप्रबंधक हैं। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी कंपनी के वेबसाइट पर दर्शाई गई है। पॉलिसी के अनुसार, यदि पूर्व निर्णय को दोहराया जाना है तो किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की उच्च प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से तीन बार विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा मामलों का निपटान किया जा रहा है, तत्पश्चात मामलों को स्वतंत्र समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। शिकायतों के निवारण के लिए टर्नअराउंड समय को कम करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनी ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी तंत्र को पूर्व के पाँच स्तरीय से चार- स्तरीय बनाने हेतु संशोधित किया गया। प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों वाली शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (एसीजीसी), द्वारा कंपनी के विरुद्ध किसी भी ग्राहक शिकायत के लिए सर्वोच्च इन-हाउस अपीलीय प्राधिकरण है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समिति द्वारा उन्नीस बैठकें आयोजित की गई एवं 59 मामलों का निपटान किया गया। कंपनी की चार सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (आईआरसी) है, जिसमें न्यायपालिका, बैंकिंग, विदेश व्यापार एवं ऋण बीमा तथा सिविल सेवा के क्षेत्र के बाह्य विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसकी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पाँच बैठकें हुई एवं एसीजीसी द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में निर्यातक ग्राहकों की शिकायतों से संबंधित 23 मामलों का निपटान किया गया है। कंपनी आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल से जुड़ी हुई है, जहां ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर सकते हैं एवं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पॉलिसीधारकों के पास अब बीमा भरोसा पोर्टल अथवा कंपनी की वेबसाइट के जरिए अपनी संबंधित शिकायतों को दर्ज करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) द्वारा संचालित शिकायत निवारण प्रणाली से भी जुड़ी हुई हैं।

ऊर्जा संरक्षण , तकनीक समावेशन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित, कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट कार्यालय ईसीजीसी भवन अंधेरी (पूर्व), मुंबई के लिए महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। कंपनी द्वारा ईसीजीसी भवन के लिए निम्नलिखित पहल की गई है:

(क) प्रकाश के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए कार्यालय में पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश का प्रावधान

(ख) कार्यस्थल के प्रमुख भागों में मोशन सेंसिंग लाइटें

(ग) लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करने हेतु निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं

इसके अतिरिक्त, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एफिशियन्सी सर्विसिस लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रिकल वाहन (ईवी) की खरीद भी की गई है। कंपनी की प्रस्तुतियों के आधार पर, इसे ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम प्रमाणीकरण स्थापित की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए फरवरी, 2024 माह में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एवं ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक द्वारा प्रतिष्ठित 'गोल्ड सर्टिफिकेट' से सम्मानित किया गया है, जिसे 'लीड्स सर्टिफिकेट' कहा जाता है।

साथ ही, कंपनी द्वारा ईसीजीसी भवन में 50 किलोवाट क्षमता के 'रूफ टॉप सोलर' पैनल की स्थापना के लिए पहल की गई हैं।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा आय ₹3.26 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹30.83 करोड़) रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय ₹2.15 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2.19 करोड़) रहा।

क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष के दौरान, बीमा उद्योग एवं बीमा से जुड़ी प्रतिभूतियों में विशेषज्ञता वाली वैश्विक क्रेडिट एजेंसी एएम बेस्ट द्वारा कंपनी को एफ एस आर (वित्तीय सशक्ता रेटिंग) में बी++, आई सी आर (जारीकर्ता ऋण रेटिंग) में बीबीबी+ एवं एन एस आर (नेशनल स्केल रेटिंग) मापदंडों में एएए.आईएन रेटिंग प्रदान की गई।

नियुक्त बीमांकिक

दिनांक 18.04.2019 से प्रभावी भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुमोदन से कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर एक पूर्णकालिक बीमांकक की नियुक्ति की गई।

बीमांकिक विभाग

वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अलग "बीमांकिक विभाग" स्थापित किया गया। यह विभाग द्वारा मुख्य रूप से परिभाषित नियामक जिम्मेदारियों के निर्वहन में नियुक्त बीमांकिक का सहायता की जाती है।

विभाग एक पूर्णकालिक नियुक्त बीमांकक की निगरानी में कार्य करता है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा "आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम" के अनुसार कार्य किया जाता है।

बीमांकिक विभाग व्यय किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) दावों एवं व्यय किए गए लेकिन पर्याप्त नहीं रिपोर्ट किए गए (आईबीएनईआर) दावों तथा प्रीमियम न्यूनता रिजर्व (पीडीआर) सहित अन्य आरक्षित दावों जैसे दावों के आकलन में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, विभाग बीमा नियामक (आईआरडीएआई) को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित बीमांकिक रिपोर्ट एवं फॉर्म तैयार करता है, अर्थात् आई बी एन आर रिपोर्ट, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर), आर्थिक पूंजी विवरण, उत्पाद निष्पादन रिपोर्ट एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन विवरण।

विभाग की अन्य गतिविधियों में उत्पाद डिजाइन, मूल्य निर्धारण एवं सॉल्वेंसी मूल्यांकन के लिए डोमेन विभागों को समर्थन किया जाना शामिल है। बीमांकिक विभाग द्वारा, आईआरडीएआई को विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में डोमेन विभागों की सहायता भी की जाती है। निर्णय लेने के उद्देश्य से व्यावसायिक निष्पादन, अनुभव अध्ययन आदि पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान की जाती है। नियुक्त बीमांकक (एए) की रिपोर्ट एवं टिप्पणियाँ कंपनी की समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में योगदान प्रदान करती हैं।

वैधानिक लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं शाखा लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 21 सितंबर, 2023 के पत्र के जरिए वित्तीय वर्ष (वि व) 2023- के लिए कंपनी के खातों के लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया

गया था, जिसे दिनांक 09 नवंबर, 2023 को हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया तथा भारत के महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा सिफ़ारिश के अनुसार लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। शेयरधारकों द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 को आयोजित 65वें वार्षिक साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव के जरिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया जिसकी सिफ़ारिश के अनुसार वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण एवं अनुमोदन के लिए प्राधिकृत किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों से आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा उसके कारोबार एवं परिचालनों के आकार के आधार पर समवर्ती लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा निवेश संव्यवहार एवं संबंधित प्रणालियों की लेखापरीक्षा हेतु प्रक्रियातंत्र का निर्धारण किया गया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय तथा कंपनी की विभिन्न शाखाओं में प्रक्रियाओं के साथ-साथ समव्यवहारों की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। लेखा परीक्षाक रिपोर्ट कंपनी के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखाओं में प्रक्रियाओं के साथ-साथ संव्यवहार को भी रक्षा प्रदान करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय खातों एवं समेकित खातों का लेखा परीक्षा करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स केबीडीएस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 323288ई एवं मेसर्स एम.एल पुरी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्य 002312एन, नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां

सी एंड ए जी की टिप्पणियाँ निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा होंगी।

कंपनी शासन

कंपनी के कंपनी शासन दर्शन का उद्देश्य ससमय सभी प्रासंगिक वैधानिक एवं विनियामक मानदंडों का अनुपालन करना है, साथ ही कंपनी शासन प्रथाओं को सृजित कर उनका अनुपालन करना है। कंपनी शासन पर रागिनी चोकशी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ सी एस 2390, सीओपी 1436) के प्रमाणपत्र के साथ एक विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट संलग्न है तथा जो निदेशकों की रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है **(अनुलग्नक I)**।

सचिवीय लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रागिनी चोकसी एंड कंपनी, सचिवीय लेखा परीक्षक (एफ सी एस 2390, सी ओ पी 1436) से प्राप्त कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म नंबर एम आर - 3) **अनुलग्नक II** में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यत निर्धारित नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष, जिससे ये वित्तीय विवरण संबंधित हैं, के अंत एवं रिपोर्ट की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता, यदि कोई हो,

शून्य

कंपनी की जोखिम प्रबंधन पॉलिसी को विकसित करने एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में विवरण

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार से जुड़ी हुई है एवं यह आईआरडीएआई में एक गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम इसके कारोबार की प्रकृति में निहित हैं। कंपनी द्वारा अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के जरिए एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली स्थापित करने एवं कंपनी के जोखिम प्रोफ़ाइल को विनियमित करने के लिए अपनी जोखिम प्रबंधन पॉलिसी की समीक्षा की गई है। कंपनी, जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, अपने कारोबार में विवेकपूर्ण सीमाओं के लिए जोखिम

मानदंडों को लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमाओं हेतु जोखिम मानदंडों का कार्यान्वयन एवं उसके प्रभावों की निगरानी की जाती है। कंपनी का एक निवेश पोर्टफोलियो है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों के निधि शामिल हैं। उद्योगों एवं प्रतिभूतियों में निवेश कर निवेश जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है ताकि निवेश पर अधिकतम उपार्जन के साथ चल निधि संबंधी जोखिम की न्यूनता को सुनिश्चित किया जा सके एवं इसकी निगरानी निदेशक मंडल की निवेश समिति द्वारा की जाती है। कंपनी द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति – देयता प्रबंधन (एएलएम) पॉलिसी का भी अनुपालन किया जाता है। निदेशक मंडल के जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को तिमाही आधार पर कंपनी की आस्ति – देयता प्रबंधन (एएलएम) स्थिति की सूचना प्रदान की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने जोखिम प्रबंधन कार्यों को और अधिक गतिशील बनाने हेतु इसे और उत्कृष्ठ बनाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। बाह्य सलाहकारों की सहायता से, कंपनी द्वारा अपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया एवं अपनी परिचालन एवं गैर-परिचालन इकाइयों से जुड़े जोखिमों की समय-समय पर निगरानी तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न उपकरण विकसित किए गए। कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यों को उत्कृष्ठ बनाने के लिए विकसित किए गए उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कृपया **अनुलग्नक III** का संदर्भ लें।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अधीन ग्रहण किए गए ऋणों, प्रदत्त गारंटियों अथवा किए गए निवेशों के विवरण

शून्य

संबंधित पार्टियों के साथ की गई संविदाओं अथवा समझौतों के विवरण

व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा समव्यहार का ब्यौरा:

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा गठित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी द्वारा ट्रस्ट का संचालन किया जाता है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अ प्र नि) ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तथा

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) प्रबंध ट्रस्टी हैं। प्रशासनिक व्ययों के वहन हेतु ईसीजीसी प्रीमियम आय के 5% अंश हेतु पात्र है। ईसीजीसी द्वारा वर्ष 2006 से ट्रस्ट की प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है।

ईसीजीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक श्री अमित कुमार अग्रवाल, जो ईसीजीसी में पॉलिसी धारक है, मेसर्स कुमार इंटरनेशनल में भी भागीदार हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी के साथ किए गए अनुबंध/व्यवस्था के विवरण के साथ एओसी-2 फॉर्म **अनुलग्नक VIII** में प्रस्तुत है।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में**,** निदेशक द्वारा निदेशकों के दायित्व विवरण को स्वीकार करते हैं एवं उसकी पुष्टि करते हैं कि -

(क) कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निकासी से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो तो, के साथ वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया एवं उन्हें लगातार लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए थे जो उचित तथा विवेकपूर्ण थे ताकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति एवं दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का सटीक एवं निष्पक्ष राय प्रदान किया जा सके;

(ग) निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उन्हें चिन्हित किए जाने हेतु पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है;

(घ) निदेशकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर लेखा विवरण तैयार किए गए;

(ङ) निदेशकों द्वारा कंपनी द्वारा अनुपालन योग्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं एवं यह की इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी हैं तथा;

(च) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणाली तैयार की गई है तथा इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी हैं।

आभार प्रकट

निदेशक मंडल द्वारा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय; आर्थिक मामला विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय मंत्रालय; विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई); भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग एवं विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों के कार्यालयों को कंपनी के लिए उनके निरंतर समर्थन तथा मार्गदर्शन तथा कंपनी के मामलों एवं विकास में प्रदर्शित गहन रुचि के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। निदेशक, निर्यातकों, बैंकों एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के कंपनी में उनके निरंतर विश्वास के लिए आभारी हैं। निदेशक मण्डल द्वारा रेटिंग एजेंसियों तथा ऋण वसूलीकर्ता एजेंटों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन एवं वसूली के प्रयासों में योगदान दिया है। निदेशक मण्डल द्वारा भारतीय निर्यात संगठन महासंघ , विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संगठनों, वाणिज्य मंडलों, व्यापार संगठनों एवं बीमा मध्यस्थों से प्राप्त प्रतिक्रिया एवं समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। निदेशक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षकों को समय-समय पर प्राप्त उनके मूल्यवान सलाह एवं सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी के सभी कार्मिकों की सराहना की जाती है, जो लगातार उत्कृष्ट समर्पण एवं प्रतिबद्धता का निष्पादन कर रहे हैं जिसके कारण कंपनी अपने कारोबार संचालन में बाजार नेतृत्व को बनाए रखने में सफल रही है।

कृते, निदेशक मण्डल

सृष्टिराज अम्बष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले/अध्यक्ष
सह प्रबंध निदेशक
(**अतिरिक्त प्रभार**)

डीआईएन 10375617

स्थान : मुंबई

दिनांक: 16 मई, 2024

अनुलग्नक I

कम्पनी शासन

कम्पनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सटिक एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रही है। सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक तथा नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए सृजित की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24, में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23, में डी पी ई कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु "उत्कृष्ट" ग्रेड प्रदान की गई है, यह कंपनी शासन के उच्चतम मानकों एवं उत्तम प्रथाओ को दर्शाती है।

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल रणनीतियां एवं नीतियां का निर्माण करता है तथा सावधिक रूप से कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करता है। कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो एवं वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक

निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालन) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, निदेशक मंडल में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

निदेशक मण्डल में कार्यपालक/कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों का सर्वोत्तम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने निदेशक मंडल को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उनके कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को पूर्ण किया गया है।

निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कम्पनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण (आर पी टी) पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बन्धित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं / अथवा निदेशक मंडल के ध्यानार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। निदेशक मंडल के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (के एम पी) द्वारा किसी भी संविदा में, जिससे वह सम्बंधित हैं, अपने हित का प्रकटन आवश्यक है।

निदेशक मण्डल द्वारा जोखिम प्रबंधन योजना की सावधिक पुनरीक्षा तथा इसके कार्यान्वयन हेतु प्रतिकारक कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणीयाँ, जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया गया है,

जिसका विवरण **तालिका 1** में निम्नानुसार है :

तालिका 1

क्र. सं.	**निदेशकों के नाम**	**शैक्षणिक योग्यता**	**निदेशक मंडल में नियुक्ति की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)**	**श्रेणी**
1.	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड	एम.ए , एम बी ए, मा सं प्र में स्नातकोत्तर	14/11/2023 (दिनांक 01/11/2023 से अ प्र नि, अतिरिक्त प्रभार)	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
2.	श्री विपुल बंसल, भाप्रसे	बी.कॉम, सी ए	16/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया, आईईएस	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एम. फिल.	16/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्तीय मंत्रालय, भारत सरकार)
*4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, आर बी आई	एम.एस सी., सी ए आई आई बी	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*5.	सुश्री हर्षा बंगारी, एमडी, एक्ज़िम बैंक	बीकॉम, सी ए	23/09/2021	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

*6.	श्री रामास्वामी नारायणन अ प्र नि , जीआईसी रे	बीकॉम	30/10/2023	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*7.	श्री अमित कुमार अग्रवाल	वाणिज्य में स्नातकोत्तर	03/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*8.	श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	मानविकी में स्नातकोत्तर	11/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*9.	श्री पलानीअप्पन मुथु	बी ए .बी एल, डी फार्मा, एम एल	15/06/2023	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*10.	डॉ. ए. सक्तिवेल, अध्यक्ष, फियो	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	09/08/2021 (दिनांक 26/12/2023 से निदेशक नहीं रहें)	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
11.	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड	एम.एस सी. (भौतिक विज्ञान)	09/07/2020 (दिनांक 31/10/2023 से निदेशक नहीं रहें)	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
*12.	श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जीआईसी रे	एम.एस सी. (भौतिकी), पी जी डी बी एम	21/01/2020 (दिनांक 30/09/2023 से निदेशक नहीं रहें)	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
13.	श्री एम सेंथिलनाथन,	बी.एस सी., एम.बी ए.	30/12/2015	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)

	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड		दिनांक 29/04/2020 से प्रभावी स म प्र दिनांक 31/07/2023 से अध्यक्ष एवं निदेशक नहीं रहें)	

* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

नये निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

1. **श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ**

   श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, दिनांक 01.09.2023 से ईसीजीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक एवं दिनांक 01.11.2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में कार्यरत हैं। भारत की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी ईसीजीसी में उनका 28 साल का करियर, उत्पाद एवं पॉलिसी विकास, विपणन, लेखा परीक्ष से लेकर व्यवसायों की अल्पावधि एवं मध्यम तथा दीर्घावधि दोनों क्षेत्रों में अथव अनुपालन, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, हामीदारी प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एवं ईसीजीसी की नई पीढ़ी के सूचना प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ जैसे व्यापक क्षेत्र तक फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख के रूप में, वे विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर ईसीजीसी की ओर से वार्तालाप के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है। वे कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता रहे हैं।

   वे कंपनी के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक होने के साथ-साथ परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के प्रबंध ट्रस्टी भी हैं। वे भारतीय एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में निदेशक हैं।

उन्होंने 2020 से 2023 की अवधि के दौरान ईसीजीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य किया है। सीवीओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उनके द्वारा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कई पहल की गई हैं।

उनके पास राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि सहित मार्केटिंग में एमबीए तथा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की व्यावसायिक योग्यता है।

वे दिनांक 14 नवंबर, 2023 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक हैं।

2. **श्री सिद्धार्थ महाजन**, **आईएएस**

श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अपने दो दशक के शानदार करियर के दौरान, उन्होंने राजस्थान सरकार में निवेश प्रोत्साहन, योजना, स्थानीय स्वशासन, वित्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, पंचायती राज, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहें। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने कुछ समय के लिए लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

श्री महाजन ने जनवरी 2012 से विद्युत, वित्त, शहरी परिवहन, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और लघु उद्योग एवं स्वास्थ्य क्षेत्र अंतर्गत राजस्थान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में योगदान दिया। उनके पास क्रमशः वर्ष 2013 और 2014 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पावर फाइनेंस और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में सेवा का समृद्ध अनुभव है।

श्री महाजन वर्तमान में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में तैनात हैं एवं वित्त व्यापार, विदेश व्यापार (आसियान),निर्यात प्रोत्साहन (रत्न एवं आभूषण), किम्बर्ली प्रक्रिया, आसियान-भारत व्यापार वार्ता के साथ एक्ज़िम बैंक, विदेश व्यापार (दक्षिण एशिया/सार्क/ईरान) संविभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं।

श्री महाजन विधि एवं अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त हैं।

वे दिनांक 16 अप्रैल, 2024 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

3. श्री रामास्वामी नारायणन

श्री रामास्वामी नारायणन 1988 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में जीआईसी की सेवाओं में शामिल हुए और पिछले तीन दशकों से, वह जीआईसी के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में शामिल रहे हैं।

पुनर्बीमा कार्यों सहित उन्होंने सभी गैर-जीवन क्षेत्रों जैसे अग्नि, अभियांत्रिकी, विविध, मोटर, देयता, विमानन, समुद्री व कृषि एवं विश्व भर के अधिकांश क्षेत्रों में भी कार्यरत रहें है। भारतीय बीमा बाजार में कारोबार संविभाग में कार्यरत रहने के दौरान, उन्होंने तीव्र परिवर्तनशील गैर-टैरिफ पोर्टफोलियो से संबंधित कई चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें विभिन्न संधियों को उद्धृत करना एवं नेतृत्व करना और संविभाग की सुरक्षा के साथ-साथ पूंजी रियायत प्रदान करने के लिए ग्राहकों को आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधान भी प्रदान किया जाना है।

सीईओ, यूके के रूप में अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में, वह शाखा के परिचालन, जीआईसी (जीआईसी 1947) के नए स्थापित लॉयड्स सिंडिकेट को संभालने के साथ-साथ जीआईसी के कॉर्पोरेट सदस्य के रूप में भी कार्यरत रहे हैं।

प्रधान कार्यालय में पुनः वह महत्वाकांक्षी परियोजना 'प्रोजेक्ट परिवर्तन', मानव संसाधन की एक पहल, को लागू करने में कार्यरत रहे, जो कि भविष्य में जीआईसी में एक गेम चेंजर के रूप में साबित होगा।

वे दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

4. श्री अश्विनी कुमार, स्वतंत्र निदेशक

श्री अश्विनी कुमार, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफ़आईईओ) के अध्यक्ष हैं एवं दिनांक 13 जुलाई, 2023 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), जालंधर (एनआईटी जे टीबीआई) के शासी निकाय के सदस्य भी हैं। निर्यातकों के मामलों के दृढ़ समर्थक, श्री अश्विनी कुमार ने पहले 2022-2024 तक दो वर्षों की अवधि के लिए एफ़आईईओ (उत्तरी क्षेत्र) के सह-सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 2018-2020 एवं वर्ष 2021-2022 तक दो वर्षों की अवधि के लिए एफ़आईईओ (उत्तरी क्षेत्र) के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में एवं वर्ष 2014-2016 तक एफ़आईईओ की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में भी उन्हें चयनित किया गया ।

निर्यात में दशकों से अधिक के अनुभव के साथ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के एक दूरदर्शी लीडर के रूप में, उन्होंने व्यापार के विस्तार के लिए वर्ष 1979 से बड़े पैमाने पर यात्राएं की है तथा उन्होनें जालंधर फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्य, जालंधर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सोसायटी के सचिव एवं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), नई दिल्ली से संबद्ध जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई है।

श्री अश्विनी कुमार द्वारा निर्यात की वृद्धि हेतु अधिक योगदान किया गया है एवं एमएसएमई द्वारा निर्यात को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया गया है। वह इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ एसएमई ऑफ इंडिया, जालंधर चैप्टर के सक्रिय सदस्य हैं।

श्री कुमार विक्टर फोर्जिंग्स, जालंधर के प्रबंध भागीदार हैं।

श्री कुमार वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त हैं।

वे दिनांक 07 मई, 2024 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

5. श्री पलानीअप्पन मुथु

श्री पलानीअप्पन मुथु 25 वर्षों से अधिक समय से वकालत का कार्य कर रहे हैं।

वे वर्ष 1997 से तमिलनाडु बार काउंसिल के सदस्य हैं। उनकी वकालत पुदुक्कोट्टई, चेन्नई एवं मदुरै तक फैली हुई है।

उनकी शैक्षणिक योग्यता बीए, बीएल, डी.फार्मा एवं एम.एल. हैं।

वे दिनांक 15 जून, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 की अवधि के लिए ज़ेडआरयूसीसी दक्षिणी रेलवे में राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार परिषद (एनआरयूसीसी) के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है।

निदेशकों हेतु परिचय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम / विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों की सूची तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं। निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी के प्रबंधन समिति द्वारा, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, महत्वपूर्ण नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों/विभागों की जानकारी प्रदान की जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों/भारत सरकार, जैसे राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), भारतीय बीम

विनियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई), स्टेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ (स्कोप), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफैयर (आईआईसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न निदेशक मंडल संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

निदेशक मंडल/ समिति की बैठकों के दौरान कंपनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कंपनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से अवगत कराया जाता है।

समय-समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण की तिथियों पर निदेशकों के पूर्व-व्यवसाय/व्यस्त कार्यक्रम के कारण, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों के अतिरिक्त किसी भी निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका है:

क्रम संख्या	**प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण**	**नामित निदेशक**
1.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा 28-29 जुलाई, 2023 तक कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	श्री पलानीअप्पन मुथु
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा 27-28 नवंबर, 2023 तक गोवा में स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	श्री पलानीअप्पन मुथु
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा 06-07 जनवरी, 2024 एवं 13-14 जनवरी, 2024 तक निदेशकों के लिए	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

	मास्टरक्लास (वर्चुअल ट्रेनिंग) का आयोजन	
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा 12-14 जनवरी, 2024 तक मुंबई में निदेशकों के लिए मास्टरक्लास का आयोजन	श्री रामास्वामी नारायणन
5.	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों के लिए 19-20 जनवरी, 2024 तक गुवाहाटी, असम में अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6.	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 21-22 मार्च, 2024 तक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	(क) श्री अमित कुमार अग्रवाल (ख) श्रीमती प्रतिभा कुशवाह

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल को प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बार बैठकें इस प्रकार से आयोजित किए जाने की आवश्यकता होती है, जहाँ निदेशक मंडल की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिनों अथवा ऐसी विस्तारित अवधि से अधिक का अंतर नहीं हो। कंपनी सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा एवं एजेंडे पर नोट्स भेजती है, जो निदेशक मंडल की बैठक हेतु भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के अनुपालन में विस्तृत प्रकृति के होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा प्रदान करती है, जिससे आवश्यक होने पर वे निदेशक

मंडल/समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशकों के संघटन में परिवर्तन के कारण दिनांक 15/06/2023, 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 एवं 26/12/2023 को कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया। श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दिनांक 14 नवंबर, 2023 से निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित निदेशक मंडल की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई। निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण एवं बैठकों की तारीख का विवरण निम्न **तालिका 2** में प्रदान किया गया है**:**

तालिका 2

क्र सं	**बैठक संख्या**	**बैठक की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)**	**निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या**	**उपस्थित निदेशकों की संख्या**
1.	442	04/05/2023	10	9
2.	443	27/07/2023	11	10
3.	444	09/11/2023	9	5
4.	445	09/02/2024	9	6

निदेशक मंडल की बैठकों एवं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण क्रमशः **तालिका 3** एवं **तालिका 4** में प्रस्तुत है।

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

तालिका 3

निदेशकों के नाम	निदेशक पद की प्रकृति	निदेशक मंडल में पद	बैठक दिनांक 04/05/2023	बैठक दिनांक 27/07/2023	बैठक दिनांक 09/11/2023	बैठक दिनांक 09/02/2024
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ*	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) (14/11/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

श्री रामास्वामी नारायणन	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/10/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री अमित कुमार अग्रवाल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
पलानीअप्पन मुथु	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (15/06/2023 से)	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
डॉ ए शक्तिवेल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (26/12/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (31/10/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं

श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/09/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (31/07/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं

*दिनांक 01/11/2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

तालिका 4

निदेशक का नाम	**निदेशक पद की प्रकृति**	**निदेशक मंडल में पद**	**28 जुलाई, 2023 को आयोजित 65वीं वार्षिक साधारण बैठक**
श्री एम सेंथिलनाथन (31/07/2023 तक)	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)	उपस्थित
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ (14/11/2023 से नियुक्त)	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) (01/11/2023 से)	लागू नहीं
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित

श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
श्री रामास्वामी नारायणन (30/10/2023 से नियुक्त)	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
डॉ ए शक्तिवेल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
श्री अमित कुमार अग्रवाल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
पलानीअप्पन मुथु	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों का विवरण निम्न तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका 5

निदेशक का नाम	**अन्य धारित निदेशक पदों की संख्या***
श्री एम सेंथिलनाथन (31/07/2023 तक)	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ (14/11/2023 से नियुक्त)	0
श्री विपुल बंसल	2
श्रीमती अपर्णा भाटिया	0
श्री एस.सी. मुर्मू	0
सुश्री हर्षा बंगारी	0
श्री देवेश श्रीवास्तव (30/09/2023 तक)	4
श्री रामास्वामी नारायणन (30/10/2023 से नियुक्त)	2
डॉ ए शक्तिवेल (26/12/2023 तक)	5
श्री अमित कुमार अग्रवाल	0
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	0
पलानीअप्पन मुथु	0

(15/06/2023 से नियुक्त)	
श्री सुनील जोशी (31/10/2023 तक)	0

* निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कंपनियों में निदेशकों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक।

लेखा-परीक्षा समिति- संगठन एवं उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यों की निगरानी करना एवं उन्हें मार्गदर्शन करना है, अर्थात कंपनी के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण का पर्यवेक्षण करना तथा कंपनी के वैधानिक/बाह्य लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए मामलों पर की गई कार्रवाई का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 30/09/2023, 30/10/2023 एवं 26/12/2023 को किया गया। लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाना है। दिनांक 31/03/2024 तक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में पाँच गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं, जिनमें से दो सरकारी निदेशक एवं तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री रामास्वामी नारायणन, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 09 नवंबर, 2023 से लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बार बैठक हुई है। समिति की बैठकों की तिथि के साथ लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न **तालिका 6** में प्रस्तुत है:

तालिका 6

निदेशक का नाम	निदेशक पद की प्रकृति	समिति में पद	बैठक दिनांक 03/05/2023	बैठक दिनांक 25/07/2023	बैठक दिनांक 08/11/2023	बैठक दिनांक 07/02/2024
श्री रामास्वामी नारायणन	गैर-कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (09/11/2023 से), सदस्य (30/10/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
डॉ ए शक्तिवेल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (26/12/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं

श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (स्वतंत्र) (30/09/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं

निवेश समिति – गठन एवं उपस्थिति

निवेश समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेश परिचालन निवेश नीति और निवेश रणनीति के ढांचे के अनुरूप संचालित किए जाएं तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन दिनांक 07/06/2023, 08/06/2023, 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023 एवं 14/11/2023 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश समिति की चार बार बैठक हुई। श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दिनांक 14 नवंबर, 2023 से निवेश समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित निवेश समिति की सचिव हैं। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण तथा बैठकों की तिथि निम्न **तालिका 7** में प्रस्तुत है**:**

तालिका 7

निदेशक का नाम/ के एम पी	**निदेशक पद की प्रकृति / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति का पद**	**समिति में पद**	**बैठक दिनांक 03/05/2023**	**बैठक दिनांक 25/07/2023**	**बैठक दिनांक 08/11/2023**	**बैठक दिनांक 07/02/2024**

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) (14/11/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री रामास्वामी नारायणन	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/10/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री अभिषेक जैन	सी एफ़ ओ	सदस्य (07/06/2023 से)	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री गौरव अंशुमान	सी आर ओ	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित

		(02/11/2023 से)				
श्रीमती प्रिसिला सिन्हा	नियुक्त बीमांकिक	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री यशवंत ब्रीड	सी आई ओ	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री पी.एल.ठाकुर	सी आर ओ	सदस्य (08/06/2023 से) (02/11/2023 तक)	लागू नही .	उपस्थित	लागू नही .	लागू नही .
श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (31/10/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नही .	लागू नही .
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/09/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नही .	लागू नही .
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (31/07/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नही .	लागू नही .
श्री आनंद सिंह	सी आर ओ	सदस्य (08/06/2023 तक)	उपस्थित	लागू नही .	लागू नही .	लागू नही .
श्री ईश नाथ झा	सी एफ़ ओ	सदस्य	उपस्थित	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		(07/06/2023 तक)		.	.	.

सी आर ओ – मुख्य जोखिम अधिकारी, सी एफ ओ – मुख्य वित्तीय अधिकारी, सी आई ओ – मुख्य निवेश अधिकारी, के एम पी – मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति

पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति – गठन एवं उपस्थिति

'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति' का उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है, जिसके लिए विक्रय, विपणन, विज्ञापन, संवर्धन, प्रचार, ग्राहक शिकायत निवारण एवं उपभोक्ता जागरूकता एवं शिक्षा के संदर्भ में विवेकपूर्ण एवं उचित बाजार प्रथाओं का पालन आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की 'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति' का पुनर्गठन दिनांक 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 और 26/12/2023 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की 'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति' की चार बार बैठक हुई।

श्री रामास्वामी नारायणन, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 09 नवंबर, 2023 से पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की सचिव हैं। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण एवं बैठकों की तिथि के साथ निम्न **तालिका 8** में प्रस्तुत है:

तालिका 8

निदेशक का नाम	**निदेशक पद की प्रकृति**	**समिति में पद**	**बैठक दिनांक 03/05/2023**	**बैठक दिनांक 25/07/2023**	**बैठक दिनांक 08/11/2023**	**बैठक दिनांक 07/02/2024**

श्री रामास्वामी नारायणन	गैर-कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (स्वतंत्र) (09/11/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (14/11/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
डॉ ए शक्तिवेल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (26/12/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (31/10/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं

श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (स्वतंत्र) (30/09/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (31/07/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं

जोखिम प्रबंधन समिति- संघटन और उपस्थिति

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य कंपनी की जोखिम क्षमता और जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां स्थापित करना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन दिनांक 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023 और 14/11/2023 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बार बैठक हुई।

श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 14 नवंबर, 2023 से जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित जोखिम प्रबंधन समिति की सचिव हैं। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण बैठकों की तिथि के साथ निम्न **तालिका 9** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 9

निदेशक का नाम	निदेशक पद की प्रकृति	समिति में पद	बैठक दिनांक 03/05/2023	बैठक दिनांक 25/07/2023	बैठक दिनांक 08/11/2023	बैठक दिनांक 07/02/2024
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) (14/11/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री रामास्वामी नारायणन	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/10/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित

श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (31/10/2023से)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/09/2023 से)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (31/07/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

ईसीजीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि, निदेशक मंडल द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई हैं।

श्रीमती हर्षा बंगारी, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 18 नवंबर, 2021 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्न **तालिका 10** में प्रस्तुत है:

तालिका 10

निदेशक का नाम	निदेशक पद की प्रकृति	समिति में पद	सदस्य के रूप में पदस्थ होने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (18/11/2021 से)	23/09/2021
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	16/11/2021
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	14/11/2023
श्री शिरीष चंद्र मुर्मु	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	10/01/2020
श्री रामास्वामी नारायणन	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	30/10/2023
डॉ ए शक्तिवेल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	09/08/2021 (26/12/2023 तक)
श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	09/07/2020 (31/10/2023 तक)
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	21/01/2020 (30/09/2023 तक)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की सिफ़ारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। निदेशक मंडल द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

सरकारी नामित निदेशकों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा (गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में) नियुक्त किया जाता है एवं वे किसी भी पारिश्रमिक/उपस्थिती शुल्क हेतु पात्र नहीं होते हैं। गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वे (निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों के अतिरिक्त (i) भारतीय रिजर्व बैंक; (ii) एक्जिम बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक; (iii) सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक; और (iv) भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक) निदेशक मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशक मंडल द्वारा सरकारी निर्देशों/वैधानिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में निर्धारित उपस्थिती शुल्क हेतु पात्र हैं।

कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को किसी प्रकार की कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार का स्टॉक विकल्प नहीं प्रदान किया है। ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल/समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु पात्र स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थिती शुल्क के भुगतान का विवरण निम्न **तालिका** 11 में प्रस्तुत है:

तालिका 11

क्रसं	**निदेशक का नाम**	**उपस्थिति शुल्क का भुगतान (रु में)**
1.	डॉ ए शक्तिवेल	1,50,000
2.	श्री अमित कुमार अग्रवाल	60,000
3.	श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	80,000
4.	पलानीअप्पन मुथु	60,000

निदेशकों की पारिश्रमिक का विवरण

	परिश्रमिक का विवरण	**कुल राशि (रु में)**		
		प्र नि/पू का नि/प्रबन्धक का नाम		
		श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (31/07/2023 तक)	**श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) (31/10/2023 तक)**	**श्री सृष्टिराज अंबष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)**
1.	सकल वेतन (₹)	23,76,775.69	45,98,510.92	40,49,651.92
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	14,14,877.00	26,06,220.00	39,73,321.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य	5,25,073.00	12,54,969.00	9,61,255.00

	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % रूप में -अन्य, उल्लेख करें	-	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	8,85,567.77 -वेतन बकाया 76,330.92-पी एल एल आई	1,74,383.00-नकदीकरण 17,41,577.00-सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण 76,330.92-पी एल एल आई	76,330.92 – पी एल एल आई
	कुल (क)	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा			

क्रम संख्या	के एम पी का नाम	पद	सकल वेतन	ई एल नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण	पी एल एल आई	धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलभ	अन्य	कुल राशि
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	39,73,321	0	0	76,330.92	9,61,255		50,10,906.92
2	श्री सुबीर कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	39,22,467	1,43,050	0	76,330.92	15,37,323		56,79,170.92
3	श्री पी.एल.ठाकुर	महाप्रबंधक	40,43,834	1,53,631	0	76,330.92	12,14,260		54,88,055.92
4	श्री ईश नाथ झा	महाप्रबंधक	39,93,394	1,50,946	0	76,330.92	11,23,287		53,43,957.92
5	सुश्री प्रिसिला सिन्हा	नियुक्त बीमांकिक	98,89,920	0	0	0.00	1026600		10916520
6	सुश्री स्मिता पंडित	महाप्रबंधक	38,50,029	0	0	76,330.92	8,99,484		48,25,843.92
7	श्री आनंद सिंह	महाप्रबंधक	37,19,748	0	0	76,330.92	9,21,257		47,17,335.92
8	श्री अभिषेक कुमार जैन	महाप्रबंधक	37,30,712	1,49,200	0	76,330.92	9,25,577		48,81,819.92
9	श्री गौरव अंशुमान	महाप्रबंधक	35,58,442	1,41,976	0	76,330.92	10,16,661		47,93,409.92
10	सुश्री अर्पिता सेन	महाप्रबंधक	35,77,436	0	0	76,330.92	9,46,832		46,00,598.92
11	श्री सब्यसाची दाश	महाप्रबंधक	38,75,000	0	0	0.00	39,840		39,14,840.00
12	श्री यशवंत ब्रीड	उप महाप्रबंधक	36,29,250	1,34,937	0	76,330.92	4,32,818		42,73,335.92
13	श्री सी.एन.ए. अंबरासन	कार्यपालक निदेशक	18,10,224	1,68,692	16,19,894	76,330.92	7,93,707		43,00,355.92

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) एवं धारणीय विकास (एस डी) समिति:

कंपनी की सी एस आर एवं एस डी परियोजनाओं/गतिविधियों की निगरानी के लिए कंपनी की सी एस आर एवं एस डी समिति का गठन किया गया है। इसका पुनर्गठन दिनांक 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 और 26/12/2023 को किया गया। कंपनी की सी एस आर एवं एस डी समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चार बार बैठक हुई। श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 14 नवंबर, 2023 से सीएसआर और एसडी समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता वी पंडित सीएसआर और एसडी समिति की सचिव हैं। सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण बैठक की तिथि के साथ निम्न **तालिका 12** में प्रस्तुत है:

तालिका 12

निदेशकों का नाम	**निदेशक पद की प्रकृति**	**समिति में पद**	**बैठक दिनांक 03/05/2023**	**बैठक दिनांक 25/07/2023**	**बैठक दिनांक 08/11/2023**	**बैठक दिनांक 07/02/2024**
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) (14/11/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यपालक निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित

श्री एस.सी. मुर्मू	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री रामास्वामी नारायणन	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/10/2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित
डॉ ए शक्तिवेल	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (26/12/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (31/10/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक (30/09/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (31/07/2023 तक)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक मंडल, निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अंतर्गत निदेशक मंडल के सदस्यों के निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06 जून, 2015 के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्रदान की गई है।

अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों में निदेशक मंडल रिपोर्ट में निदेशक मंडल, समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का उल्लेख करने की आवश्यकता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो सरकारी कंपनियों के लिए भी छूट प्रदान की गई है। कंपनी का मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लक्ष्यों के लिए अंक/भार के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के जरिए किया जाता है। कंपनी की उपार्जन आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) संबंधित मंत्रालय द्वारा ऐसे मूल्यांकन में प्राप्त अंकों/ग्रेड पर आधारित है।

डीपीई द्वारा का ज्ञा, दिनांक 20/06/2013 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा को वापस ले लिया गया है। एम सी ए द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष के मूल्यांकन तंत्र को भी छूट प्रदान की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डी पी के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार (दिनांक 20.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन) दिनांक 09 नवंबर 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कंपनी प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के मध्य आदान प्रदान की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता, मात्रा तथा लिए जाने वाले समय का भी मूल्यांकन किया गया जो, कि निदेशक मंडल द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्न **तालिका 13** में उल्लिखित है:-

तालिका 13

क्रसं.	वित्तीय वर्ष	वार्षिक साधारण बैठकों की संख्या	दिनांक एवं समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हो
1	2020-21	63	18 नवंबर 2021 1600 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	शून्य
2	2021-22	64	05 सितंबर 2022 1800 बजे	वाणिज्य भवन, नई दिल्ली	04
3	2022-23	65	28 जुलाई 2023 1100 बजे	वाणिज्य भवन, नई दिल्ली	शून्य

कारोबार नैतिकता एवं आचार संहिता

निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए **कारोबार नैतिकता एवं आचार संहिता** सृजित की गई है, जो कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

प्रकटन

स्वतंत्र व्यवहार के सिद्धान्त के आधार पर सामान्य कारोबारी लेनदेन के अतरिक्त कंपनी द्वारा किसी निदेशक अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ में सीधे तौर पर अथवा रिश्तेदारों के जरिए निदेशक एवं/अथवा भागीगार

के रूप में हित सन्निहित हो, इस प्रकार के किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय अथवा वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं किया गया है। दिनांक 09 फरवरी, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा संबंधित पार्टी लेनदेन पर संशोधित नीति को 'संबंधित पार्टी संव्यवहार पर नीति' के नाम से अपनाया गया है। कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक - 24 की प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के विवरण का प्रकटीकरण किया गया है एवं सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट पर प्रकटीकरण किया गया है।

स्वतंत्र व्यवहार के सिद्धान्त के आधार पर सामान्य कारोबारी लेनदेन के अतरिक्त कंपनी द्वारा ऐसी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ को जिनमें, निदेशकों का हित सन्निहित हो, को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है ।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन एवं उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, जिससे प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर कंपनी पर लागू होने वाले सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है एवं साथ ही गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, संशोधन हेतु कंपनी द्वारा किए गए पहलों की समीक्षा की जाती है।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अपनाया गया है जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के संज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य / अनैतिक / अथवा कदाचार का कोई मामला आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय मे सूचना देते हुए सुरक्षित अनुभव करें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, केवल निम्न के अतिरिक्त कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है:

1. कंपनी द्वारा "दलामल हाउस" को पट्टे पर लिया गया था एवं पट्टा समझौते के अनुसार एक निश्चित दर पर उक्त संपत्ति को खरीदने के लिए प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग किया गया था। तथापि, पट्टादाता इस बात पर सहमत नहीं हुए एवं ईसीजीसी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। इस मुकदमा में दिनांक 07/07/2016 के आदेश के अंतर्गत कंपनी के प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की है। यह अपील लंबित है। यह नोट किया गया है कि उक्त परिसर को अभी तक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी उक्त संपत्ति को खरीदने के प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अदालत के समक्ष मामले पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही है" -लघु वाद न्यायालय के समक्ष दायर अपील पर दिनांक 06.05.2023 के आदेश के अंतर्गत ईसीजीसी के खिलाफ निर्णय लिया गया है। इस आदेश के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है। वर्तमान में मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

2. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958: स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 06/01/2015 के जरिए दिनांक 07/04/2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹ 7,20,500 /- के स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने पर रु. 4,46,710/- (रुपये चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस मात्र) का जुर्माना लगाया गया।

हालांकि, कंपनी ने दिनांक 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के उप महानिरीक्षक को दंड से छूट के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया है एवं इस मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ शीघ्र निर्णय हेतु लगातार अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

अपील आज तक मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी एवं पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकारी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के पास आदेशों हेतु लंबित है एवं मामले में सुनवाई की कोई अगली तारीख प्रदान नहीं की गई है।

3.कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 –

ईसीजीसी द्वारा ईपीएफओ से दिनांक 12.03.2019 को तीन नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें जुलाई 1989 से अगस्त 2016 की अवधि के लिए, पांच अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन निधि, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा एवं उनके

संबंधित प्रशासन तथा निरीक्षण शुल्क हेतु ₹2,15,84,362/- (ब्याज के लिए ₹1,03,28,895/- एवं हानि के लिए ₹1,12,55,467/-) का ब्याज एवं क्षतिपूर्ति मांगा गया था।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी), ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष अंतिम सुनवाई दिनांक 02 जुलाई, 2021 को समाप्त हुई। एपीएफसी, ईपीएफओ के दिनांक 30 जुलाई, 2021 के आदेश के अनुसार, कंपनी को एपीएफसी, ईपीएफओ के कार्यालय को ₹1,62,87,209/- का समेकित भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसमें क्षतिपूर्ति (₹59,67,524/-) एवं ब्याज (₹1,03 ,19,685/-) शामिल था। कंपनी द्वारा एपीएफसी, ईपीएफओ के उक्त आदेश का अनुपालन किया गया एवं अपेक्षित भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षित खातों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना

चूंकि 100% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति एवं भारत सरकार की ओर से नामित सात अन्य व्यक्तियों के पास हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित खातों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष क्रमशः दिनांक 20 दिसंबर, 2023 एवं 09 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया।

शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक आम बैठक: 66वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को 15:00 बजे अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2023 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न: कंपनी संपूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी द्वारा जारी 43,38,00,000 शेयर, रु 100 प्रत्येक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ सदस्यों सहित भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में हैं।

(ग) पत्राचार के लिए पता: श्रीमती स्मिता वी पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड, ईसीजीसी भवन, सी टी एस नं 393,393/1 से 45, एम वी रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400069. Email: cs@ecgc.in.

पत्राचार के साधन

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in में "हमारे बारे में" सेक्शन के अंतर्गत वित्तीय परिणामों के लिए भिन्न सेक्शन हैं। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल एवं डाउनलोड करने योग्य रूप में भी उपलब्ध है

- वित्तीय परिणाम: कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.ecgc.in पर वार्षिक, अर्ध-वार्षिक एवं तिमाही परिणाम नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं।

- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षित वार्षिक खातें, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, को सदस्यों एवं इसके लिए पात्र अन्यों को प्रेषित किया जात है। **अनुलग्नक IV** में प्रस्तुत की गई प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट, निदेशकों के रिपोर्ट का अंश है।

कृते निदेशक

सृष्टिराज अम्बष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

घोषणा

निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

सृष्टिराज अम्बष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

कंपनी शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

मैं, स्मिता वी. पंडित एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूं कि कंपनी द्वारा समय-समय पर संशोधित बीमा कंपनी के लिए कंपनी शासन दिशानिर्देशों का पालन किया गया है एवं कुछ भी गोपनीय नहीं रखा गया है।

स्मिता वी. पंडित
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

कंपनी शासन का अंश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी शासन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

ईसीजीसी लिमिटेड,

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं.393,393/1 से 45,

एम.वी रोड, अंधेरी ईस्ट,

मुंबई – 400069

हमारे द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए **ईसीजीसी लिमिटेड** ("कंपनी") **सीआईएन: U74999MH1957GOI010918** द्वारा कंपनी शासन की अनुपालन शर्तों की जांच की गई है। कंपनी भारत सरकार का उद्यम है जिसमें भारत सरकार की पूर्ण इक्विटी भागीदारी है।

कंपनी प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचारों की अभिव्यक्ति।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उचित अभिलेख बनाए रखे हैं एवं दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कंपनी शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 में निर्धारित कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी निश्चित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का परिचालन किया है।

रागिनी चोकशी एंड कंपनी के लिए
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18/04/2024

रागिनी चोकशी
(भागीदार)
एम. नं.: 2390

सी. पी. नं.: 1436
यूडीआईएन: F002390F000173957
अनुलग्नक II

फॉर्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

01-04-2023 से 31-03-2024 तक की अवधि के लिए

सेवा में,

सदस्यगण,

ईसीजीसी लिमिटेड,

ईसीजीसी भवन, सीटीएस संख्या 393,393/1 से 45,

एम.वी रोड, अंधेरी ईस्ट,

मुंबई – 400069.

हमारे द्वारा **ईसीजीसी लिमिटेड** (सीआईएन: U74999MH1957GOI010918) (जिसे आगे **"कंपनी"** कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन एवं अच्छी कंपनी प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया गया। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार किया गया कि इससे हमें कंपनी के आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार प्राप्त हुआ हैं।

कंपनी के खातों, दस्तावेजों, मिनट खातों, फॉर्मों एवं दर्ज किए गए प्रतिफल तथा कंपनी द्वारा सृजित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उनके अधिकारियों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्न सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है एवं कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं एवं अनुपालन-तंत्र निमलिखित की गई रिपोर्टिंग के अधीन उसी प्रकार से मौजूद हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की लेखापरीक्षा अवधि हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई खातों, दस्तावेजों, मिनट खातों, फॉर्मों एवं दर्ज किए गए प्रतिफल तथा अन्य अभिलेखों की जांच की गई है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं उपनियम **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम;

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:-

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर निषेध) विनियम, 2015 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2021 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

च) कंपनी अधिनियम एवं क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध है);**

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध है); एवं**

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों पुनः खरीद) विनियम, **2018 (लागू नहीं है क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध है)।**

हमने कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों तथा तंत्र के लिए कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है।

हमारा मानना है कि प्रबंधन द्वारा कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया गया है:

1. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश, 2010;

2. बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन सृजित किए गए नियम;

3. बीमा अधिनियम, 1938 एवं बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2015;

4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन सृजित किए गए नियम।

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ख) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 एवं कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौते **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध है);**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि,

कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मण्डल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना प्रदान की जाती है, एजेंडा एवं एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं तथा बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवाही के अंश के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार एवं परिचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं अथवा कार्यवाहियां हुईं, जिनका उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है:

1. महाप्रबंधक श्री अभिषेक जैन की दिनांक 07 जून, 2023 से प्रभावी, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्ति।

2. पोर्टफोलियो में परिवर्तन के कारण दिनांक 07 जून, 2023 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद से श्री ईशनाथ झा का कार्यकाल समाप्त होना।

3. श्री पलानीअप्पन मुथु की दिनांक 15 जून, 2023 से कंपनी के गैर-आधिकारिक गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति।

4. श्री एम सेंथिलनाथन का 31 जुलाई, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में कार्यकाल समाप्त होना।

5. श्री सी एन ए अनबरसन का दिनांक 31 अगस्त, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के कार्यपालक निदेशक (संचालन) और केएमपी के रूप में कार्यकाल समाप्त होना।

6. श्री देवेश श्रीवास्तव का दिनांक 30 सितंबर, 2023 से सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के गैर-आधिकारिक गैर- कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त होना।

7. श्री रामास्वामी नारायणन की दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 से कंपनी के गैर-आधिकारिक गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति।

8. श्री सुनील जोशी का दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 से सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त होना।

9. दिनांक 01 सितंबर, 2023 से श्री सृष्टिराज अंबष्ठ का पदनाम महाप्रबंधक से कार्यपालक निदेशक (परिचालन) के रूप में परिवर्तित किया गया है तथा दिनांक 01 नवंबर, 2023 से कंपनी के कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में परिवर्तित किया गया है।

10. दिनांक 01 नवंबर, 2023 से श्री सुबीर दास का पदनाम महाप्रबंधक से कार्यपालक निदेशक (परिचालन) के रूप में परिवर्तित किया गया।

11. दिनांक 14 नवंबर, 2023 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री सृष्टिराज अंबष्ठ, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) की नियुक्ति।

12. दिनांक 26 दिसंबर, 2023 से कार्यकाल पूरा होने के कारण कंपनी के गैर-आधिकारिक गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में डॉ. ए शक्तिवेल का कार्यकाल समाप्त होना।

13. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा। (प्रति शेयर 10/- रुपये कुल मिलाकर 433.80 करोड़ रुपये)।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18/04/2024

रागिनी चोकशी एंड कंपनी के लिए
(कंपनी सचिव)

रागिनी चोकशी
(भागीदार)

सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390
यूडीआईएन: F002390F000173836
अनुलग्नक III

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें पूर्ण की गई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन शामिल है।

कंपनी ने 2014 में सीएसआर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है तथा निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹29.08 करोड़ (₹29,08,46,016.24) की धनराशि व्यय की गई। इसके अतरिक्त, पूर्व में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं हेतु यूसीएसआर खाते में ₹2.54 करोड़ (₹2,54,64,773.00) का आवंटन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को ₹0.0180 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

कंपनी ने मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले, राजगढ़ के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ₹10 करोड़ की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई एवं i) 200 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने, ii) 30 सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने तथा iii) प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में सुधार हेतु राजगढ़ के आकांक्षी ब्लॉक जीरापुर की 513 आंगनबाड़ियों की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं प्रदान करना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। कंपनी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग एम-वार्ड प्रोजेक्ट यानी मुंबई में एम-पावर लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर, एम-वार्ड को अपना समर्थन जारी रखा है। एम-पॉवर अपने छात्रों को सभी स्ट्रीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की

पाठ्य पुस्तकों के साथ एक पुस्तकालय प्रदान करता है। इसमें एमपीएससी, यूपीएससी, एनईईटी, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक किताबें भी शामिल हैं। पुस्तकालय न केवल छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि इसमें पत्रिका एवं जर्नल सदस्यता, कई भाषाओं में समाचार पत्र एवं सामान्य पढ़ने तथा सीखने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए कथा संग्रह भी शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, टीआईएसएस प्रतियोगी परीक्षाओं, कंप्यूटर शिक्षा, संवादात्मक अंग्रेजी, कैरियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा आदि हेतु कोचिंग जारी रखता है। सीएसआर गतिविधियों हेतु प्रमुख कार्यान्वयन भागीदार जिला कलेक्टर कार्यालय, राजगढ़, मध्य प्रदेश (आकांक्षी जिला), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), शांति सेवा निधि, टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या, स्नेहालय, एसओएस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, मानव विकास संस्थान, सीकेएस फाउंडेशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), होप कोलकाता फाउंडेशन, विवेकानंद केंद्र, सरस्वती एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) एवं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, कौशल विकास, सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष, सीआरपीएफ कल्याण कोष एवं स्वच्छ भारत कोष में योगदान के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं।

कंपनी टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या द्वारा कैंसर रोगियों के लिए ऑनलाइन विशेषज्ञ राय सेवा का समर्थन कर रही है, द वी फाउंडेशन के साथ डिम्बग्रंथि, गर्भाशय ग्रीवा एवं स्तन कैंसर हेतु 5000 महिलाओं की कैंसर जांच एवं तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कंपनी अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत वर्ष के दौरान उत्तरी गोवा एवं लेह (लद्दाख) में मानव विकास संस्थान द्वारा 4 (चार) स्वास्थ्य एटीएम मशीनों की स्थापना का समर्थन कर रही है।

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर - तमिलनाडु ने जरूरतमंद रोगियों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं कैंसर देखभाल हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है। कंपनी ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है एवं सीएमसी वेल्लोर को समर्थन बढ़ा दिया है। कंपनी ने ठाणे जिले के भयंदर के उत्तान में आमचा घर के शिक्षा सहायता कार्यक्रम को भी समर्थन दिया। कंपनी ने फ्यूचरप्रेन्योर्स स्किल्स पहल हेतु एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (एएफसीएसआर) को सीएसआर समर्थन दिया, जिसमें एक संरचित हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से भारत भर में 5000 छात्रों को उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए भारतीय रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में ₹1 करोड़ का योगदान दिया गया। दो एम्बुलेंस की खरीद हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों को ₹0.73 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

   i. संगठन में अपने सभी हितधारकों के हितों को चिन्हित करते हुए अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए सभी स्तरों पर और अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।

   ii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करना, जो अपने विभिन्न कार्यालयों में एवं आसपास के समुदायों को लाभान्वित करते हैं जो स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण को बढ़ाते हैं।

   iii. समाज के पिछड़े, वंचित एवं न्यून विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों को लागू करना।

   iv. अपनी सीएसआर गतिविधियों के जरिए हितधारकों के मध्य कंपनी के लिए सद्भावना एवं गौरव उत्पन्न करना तथा एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी छवि को सुदृढ़ करने में सहायता करना।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) / कार्यपालक निदेशक (14/11/2023 से प्रभावी)	1	1
2	श्री विपुल बंसल	सरकारी निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक	4	0
3	श्री एस.सी. मुर्मू	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक	4	1
4	सुश्री हर्षा बंगारी	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक	4	4
5	श्री रामास्वामी नारायणन	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक (30/10/2023 से प्रभावी)	2	1
6	डॉ. ए. शक्तिवेल	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक (26/12/2023 से कार्यकाल समाप्त)	3	3
7	श्री सुनील जोशी	पूर्णकालिक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (31/10/2023 से कार्यकाल समाप्त)	2	2
8	श्री देवेश श्रीवास्तव	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक	2	2

		(30/09/2023 से कार्यकाल समाप्त)		
9	श्री एम. सेंथिलनाथन	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) / कार्यपालक निदेशक (31/07/2023 से कार्यकाल समाप्त)	2	2

3. वेब-लिंक, जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट:https://main.ecgc.in/english/corporate-social-responsibility/ पर किया जाता है।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश, वेब-लिंक के साथ उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो: **प्रभाव आकलन रिपोर्ट परिशिष्ट II में संलग्न है।**

5. (क) कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹1503.03 करोड़

   (ख) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹30.06 करोड़, सीएसआर हेतु आवंटित बजट ₹30.10 करोड़

   (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथव गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: कुछ नहीं

   (घ) वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन की जाने वाली राशि: यदि कोई हो: कोई नहीं

   (ङ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (बी + सी -डी): ₹30.10 करोड़

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना एवं चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों ही) पर व्यय की गई राशि: ₹27.39 करोड़ (परिशिष्ट-I देखें)

(ख) प्रशासनिक अधिशेश में व्यय की गई राशि ₹0.103 करोड़

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: ₹0.038 करोड़ (प्रभाव आकलन हेतु ₹9.05 लाख का प्रावधान)

(घ) वित्तीय वर्ष (क+ख+ग) हेतु व्यय की गई कुल राशि: ₹29.08 करोड़*

* इसमें यूसीएसआर 2022-23 के लिए व्यय की गई ₹1.51 करोड़ और स्वच्छ भारत कोष 2022-23 के लिए ₹0.036 करोड़ शामिल हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
29.08 करोड़	2.54 करोड़	26.04.2024	स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट	0.0180 करोड़	26.04.2024

(f). समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि ₹ में
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹30.06 करोड़ (सीएसआर हेतु आवंटित बजट ₹30.10 करोड़)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	₹29.08 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष (ii – i) हेतु व्यय की गई अतिरिक्त राशि	कुछ नहीं

(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	कुछ नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि ((iii)-(iv))	कुछ नहीं

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि क विवरण:

(राशि ₹ में)

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र.सं.	**पिछले वित्तीय वर्ष (र्षों)**	**धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)**	**धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)**	**धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई राशि, यदि कोई हो**		**अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)**	**न्यूनता, यदि कोई हो**
					राशि (रुपये में)	**अंतरण की तिथि**		
1	वित्तीय वर्ष 2022-23	1,51,22,500	कुछ नहीं	वित्तीय वर्ष 23-24: 1,51,22,500	3,68,662.44	21.04.2023	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	वित्तीय वर्ष 2021-22	38,56,000	कुछ नहीं	वित्तीय वर्ष 22-23: 38,56,000	8,93,195	11.05.2022	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	वित्तीय वर्ष 2020-21	2,70,98,891	कुछ नहीं	वित्तीय वर्ष 22-23: 56,81,900 वित्तीय वर्ष 21-22: 2,14,16,991	49,11,000	10.06.2021	कुछ नहीं	कुछ नहीं

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय की गई राशि से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है अथवा अर्जित की गई है: नहीं

9. यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं:

- ₹2,54,64,773/- यूसीएसआर खाते में अंतरित चालू परियोजनाओं से संबंधित हैं; तथ
- ₹1,80,373.20/- प्रशासनिक व्यय हेतु आवंटित बजट के अंतर्गत कम व्यय के कारण शेष राशि स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित की गई है।

(सृष्टिराज अंबष्ठ)
कार्यपालक निदेशक(पॉलिसी मामले)
/ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार)
एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन 10375617

(अभिषेक कुमार जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

परिशिष्ट II से अनुलग्नक III

<u>आकांक्षी जिले राजगढ़, मध्य प्रदेश में कंपनी की पहलों का प्रभाव आकलन: जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सारांश</u>

ई सी जी सी ECGC

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

अंतिम रिपोर्ट
सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन अध्ययन

"गुरुर देवो महेश्वरा
प्रभावी शिक्षण के लिए स्मार्ट क्लास का निर्माण"

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित एक सीएसआर पहल
जिला प्रशासन, राजगढ़ जिला, मध्य प्रदेश द्वारा कार्यान्वित

प्रस्तुतकर्ता:

जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेस् लिमिटेड
मेकर चैंबर IV, 8वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021, भारत
ईमेल: gcs@gpcl.in **; वेब:** www.gpcl.in

मार्च 2024

कार्यकारी सारांश

परियोजना के बारे में: स्मार्ट क्लास - पाठ्यपुस्तकों से परे एक जगत

स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी कक्षा है जो पाठ्यपुस्तकों के जगत से परे है। स्मार्ट क्लासरूम एक डिजिटल क्लासरूम है जो शिक्षण का एक उन्नत रूप है, जो शिक्षकों को अधिक निपुणता के साथ पढ़ाने में म करता है और छात्रों को अधिक रुचि, भागीदारी और मनोरंजन के साथ सीखने में मदद करता है।

निजी स्कूलों ने सीखने के डिजिटल तरीके को थोड़ा पहले अपनाया लेकिन धीरे-धीरे और लगातार सरकारी स्कूल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सरकारी स्कूल अब प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, ट्यूटोरियल सत्र प्रदर्शित करने के लिए ई-लर्निंग प्रणाली छात्रों को यह एहसास कराने में मदद कर रही है कि सीखना मजेदार भी है।

ईसीजीसी ने जिले में 250 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए राजगढ़ जिला प्रशासन की सहायता की है। शिक्षण के इस अभिनव, रचनात्मक और अग्रणी तकनीकी दृष्टिकोण ने न केवल छात्रों को विज़ुअलाइज़ेशन के माध्यम से कठिन अवधारणाओं को समझने का एक आसान तरीका प्रदान किया है, बल्कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए उनकी जिज्ञासा भी जगाई है। स्मार्ट कक्षाओं ने शिक्षण और सीखने का एक सक्षम वातावरण तैयार किया है।

ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्र जेईई, एनईईटी और अन्य समान प्रवेश परीक्षाओं जैसी व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कक्षाओं का उपयोग कर रहे हैं। सीखने के इस नए माहौल ने राजगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के पूरे माहौल को प्रभावित किया है ।

प्रभाव आकलन अध्ययन का संचालन:

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा सीएसआर सहायता के तहत, राजगढ़ जिला प्रशासन ने जिले के 140 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1 केवीए सौर ऊर्जा बैकअप के साथ **" गुरुर देवो महेश्वर "** नामक स्मार्ट क्लास परियोजना शुरू की ।

स्मार्ट क्लास एक डिजिटल रूप से सुसज्जित कक्षा है जिसमें सीखने सिखाने वाले उपकरणों की एक श्रृंखला है। इसमें ऑडियो और विज़ुअल शिक्षण उपकरण शामिल हैं जिन्हें शिक्षक यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करके पढ़ा रहे हैं।

छोटे बच्चों में हमेशा अपने आस-पास की हर चीज़ को जानने की जन्मजात लालसा होती है। वे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और उनके पास सामान्य तर्क से परे ढेर सारे प्रश्न होते हैं। 21वीं सदी की इस दुनिया में फलने-फूलने के लिए, उन्हें ब्लैकबोर्ड और चॉक मोड का उपयोग करके पाठ्य पुस्तक शिक्षण की रटने की प्रणाली से परे ले जाना महत्वपूर्ण है। ऐसे

कुछ कौशल हैं तार्किक तर्क, संज्ञानात्मक क्षमता और आलोचनात्मक सोच। सामान्य तौर पर, प्रत्येक चरण में सटीक निर्णय लेने के लिए इन कौशलों की एक साथ आवश्यकता होती है।

सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें आलोचनात्मक सोच, तर्क करना और तर्क विकसित करना, निर्णय लेना और वास्तविक दुनिया में खुले दिमाग और सुसंगत रूप से निर्णय लेना शामिल हैं। जब छात्र कक्षा में सीखने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं तो इस वास्तविक दुनिया की एक झरोखे की कल्पना की जा रही है।

पारंपरिक कक्षा शिक्षण में, ब्लैकबोर्ड और चॉक मोड का उपयोग करके शिक्षण किया जाता है, जो कभी-कभी सभी छात्रों को व्यस्त नहीं रखता है और दृश्य-श्रव्य माध्यम के रूप में मनोरंजक और उत्तेजक नहीं हो सकता है। पारंपरिक पद्धति से पढ़ाते समय शिक्षकों को सभी छात्रों से जुड़ने में कठिनाई होती है जबकि यह माध्यम शिक्षकों को सभी छात्रों से जुड़ने में सक्षम बनाता है और उन्हें बोर्ड पर लिखने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। वे इस समय का उपयोग सभी छात्रों से जुड़ने और जटिल अवधारणाओं को दृश्य माध्यम से समझाने और छात्रों के साथ बेहतर बातचीत करने के लिए करते हैं।

यह परिकल्पना की गई थी कि सीखने में बढ़ती व्यस्तता के साथ, छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा और छात्रों के लिए बेहतर ग्रेड और उच्च अध्ययन की आकांक्षा और व्यावसायिक अध्ययन के लिए नामांकन में सुधार होगा। अगस्त, 2023 में शुरुआत के बाद से परियोजना ने छह महीने पूरे कर लिए हैं। जिला प्रशासन और राज्य शिक्षा विभाग की मदद से 140 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 20 विद्यालयों को अध्ययन के लिए चुना गया था।

अवलोकन और निष्कर्ष:

• सभी चयनित 20 स्कूलों में कार्यात्मक स्मार्ट क्लास रूम हैं।

• सभी चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का बुनियादी माहौल है लेकिन इसे बढ़ाया ज सकता है।

• अधिकांश कक्षाओं में परियोजना प्रस्ताव के अनुसार उपकरण स्थापित किए गए हैं।

• कुछ स्कूलों में कुछ कक्षाओं में छात्रों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, टेबल, कुर्सियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ स्कूलों में अधिक फर्नीचर और बेहतर माहौल की आवश्यकता है।

• सभी स्कूलों में छात्र डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करके बहुत खुश थे।

• विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे विषयों को समझना आसान हो गया है और सीखना मजेदार भी हो गया है।

• जीवविज्ञान एक ऐसा विषय था जिसे सर्वसम्मति से ऐसे विषय के रूप में चुना गया था जहँ चित्र दृश्य माध्यम से दिखाना आसान था; छात्रों ने उन्हें आसानी से समझ लिया और यह शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक वरदान रहा है।

• स्मार्ट क्लास शिक्षण के माध्यम से लड़कियों ने विज्ञान में अधिक रुचि दिखाई।

• शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं और विषयों जिनमें बहुत सारी दृश्य सामग्री थी जैसे जीवविज्ञान, भूगोल, ज्यामिति आदि को पढ़ाने के लिए यूट्यूब वीडियो का उपयोग किया जा रहा था ।

• कुछ स्कूलों ने अधिक स्मार्ट कक्षाओं की आवश्यकता व्यक्त की।

• कई स्कूलों में बिजली और इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ा । इसलिए, शिक्षकों को बार-बार ब्लैकबोर्ड मोड में जाना पड़ता था और इससे चल रही डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया में बाधा आती थी।

• कुछ स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए थे लेकिन सभी चयनित स्कूलों ने सोलर पैनल खरीद लिया था।

• छात्र इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधान मंत्री की "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम लाइव और अन्य प्रेरक वीडियो भी देख पाए।

सिफ़ारिशें:

• स्मार्ट क्लास में डिजिटल माध्यम का उपयोग करके पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए। जो सामने आया वह यह था कि शिक्षक विज्ञान, गणित जैसे विषयों को पढ़ाने में कुछ हद तक ही सहज थे, लेकिन अपने विषयों में वर्तमान ज्ञान के साथ सामयिक होने के लिए अधिक गहन और कठोर प्रशिक्षण चाहते थे।

• बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी बिना किसी रुकावट के प्राप्त की जानी चाहिए और सौर पैनलों की स्थापना के साथ जून 2024 से आने वाले शैक्षणिक वर्ष में इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

• नामांकन की संख्या और यह कैसे बढ़ रही है, इसे देखते हुए सभी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

• स्कूलों को प्रत्येक ग्रेड/कक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखने सिखाने वाले ऐप्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

• बेहतर फर्नीचर के माध्यम से माहौल प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सीखना मज़ेदार, सुरक्षित और सहायक हो।

भविष्य की हस्तक्षेप रणनीतियाँ विकसित करते समय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:

• मॉनिटर/पैनल और अन्य उपकरणों के साथ सोलर पैनल अवश्य लगाए जाने चाहिए।

• उपकरण स्थापित करने वाली कंपनी द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण घटक को सर्वोच्च प्राथमिकत दी जानी चाहिए।

• स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों और शिक्षकों के लिए उचित फर्नीचर के साथ उचित माहौल होन चाहिए ताकि सभी के लिए सीखने को एक मजेदार, रचनात्मक और सुरक्षित स्थान बनाया जा सके।

• डिजिटल प्लेटफॉर्म के इष्टतम उपयोग के लिए, यदि संभव हो तो, स्कूल प्रिंसिपल, डीआईईटी, डीईओ और कुछ अन्य गैर सरकारी संगठनों की एक समिति द्वारा स्मार्ट कक्षाओं में शिक्षण की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए।

अच्छे आचरण :

स्मार्ट क्लास शिक्षण एक उन्नत और प्रासंगिक तरीका है, जो छात्रों में सर्वोत्तम शिक्षण परिणाम लाता है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को आज नए युग की शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो रही है, जिससे उनके लिए ढेर सारे अवसर खुल गए हैं। ये छात्र किसी भी तरह से निजी स्कूलों के छात्रों से पीछे नहीं हैं और शिक्षण के लिए डिजिटल ऐप्स के आगमन के साथ, छात्र अब उच्च अध्ययन के लिए शहरों की यात्रा करने के इच्छुक हैं और जेईई, एनईईटी आदि जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लिखने के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयारी भी कर रहे हैं।

शिक्षक स्मार्ट शिक्षण विधियों को अपनाने और अपने छात्रों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को एकीकृत करने को लेकर समान रूप से उत्साहित हैं।

प्रधान मंत्री की " परीक्षा पे चर्चा " जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और छात्रों को दिखाए गए अन्य लाइव इंटरैक्टिव और प्रेरक वीडियो उनके लिए प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक रहे हैं। इसने उन्हें देश के बाकी हिस्सों के बड़े समुदाय का एक अभिन्न अंग होने का एहसास कराया है।

" स्मार्ट क्लास कोई प्रतिस्थापन नहीं बल्कि पारंपरिक शिक्षण का उत्तम पूरक है!"

भविष्य:

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास वास्तव में एक अभिनव विचार है, लेकिन इसके साथ-साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति, इंटरनेट बैंडविड्थ गति, परियोजना के तहत प्रदान किए गए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जाने वाले विषयों से संबंधित नवीनतम ऐप्स की भी तत्काल आवश्यकता है। प्रदान किए गए उपकरणों के इष्टतम उपयोग को समझने के लिए शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, नवीनतम विषय ऐप जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और छात्रों को पढ़ाया जा सकता है ताकि सीखने को प्रासंगिक और मजेदार दोनों बनाया जा सके।

अध्ययन के अधीन प्रत्येक स्कूल में अधिक स्मार्ट कक्षाओं की आवश्यकता का उल्लेख सभी प्रधानाचार्यों द्वारा किया गया ताकि अधिक से अधिक छात्रों को डिजिटल माध्यम से सीखने और दृश्य-श्रव्य शिक्षण मोड का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।

कार्यकारी सारांश

मूल्यांकनाधीन परियोजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड द्वारा अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत प्रायोजित किया गया है। "प्रोजेक्ट विद्यालय" नामक सीएसआर परियोजना का उद्देश्य विवेकानंद केंद्र विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट के जरिए अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इस पहल के जरिए ईसीजीसी ने अरुणाचल प्रदेश के वंचित समुदायों की शिक्षा को सशक्त बनाया है।

प्रभाव आकलन अध्ययन में डेटा संग्रह के गुणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। परियोजना विद्यालय के प्रभाव को समझने हेतु सात विवेकानंद केंद्र विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ मुख्य सूचना साक्षात्कार आयोजित किए गए। इन वार्तालाप के दौरान डेटा संग्रह हेतु साक्षात्कार अनुसूचियां प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग में आईं। इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी लिमिटेड एवं इसके कार्यान्वयन भागीदार के मध्य समझौता ज्ञापनों सहित द्वितीयक डेटा की डेस्क समीक्षा की गई। परियोजना कार्यान्वयन में उनकी कार्यात्मक भूमिका के कारण अध्ययन हेतु प्रतिभागियों को चिन्हित किए जाने हेतु एक उद्देश्यपूर्ण मानक का उपयोग किया गया एवं डेटा का विषयगत रूप से विश्लेषण किया गया।

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि अरुणाचल प्रदेश में ईसीजीसी की पहल का ग्रामीण शिक्षा एवं छात्र कल्याण पर बहुमुखी तथा गहरा प्रभाव पड़ा है। स्कूलों को आवश्यक संसाधन जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर सेट, स्मार्ट क्लास प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय संवर्द्धन, स्टीम कुकर, वाटर प्यूरीफायर एवं खेल उपकरण उपलब्ध कराकर ईसीजीसी का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी शैक्षिक सुविधाओं के मध्य अंतर को कम करना है। इस व्यापक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप शैक्षणिक निष्पादन में वृद्धि हुई है, सीखने के माहौल में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मानकों में वृद्धि हुई है तथा खेल एवं पाठ संबंधी गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। भाग लेने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने इस पहल की समग्र प्रकृति को स्वीकार किया तथा छात्रों के मध्य अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने तथा सहपाठियों के मध्य सहयोग एवं अवधारणा सीखने को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर बल दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट कक्षाओं एवं

कंप्यूटर सेटों के प्रावधान से सीखने के अनुभव में परिवर्तनशील बदलाव आया है, जिससे गहन वैचारिक समझ को बढ़ावा मिला है एवं शिक्षक-छात्र अंतःक्रिया में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी पहल द्वारा छात्रावासों में स्टीम कुकर एवं वाटर प्यूरीफायर के प्रावधान के माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भाप से खाना पकाने के तरीकों में परिवर्तन से न केवल खाना पकाने की दक्षता में सुधार हुआ है बल्कि स्कूल छात्रावासों में स्वच्छता के मानकों में भी सुधार हुआ है, जिससे प्रदूषणकारी खाना पकाने की प्रथाओं पर निर्भरता कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिला है। वाटर प्यूरीफायर की स्थापना ने पानी की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संबोधित किया है, जिससे कि छात्रों को पूरे दिन स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, खेल उपकरणों के प्रावधान ने शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दिया है एवं छात्रों की खेलों में भागीदारी को बढ़ाया है, जिससे छात्रों के मध्य समग्र विकास को बढ़ावा मिला है।

समग्र रूप से, ईसीजीसी पहल ग्रामीण शिक्षा एवं छात्र कल्याण को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा छात्रों को उनके शहरी समकक्षों के समान संसाधन एवं अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है।

कार्यकारी सारांश

मूल्यांकनाधीन परियोजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड द्वारा अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत प्रायोजित किया गया है। सीएसआर परियोजना में रोटरी प्राइम ट्रस्ट के साथ मिलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुपुर में अत्याधुनिक कैंसर देखभाल केंद्र की स्थापना करना शामिल है। इस पहल के जरिए ईसीजीसी का लक्ष्य तिरुपुर एवं उसके निकटवर्ती सभी जरूरतमंद लोगों को कैंसर के उपचार हेतु उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना है।

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में डेटा संग्रह के गुणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। कैंसर देखभाल परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति को समझने हेतु तिरुपुर रोटरी

पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ प्रमुख सूचना साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी लिमिटेड एवं इसके कार्यान्वयन भागीदार के मध्य समझौता ज्ञापनों सहित द्वितीयक डेटा की डेस्क समीक्षा की गई। अध्ययन हेतु प्रतिभागी को चिन्हित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण मानक का उपयोग किया गया एवं एकत्र किए गए डेटा का विषयगत रूप से विश्लेषण किया गया।

प्रभाव आकलन अध्ययन में पाया गया कि तिरुपुर में कैंसर देखभाल परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुपुर में आगामी कैंसर ब्लॉक हेतु विघटन कार्य प्रगति पर है। अपेक्षित है कि यह परियोजना अगले आठ से दस महीनों में प्रारम्भ हो जाएगी, क्योंकि उस समय तक कैंसर देखभाल केंद्र का निर्माण हो जाएगा एवं रैखिक त्वरक मशीन संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत आ जाएगी। इसके अतिरिक्त, कैंसर देखभाल परियोजना बीपीएल रोगियों को निःशुल्क निदान, उपचार, अनुवर्ती एवं पुनर्वास प्रदान करेगी। कैंसर देखभाल परियोजना के लक्षित लाभार्थियों में समाज के वंचित वर्ग जैसे मध्य प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा के प्रवासी मजदूर शामिल हैं, साथ ही गरीबी रेखा से निम्न तथा कैंसर से पीड़ित सभी जरूरतमंद लोग भी शामिल हैं।

कैंसर केयर ब्लॉक का निर्माण सम्पूर्ण होने से पहले ही, परियोजना लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा कैंसर विशेषज्ञों एवं नर्सों की नियुक्ति पहले ही की गई है एवं लोग एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई तथा मैमोग्राफी जैसी दैनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं हेतु उनके पास जा रहे हैं। हालांकि, उन्नत मशीनें खरीदे जाने के पश्चात ही कैंसर का समय पर पता लगाने के साथ ही कैंसर का उपचार भी मुहैया कराया जा सकेगा। समग्र रूप से, यह कहा जा सकता है कि ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कैंसर देखभाल परियोजना इस मायने में अद्वितीय है क्योंकि तिरुपुर एवं उसके आसपास कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें कैंसर देखभाल की सुविधा हो। यह परियोजना अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों, खासकर गरीबी रेखा से निम्न लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।

परिशिष्ट II से अनुलग्नक III

वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर राशि के व्यय का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम	अनुसूची VII में उल्लेखित गतिविधियों की सूची	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	राज्य	जिला	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन की पद्धति- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन की पद्धति- सीएसआर पंजीकरण संख्या.	नाम	जारी (हाँ/नहीं)
1.	पतंजलि, सीप्ज़ एवं तिरुपति एंटरप्राइजेज	स्वास्थ्य	हाँ	महाराष्ट्र	मुंबई	एक वर्ष	721844.00	721844.00	0.00	नहीं	-	पतंजलि, सीप्ज़ एवं तिरुपति एंटरप्राइजेज	नहीं
2.	शांति सेवा निधि	शिक्षा	हाँ	महाराष्ट्र	मुंबई	तीन वर्ष	5000000.00	1970620.00	3029380.00	नहीं	सीएसआर00002242	शांति सेवा निधि	हाँ
3.	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ए एफ एफ डी	स्वास्थ्य एवं पोषण	नहीं	अखिल भारत	अखिल भारत	एक साल	10000000.00	10000000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00000812	शांति सेवा निधि	हाँ
4.	सेंटर फॉर ट्रान्स्फ़ोर्मिंग इंडिया	शिक्षा	नहीं	आंध्रा प्रदेश	विशाखापटनम	एक वर्ष	618000.00	618000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00050 34	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ए एफ एफ डी	नहीं
5.	सोश्ल अपलिफ्टमेंट ऐंड डेव्लपमेंट फॉर हैल्थ एक्शन(एस ए यूडी एच ए)	स्वास्थ्य	नहीं	असम	डिब्रूगढ़ (दिघाली दलानी गांव)	एक वर्ष	1197000.00	1197000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00005526	सोश्ल अपलिफ्टमेंट ऐंड डेव्लपमेंट फॉर हैल्थ एक्शन(एस ए यूडी एच ए)	नहीं
6.	टिस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज)	शिक्षा	हाँ	महाराष्ट्र	एम वार्ड, देवनार, गोवंडी, मुंबई	एक वर्ष	8700000.00	8700000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00003475	टिस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज)	हाँ
7.	नीमहंस	स्वास्थ्य	नहीं	कर्नाटक	बेंगलुरु	एक वर्ष	10000000.00	10000000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00000194	नीमहंस	हाँ
8.	आमचाघर	शिक्षा	हाँ	महाराष्ट्र	उत्तान भयंदर	एक वर्ष	2784000.00	1392000.00	1392000.00	नहीं	सीएसआर00001 02	आमचाघर	हाँ
9.	रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट	स्वास्थ्य	नहीं	तमिलनाडु	तिरुपुर	एक वर्ष	30000000.00	30000000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00010527	रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट	हाँ
10.	केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी)	शिक्षा	नहीं	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड	मुरथल, अमृतसर, बद्दी, जयपुर, रांची, हाजीपुर	एक वर्ष	15800000.00	7900000.00	7900000.00	नहीं	सीएसआर00008481	केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी)	हाँ
11.	कैंसर पैशनट्स ऐड असोशिएशन(सीपीएए)	स्वास्थ्य	हाँ	नई दिल्ली, पुणे एवं मुंबई		एक वर्ष	5000000.00	5000000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00000292	कैंसर पैशनट्स ऐड असोशिएशन(सीपीएए)	हाँ
12.	सीकेएस फाउंडेशन नई दिल्ली	शिक्षा	नहीं	उत्तराखंड	पोखरी एवं उसके आसपास के गांव	एक वर्ष	4350000.00	2175000.00	2175000.00	नहीं	सीएसआर00009044	सीकेएस फाउंडेशन नई दिल्ली	हाँ
13.	सरस्वती एडुकेशन एवं कल्याण ट्रस्ट	शिक्षा	नहीं	मेघालय	पूर्वी जैंतिया हिल्स	एक वर्ष	2400000.00	2400000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00002950	सरस्वती एडुकेशन एवं कल्याण ट्रस्ट	हाँ
14.	अर्थएंजेल्स वेलफेयर फाउंडेशन	स्वास्थ्य	हाँ	शाहपुर ,	महाराष्ट्र	एक वर्ष	792450.00	792450.00	0.00	नहीं	सीएसआर00006478	अर्थएंजेल्स वेलफेयर फाउंडेशन	नहीं
15.	होप कोलकाता फाउंडेशन	स्वास्थ्य एवं पोषण	नहीं	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एक वर्ष	1186250.00	1186250.00	0.00	नहीं	सीएसआर00000338	होप कोलकाता फाउंडेशन	हाँ
16.	मानव विकास संस्थान	स्वास्थ्य	नहीं	उत्तर गोवा एवं लेह (लद्दाख)		एक वर्ष	2864400.00	2864400.00	0.00	नहीं	सीएसआर00001276	मानव विकास संस्थान	हाँ
17.	श्री अरबिंदो सोसाइटी	शिक्षा	नहीं	चंडीगढ़ एवं छत्तीसगढ़	रायपुर	एक वर्ष	3079126.00	1539563.00	1539563.00	नहीं	सीएसआर00000200	श्री अरबिंदो सोसाइटी	हाँ
18.	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन	स्वास्थ्य एवं पोषण	नहीं	हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश	बिलासपुर और अयोध्या	एक वर्ष	8105930.00	4052965.00	4052965.00	नहीं	सीएसआर00000185	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन	हाँ

19.	एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया	स्वास्थ्य एवं पोषण	नहीं	असम, पुदुचेरी एवं उत्तर प्रदेश	गुवाहाटी और बवाना	एक वर्ष	4536000.00	2268000.00	2268000.00	नहीं	सीएसआर00000756	एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया	हाँ
20.	स्नेहालय	स्वास्थ्य	नहीं	महाराष्ट्र	अहमदनगर	एक वर्ष	1527667.00	1527667.00	0.00	नहीं	सीएसआर00000282	स्नेहालय	हाँ
21.	तारा संस्थान	स्वास्थ्य	हाँ	दिल्ली, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश	फरीदाबाद, मुंबई, लोनी	एक वर्ष	2448000.00	1224000.00	1224000.00	नहीं	सीएसआर00009044	तारा संस्थान	हाँ
22.	द वी फाउंडेशन	स्वास्थ्य	नहीं	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एक वर्ष	1957700.00	978850.00	978850.00	नहीं	सीएसआर00006041	द वी फाउंडेशन	हाँ
23.	टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या	स्वास्थ्य	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	एक वर्ष	10000000.00	10000000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00001287	टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या	हाँ
24.	एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (ए एफ सी एस आर)	कौशल विकास	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	एक वर्ष	50000000.00	50000000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00001076	एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (ए एफ सी एस आर)	हाँ
25.	सी एम सी वेल्लोर	स्वास्थ्य	नहीं	तमिलनाडु	वेल्लोर	एक वर्ष	8037633.00	8037633.00	0.00	नहीं	सीएसआर00000289	सी एम सी वेल्लोर	हाँ
26.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	स्वास्थ्य	नहीं	सम्पूर्ण भारत		एक वर्ष	7394000.00	7394000.00	0.00	नहीं	सीएसआर00000334	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	हाँ
27.	आकांक्षी जिला राजगढ़	आकांक्षी जिला राजगढ़ में विकासात्मक गतिविधियां	नहीं	मध्यप्रदेश	राजगढ़	एक वर्ष	100000000.00	100000000.00	0.00	नहीं	-	आकांक्षी जिला राजगढ़	हाँ
28.	प्रशासनिक व्यय	-	-	महाराष्ट्र	मुंबई	एक वर्ष	2500000.00	1414611.80	1085388.20	नहीं	-	प्रशासनिक व्यय	
कुल							301000000.00	275354853.80	25645146.20				

अनुलग्नक IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

विगत कुछ वर्षों से, वैश्विक व्यापार वातावरण ने कई जटिल चुनौतियों का सामना किया है, जिन्हें अक्सर "बहु-संकट" के रूप में जाना जाता है। ये चुनौतियाँ कोविड -19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित व्यापार नीतियों में अनिश्चितताओं एवं आपूर्ति तथा माँग में उतार-चढ़ाव सहित विभिन्न स्रोतों के कारण उत्पन्न हुई हैं। इन व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक व्यापारिक वस्तु व्यापार में उल्लेखनीय पुनर्गति दर्ज की गई है। वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के दौरान, व्यापारिक वस्तु व्यापार की मात्रा में वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में महामारी-पूर्व उच्चतम मात्रा की तुलना में 6.3% तथा वर्ष 2015 में औसत स्तर की तुलना में 19.1% वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक सेवा व्यापार में भी वर्ष 2019 के दौरान अमरीकी डॉलर मूल्य की तुलना में 21% पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई।

कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में व्यापारिक व्यापार की मात्रा में 15.4% की गिरावट हुई। हालाँकि, व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई तथा वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही तक महामारी के पूर्व स्तर को पार करते हुए 20.6% की वृद्धि दर्ज की गई। महामारी के दौरान तथा यूक्रेन में संघर्ष के दौरान, दवाओं तथा भोजन सहित आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने में व्यापर द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंच गई, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति वर्ष 2023 तक उच्च स्तर पर बनी रही। ब्याज दरों की समान ही ऊर्जा के मूल्यों में भी विलंब प्रतिक्रिया दर्ज की गई, जिससे त्वरित बाजार के मूल्यों में चरम के उपरांत वर्ष 2023 में उपभोक्ता उपयोगिता बिल भी प्रभावित हुए। ऊर्जा की ऊंची कीमतों से रसायनों एवं मध्यवर्ती उत्पादों जैसे ऊर्जा-गहन व्यापार योग्य उत्पादों की उत्पादन लागत भी प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त, उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों से अनुकूल वास्तविक ब्याज दरों के कारण जिससे घरों एवं फर्मों द्वारा उपभोग एवं निवेश निर्णयों प्रभावित हुए।

2023 में, अनुकूल वैश्विक स दे उ वृद्धि एवं प्रतिकूल वैश्विक व्यापारिक वस्तु व्यापार मात्रा वृद्धि के मध्य असमानता, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के दबावों से प्रेरित कठिन मैक्रोइकॉनोमिक स्थितियों के लिए उत्तरदाई रहीं। मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता उत्पादों के प्रकार तथा उनके भौगोलिक वितरण दोनों के संदर्भ में व्यापार प्रभावित रहे। सर्व प्रथम, मुद्रास्फीति के कारण सेवाओं की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं, विशेष रूप से उच्च आयात सामग्री से विनिर्मित वस्तुओं की अधिक संयमित खपत का कारण रही। इसके अलावा

अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ऊर्जा मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण, यूरोपीय संघ के भीतर वास्तविक आय एवं उपभोग पर अधिक स्पष्ट प्रभाव पड़ा।

इसके विपरीत, वर्ष 2024 के दौरान विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि का अनुमान है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में व्यापारिक वस्तु व्यापार की मात्रा में वृद्धि की संभावना है। यदि मुद्रास्फीति में वर्तमान गिरावट जारी रहती है, तो अंततः नीति निर्माताओं द्वारा ब्याज दरों को कम करने की संभावना है। जिसके कारण विलंब से ही क्यों न हो, निवेश व्यय में, मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं व्यापार में वृद्धि की संभावना होगी। जैसे ही लागत दबाव में कमी होगी एवं यूरोपीय संघ में व्यापारिक विश्वास बढ़ेगा, वर्ष 2024 में खपत एवं निवेश के स्थिर होने तथा वर्ष 2025 के दौरान उसके और अधिक शसक्त होने की संभावना है।

वर्ष 2024 के दौरान विश्व व्यापारिक वस्तु व्यापार मात्रा परिदृश्य में 2.6% वृद्धि तथा उसके पश्चात वर्ष 2025 में 3.3% की वृद्धि संभावित है। यह वर्ष 2023 में -1.2% की अपेक्षा से कहीं अधिक गिरावट के उपरांत संभव होगा। वर्ष 2023 के दौरान विशेष रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में वास्तविक आयात मांग के कारण अधिकांश क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, मध्य पूर्व एवं स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) क्षेत्र जहां आयतों में विशेष वृद्धि दर्ज की गई, अपवाद साबित हुए।

वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान, अनुमान है कि मुद्रास्फीति में क्रमशः गिरावट होगी, जिससे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक आय में वृद्धि संभव है। इसके परिणामस्वरूप, विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2024 में व्यापार योग्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि के संकेत पहले से ही स्पष्ट हैं, जिसका श्रेय बेहतर आय परिदृश्यों से जुड़ी घरेलू उपभोग में वृद्धि को दिया जा सकता है।

मुख्य रूप से वर्तमान में जारी भू-राजनीतिक तनाव एवं नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण नकारात्मक जोखिमों का अनुमान है। मध्य पूर्व में व्याप्त संघर्ष के कारण यूरोप तथा एशिया के मध्य समुद्री पोतलदानों को बाधित किया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में तनाव, व्यापार विखंडन का कारण साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि एक अन्य जोखिम को उत्पन्न करती है जिसके कारण वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान व्यापार की पुनः गति के प्रतिबंधित होने की संभावना है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था – दृष्टिकोण

पिछले वर्ष पर एक नज़र डालने पर, जो मुद्दा सबसे अधिक उभर कर सामने आता है, वह है वैश्विक अर्थव्यवस्था को नवरूप देने वाले विषयों की व्यापक संख्या एवं विविधता। मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर कृत्रिम बौद्धिकता एवं सैन्य संघर्षों जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति, अस्थिरता दृष्टव्य हुई। पिछले 12 महीनों में दृष्टव्य परिवर्तनों में न केवल व्यावसायिकों एवं व्यवसायों के लिए बल्कि व्यक्तियों एवं समुदायों के लिए भी बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के अनुसार 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 3.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवथाओं में 1.6% की प्रतिशत की वृद्धि के साथ साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक स दे उ में वृद्धि 3.2% पर स्थिर रहेगी। वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान 4.2% की वास्तविक स दे उ वृद्धि के साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाएं पुनः प्रमुख सहायक साबित होंगी। वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वृद्धि दर क्रमशः 1.7% तथा 1.8% रहने का अनुमान है।

वर्ष 2024 के दौरान भारत द्वारा में सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 7.8% की उच्चतम विकास दर दर्ज करने की संभावना है। वर्ष 2024 के दौरान भारत की विकास दर 6.8% एवं 2025 के दौरान 6.5% रहने का अनुमान है, परंतु अपने क्षेत्रीय समकक्षों तथा उभरते बाजार समूह की तुलना में भारत का बेहतर निष्पादन जारी रहेगा। वर्ष 2023 के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई एवं वर्ष 2024 में 4.4% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2023 के दौरान अफ्रीका के लिए 3.2% तथा वर्ष 2024 के दौरान 3.5% डेटापॉइंट रहे।

इस बीच, मुद्रास्फीति वर्ष 2022 के उच्च स्तर की तुलना में कम हो गई है। वर्ष 2022 के दौरान विश्व भर में मुद्रास्फीति 8.7% की तुलना में कम हो कर वर्ष 2023 में 6.8% हो गई। अनुमान है कि 2024 में इसके और कम हो कर 5.9% तथा वर्ष 2025 तक 4.5% होने की संभावना है। वर्ष 2023 में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने 4.6% की मुद्रास्फीति दर दर्ज की, जबकि उभरते एवं विकासशील देशों द्वारा 8.3% पर उच्च स्तर के मूल्य दबाव का अनुभव किया गया। उभरते बाजारों के लिए वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति के 8.3% होने की संभावनाहै। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को मूल्य दबावों से कुछ राहत मिलने की संभावना है; उनकी मुद्रास्फीति दर वर्ष 2024 के दौरान 2.6% तथा वर्ष 2025 के दौरान 2% होने का अनुमान है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति यदि समायोजनात्मक नहीं रही तो वर्ष 2024 में प्रतिबंधात्मक से तटस्थ, रहेगी। इससे उपभोग, निवेश तथा साथ ही व्यापार गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है।

आगामी वर्ष के दौरान भू-राजनीतिक अनिश्चितता, मौद्रिक नीति परिवर्तन, प्रमुख चुनाव एवं कृत्रिम बौद्धिकता प्रौद्योगिकियों में विकास संभव है। वर्ष 2024 के दौरान वैश्विक आर्थिक प्रगति को, नियमित सैन्य तनाव एवं उसके परिणामस्वरूप अनिश्चितता के निरंतर बने रहने के जोखिम संभावित हैं। प्रत्यक्ष संपार्श्विक क्षति एवं मानव जीवन की हानि के अतिरिक्त, राजनयिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, व्यापार संचालन एवं आपूर्ति श्रृंखला तंत्र पर इसके प्रभाव परिलक्षित होंगे। वर्ष 2024 के दौरान 50 से अधिक प्रमुख देशों में चुनाव आयोजित होंगे। परिणाम न केवल वैश्विक आर्थिक एवं नीतिगत रुझानों को बल्कि सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित करेंगे। अंत में, कृत्रिम बौद्धिकता प्रौद्योगिकियों में तेजी से प्रगति जारी रहने की संभावना है। इससे वित्त, विनिर्माण, व्यापार तथा वाणिज्य जैसे उद्योगों में पहले से ही हुए बड़े व्यवधानों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

संगठनात्मक संरचनाओं तथा व्यावसायिक प्रक्रियाओं में इन प्रौद्योगिकियों तथा उपकरणों का गहन एकीकरण अपरिहार्य अंग होगा।

भारत का विदेश व्यापार

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत का कुल निर्यात (व्यापार एवं सेवाएं) अप्रैल से फरवरी के दौरान 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹64,30,300 करोड़) होने का अनुमान है, जो वर्ष 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 0.04% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान कुल आयात 854.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹70,77,072 करोड़) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का व्यापारिक वस्तु निर्यात 437.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹36,18,513 करोड़) रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹36,18,513 करोड़) था, जिसमें डॉलर के संदर्भ में 3.11 % एवं रुपये के संदर्भ में 0.21% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 121.62 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल व्यापार घाटे की तुलना में 78.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 में 264.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में व्यापारिक वस्तु व्यापार घाटे में 9.33% के साथ इसके 240.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष प्रति वर्ष व्यापारिक निर्यात वृद्धि के मुख्य कारक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (23.64%), औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स (9.67%), इंजीनियरिंग वस्तुएं (2.13%), लौह अयस्क, वस्त्र एवं सिरेमिक उत्पाद तथा कांच के निर्मित वस्तुएं रही।

कंपनी के परिचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसीयां

निर्यात प्राप्य अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसीयां – एस टी-पॉलिसी) के लिए कंपनी के रक्षा का लाभ उठाने वाले विशिष्ट निर्यातकों की संख्या दिनांक 31 मार्च 2024 तक 7221 रही, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को 7039 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी एवं नवीनीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 11,610 की तुलना में जारी एवं नवीनीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 11723 रही। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लागू एस टी-पॉलिसीयों की संख्या 11268 थी, जिसमें कुल अधिकतम देयता (एम एल) ₹56278.00 करोड़ थी, जो पॉलिसीयों की संख्या में 2% की एवं कुल एम एल में 6% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान जारी की गई नई पॉलिसीयों की कुल संख्या 4189 रही, जिनमें से 1541 सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) पॉलिसीयां थीं।

'छोटे निर्यातक' से संबंधित विशिष्ट निर्यातकों (अर्थात पॉलिसी रक्षा के साथ निर्यातक, जिन्हें ₹40 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर एम एल के साथ रक्षा प्राप्त है) का हिस्सा, कंपनी के पॉलिसी उत्पादों को अलग-अलग निर्यातक ग्राहकों की कुल संख्या 31 मार्च 2023 के अनुरूप ही दिनांक 31 मार्च 2024 को 97% रही।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक कुल प्रभावी पॉलिसियों में घोषणा आधारित जैसे पोतलदान (व्यापक जोखिम) (एस सी आर) पॉलिसियां, निर्यात पण्यावर्त पॉलिसियां (ई टी पी), सेवा पॉलिसियां, लघु निर्यातक पॉलिसियां (एस ई पी), खरीदारवार पॉलिसियां, परेषण पॉलिसियां आदि 52% पर एक बड़ा हिस्सा साबित हुई। दिनांक 31 मार्च, 2024 को लागू घोषणा-आधारित पॉलिसीयों की कुल संख्या 31 मार्च, 2023 को ₹32631.22 करोड़ रुपये के कुल एम एल के साथ, घोषणा-आधारित पॉलिसीयों की संख्या 5637 की तुलना में ₹34997.04 करोड़ के कुल एम एल के साथ 5805 रही, जो की पॉलिसियों की संख्या में 3% एवं एम एल में 1.03% की वृद्धि को दर्शाता है। 62 दिनों की औसत ऋण अवधि के साथ ₹3,39,995 पोतलदानों की घोषणा की गई। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंत में, जोखिम आधारित पॉलिसियों जैसे बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी, सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (बहु खरीदार), सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (विशिष्ट ग्राहक), का 48% की हिस्सेदारी रही। दिनांक 31 मार्च 2024 के दौरान प्रभावी पॉलिसियों जैसे एम पी ई बी, एस बी ई पी, एम आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि 31 मार्च 2023 तक ₹23,646.80 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ प्रभावी 5399 पॉलिसियों की तुलना में ₹24,727.38 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ 5463 पॉलिसियाँ प्रभावी रहीं जो कि संख्या में 1% की वृद्धि एवं औसत अधिकतम देयता में 5% की वृद्धि को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि पॉलिसीयों के अंतर्गत संरक्षित कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹3,21,767.10 करोड़ की तुलना में ₹3,56,866.70 करोड़ रहा, जिससे 11% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि-पॉलिसीयों के अंतर्गत प्रीमियम आय 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में ₹540.22 करोड़ की तुलना में ₹572.01 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि-पॉलिसीयों के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदत्त ₹191.31 करोड़ के कुल 421 दावों की तुलना में ₹282.98 करोड़ रु के कुल 466 दावों की अदायगी की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संरक्षित कुल कारोबार में से, अल्पावधि-पॉलिसी (घरेलू ऋण बीमा पॉलिसी) के अधीन जोखिम मूल्य ₹1273.33 करोड़ तथा प्रीमियम आय ₹1.13 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि -पॉलिसी के अधीन 83% की वृद्धि दर्शाते हुए कुल ₹19.35 करोड़ की वसूली की गयी जबकि पिछले वर्ष यह ₹10.55 करोड़ रही।

ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की गई, जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से तैयार की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ, आई आर डी ए द्वारा दो अनुमोदित अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण समाहित होते हैं जिसे "आधार" पॉलिसी माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹13,658.41 करोड़ की अधिकतम देयता / सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 462 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में ₹15,113.75 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 417 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियां जारी की गईं। दिनांक 31 मार्च 2024 तक, पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च 2023 के ₹13,205.56 करोड़ अधिकतम देयता / सकल हानि सीमा (एम एल / ए एल एल) के साथ 442 सी एस सी पॉलिसियों की तुलना में ₹14,601.45 करोड़ अधिकतम देयता / सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 396 सी एस सी पॉलिसियां सक्रिय रहीं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹167.86 करोड़ की तुलना में ₹187.55 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹28.50 करोड़ रु की तुलना में कुल ₹91.72 करोड़ के दावों की अदायगी की गई।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) रक्षाएं[

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 3.94% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ₹632.54 करोड़ की तुलना में ₹657.47 करोड़ की कुल प्रीमियम आय रही। ईसीआईबी के अधीन संरक्षित बैंकों द्वारा निर्यात ऋण संवितरण में प्रतिकूल वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में वृद्धि प्रभावित रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम के 52% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों को प्रदत्त दावों की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदत्त कुल ₹415.70 करोड़ रु के 123 दावों की तुलना में ₹158.34 करोड़ रु ले 71 दावे रहे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दावों की अदायगी के लिए ली गई औसत अवधि पिछले वित्तीय वर्ष की 57.08 दिनों की तुलना में 54.85 रही।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई विभिन्न ईसीआईबी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद (ए डी पी) तथा एकल रक्षाओं के लिए बैंकों द्वारा सूचित अनुसार उच्चतम बकाया राशि (एच ए ओ) के आधार पर की जाती है, में 10.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹84,746 करोड़ रु की तुलना में औसतन ₹93,313

करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 31 मार्च 2024 तक इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खातों की संख्या पिछले वर्ष 31 मार्च 2023 के 13,091 की तुलना में 12,484 रही। इस रक्षा के अंतर्गत कुल 8,800 विभिन्न निर्यातकों (पिछले वर्ष 9004) को रक्षा प्रदान की गई जिसमें से 85% छोटे निर्यातक (यथा-ऐसे निर्यातक खाते जिन पर मंजूर सीमा 80 करोड़ रु या उससे कम थी) रहे। अनुमान है कि पिछले वर्ष ₹3,38,984 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹3,73,254 करोड़ मूल्य के निर्यात ऋण अग्रिमों पर रक्षा प्रदान की गई। यह अनुमान भा रि बैं तथा 90 दिनों के अल्पावधि निर्यातों के अधीन कारोबार चक्र की गणना के आधार पर किये गए हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना, चार के घटक को कम्पनी द्वारा संरक्षित बकाया निर्यात ऋण से गुणित कर की गई है।

बैंकों द्वारा प्रस्तुत बीमांकन आवेदनों पर अनुमोदन प्रक्रिया हेतु लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए, 30 मई, 2023 से, सीमाओं के अनुमोदन के लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन को संशोधित किया गया। बोर्ड की मंजूरी के साथ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सौंपे गए अधिकारों में ₹200 करोड़ से वृद्धि कर ₹300 करोड़ किया गया।

ईसीआईबी-डब्ल्यूटी के अधीन जुलाई 2022 में विनिर्माता -निर्यातक खातों के लिए आरंभ किए गए 90% की वर्धित रक्षा योजना, जिसकी अधिकतम सीमा/जोखिम 20 करोड़ रुपये थी, में जुलाई 2023 में वृद्धि कर बैंकिंग उद्योग हेतु 50 करोड़ रुपये तक की सीमा/जोखिम किया गया। ट्रेडर / व्यापारी निर्यातक तथा रत्न, आभूषण एवं हीरा (जीजेडी) खातों को उक्त योजना के सीमा क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह योजना बैंकों को निर्यातकों को कम ब्याज दरों का लाभ देने में सक्षम बनाती है। बारह बैंकों, अर्थात् केनरा बैंक, इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, यूको बैंक, भा स्टे बैंक तथा सीएसबी लिमिटेड द्वारा ईसीआईबी-डब्ल्यूटी योजनाओं के अधीन वर्धित रक्षाओं का विकल्प चयनित किया गया है।

बारह राष्ट्रीयकृत बैंकों, नौ निजी क्षेत्र तथा सहकारी बैंकों के लिए संपूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण (डब्ल्यूटीपीसी) एवं संपूर्ण पण्यावर्त पोतलदानोत्तर (डब्ल्यूटीपीएस) रक्षा का नवीकरण किया गया। 31 मार्च, 2024 तक कुल 42 ईसीआईबी-डब्ल्यूटी रक्षाएं लागू थी। 31 मार्च 2024 तक लागू ईसीआईबी-एकल रक्षा की संख्या 41 थी। बैंकों के दावों पर प्रक्रिया हेतु 01 मार्च 2024 से सरलीकृत प्रक्रिया आरंभ की गई जिससे डब्ल्यूटी-ईसीआईबी के अधीन बैंकों द्वारा प्रस्तुत दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके तथा यह उन उधारकर्ता खातों के संबंध में लागू होगी जिनमें प्रति निर्यातक/निर्यातक-समूह कुल निर्यात ऋण कार्यकारी पूंजी (पैकिंग ऋण तथा / अथवा पोतलदानोत्तर) सीमा ₹5 करोड़ तक है।

विगत वर्षों के अनुरूप उच्च मूल्य वाले खातों के बीमांकन के संबंध में उचित जोखिम शमन उपाय जारी रखे गए।

वर्तमान वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई वसूली वित्तीय वर्ष वर्ष 2022-23 के दौरान ₹136.84 करोड़ की तुलना में ₹124.65 करोड़ रही।

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्यम व दीर्घावधि (एमएलटी) कारोबार से प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹28.81 करोड़ रुपये की तुलना में ₹41.28 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय परियोजना निर्यातक को प्रदत्त ऋण सुविधा के लिए भारतीय एक्ज़िम बैंक को ₹9.03 करोड़ रु (ईसीआईबी के अधीन) के एक दावे की अदायगी की गयी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा पांच देशों तंजानिया, जॉर्जिया, बुर्किना फासो, मॉलडोवा तथा नेपाल में प्रमुख व्यवसाय का जोखिम अंकन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एमएलटी परियोजना निर्यातकों को पिछले वित्तीय वर्ष में जारी 12 ऋण बीमा पॉलिसी की तुलना में 33 ऋण बीमा पॉलिसियाँ जारी की गईं, जिनके अधीन उनके द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनीतिक एवं व्यापक जोखिमों को रक्षित किया गया। रक्षा प्रदान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं, विद्युत पारेषण एवं वितरण, जल विद्युत उपकरण तथा पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अंतर्गत जारी की गई रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 47 की तुलना में 39 रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विदेशी निवेश बीमा योजना एवं खरीदार ऋण व्यवस्था के अधीन कोई रक्षा जारी नहीं की गई।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (जीओआई) द्वारा राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय मध्यम एवं दीर्घावधि निर्यात (एमएलटी) / परियोजना निर्यात के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। 31 मार्च, 2024 तक ट्रस्ट को कुल ₹ 4,741 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ट्रस्ट द्वारा एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण व्यवस्था योजना के अधीन घाना, श्रीलंका, सूरीनाम तथा जाम्बिया को प्रदत्त सुविधाओं के अधीन इंडिया एक्ज़िम बैंक को 1,907.80 करोड़ रुपये के नौ दावों का निपटान किया गया है। ट्रस्ट की कुल बीमांकन क्षमता ₹ 80,000.00 करोड़ है, जिसमें से 25% राशि अर्थात ₹ 20,000.00 करोड़ का निर्धारण कंपनी द्वारा जारी एमएलटी रक्षाओं पर जोखिम साझा करने हेतु किया गया है। 54 देशों में ₹43,571 करोड़ के कुल 213 परियोजनाओं को सहायता करने के उद्देश्य से 331 रक्षाओं पर कुल ₹14,153.77 करोड़ के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹ 80,000.00 करोड़ का शेष 75% राशि अर्थात ₹ 60,000.00 करोड़ एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) के लिए निर्धारित किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक, ट्रस्ट द्वारा कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे देशों में ₹18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए कुल ₹25,091 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ 28 ख्खरीदार ऋण व्यवस्था रक्षाएं जारी की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मंजूर किए दावों एवं ट्रस्ट द्वारा जारी/समर्थित रक्षा के अधीन रिपोर्ट की गई चूक के

प्रावधान को देखते हुए, 31 मार्च, 2024 तक बीमांकन हेतु उपलब्ध शेष अतिरिक्त निधि 'शून्य' है। भारत सरकार ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापक है तथा ईसीजीसी इसकी प्रबंधन एजेंसी है।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी करती है। कंपनी ट्रस्ट द्वारा अर्जित गारंटी शुल्क आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त करती है एवं वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट से अपने प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹ 0.66 करोड़ प्राप्त किए।

फैक्टरिंग

पूर्ण परिपक्व फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस)

निदेशक मंडल द्वारा 13 मई 2014 को सम्पन्न उसकी बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों हेतु पूर्ण परिपक्व फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस) को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा तीन निर्यातकों को लाभान्वित करने वाले तीन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹3.61 करोड़ की राशि के 13 बिलों की तुलना में ₹4.59 करोड़ के 10 बिलों को फैक्टर किया गया है, जो व्यापार मूल्य में 27.15 % की वृद्धि दर्शाता है।

फ़ैक्टर्स को रक्षा

फैक्टरिंग कंपनियों को उनके द्वारा फैक्टर किए गए निर्यात प्राप्तियों के संबंध में गैर-भुगतान के जोखिम का सामना करना पड़ता है, इस कारण से कि आयात फेक्टर कभी-कभी उपलब्ध नहीं होता है अथवा महंगा होता है।

निदेशक मंडल तथा आईआरडीएआई के उचित अनुमोदन के साथ, कंपनी द्वारा अपने एमएसएमई निर्यातक-ग्राहकों से संबंधित निर्यात बिलों के लिए फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों को जारी किए जाने वाले निर्यात प्राप्यों (फैक्टर रिस्क) बीमा समझौता रक्षा को आरंभ किया गया।

"निर्यात प्राप्य (कारक का जोखिम) बीमा समझौता" यह उत्पाद फेक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों की रक्षा के लिए है, जिसमें उनके द्वारा निर्यातकों को 'फैक्टरिंग' के माध्यम से दिया गया वित्तीय खरीदार के जोखिमों एवं राजनीतिक जोखिमों के कारण अप्राप्त रहता है। वर्ष के दौरान कई फैक्टरिंग कंपनियों द्वारा डीटीए के लिए रक्षा के साथ साथ गिफ्ट सिटी, आईएफएससी के जरिए फैक्टरिंग व्यवसाय के लिए अपनी रुचि दिखते हुए हेतु ईसीजीसी से संपर्क किया गया है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस उत्पाद के अधीन व्यवसाय आरंभ किए जाने की संभावना है।

निवेश

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयरों, सावधि जमा आदि में कंपनी का निवेश पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2023 को ₹15,575.82 करोड़ की तुलना में ₹16,133.94 करोड़ रहा, जो ₹558.12 करोड़ अर्थात 3.58 % की वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि अतिरिक्त पूंजी के प्रवाह एवं निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण हुई थी।

कंपनी द्वारा निवेश के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 45% के मुकाबले अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत निवेश 70.20 फीसदी रहा। 31 मार्च, 2022 तक, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित अधिकतम 15% की नियामक सीमा की तुलना में कंपनी के पास "स्वीकृत निवेश के अलावा" के रूप में वर्गीकृत उपकरणों में केवल 1.52% का जोखिम है।
इसके अलावा, कंपनी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में से 95.60 % निवेश सरकारी प्रतिभूतियों तथा एएए रेटिंग वाले डिबेंचर में हैं, जबकि आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक सीमा 65% है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 निवेश संचालन से उत्पन्न आय (निवेश की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1133.85 करोड़ से 6.35% बढ़कर ₹1205.89 करोड़ हो गई। वर्ष के दौरान निवेश आय में वृद्धि मुख्य रूप से ऊपर उल्लिखित निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में वृद्धि के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निवेश पर प्राप्त आय पिछले वर्ष के 7.81% की तुलना में 7.83% रही। कंपनी के निवेश संचालन मुख्य रूप से दावा भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं प्राप्यों के मध्य समझौताकारी समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है।

खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार हामीदारी विभाग (बीयूडी) की भूमिका विभिन्न मापदंडों के आधार पर समग्र ऋण सीमा का निर्धारण कर एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीदारों पर ठोस हामीदारी निर्णय सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर नवीनतम ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाता है। सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए आंकड़ों एवं स्कोरकार्ड रेटिंग के आधार पर तैयार खरीदारों के संव्यवहार की रिपोर्ट एवं समीक्षा तथा स्कोर कार्ड में निर्धारित मार्गदर्शक सीमाओं के आधार पर विदेशी खरीदारों के लिए समग्र ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित अनुसार विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्ट को डिजिटलाइज़ किया गया है ताकि सिस्टम में अधिकारियों को बीमांकन के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी नयी ऋण सूचना एजेंसी को सूचीबद्ध नहीं किया गया है एवं ऋण सूचना एजेंसियों की कुल संख्या 11 पर यथावत बनी हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त सीमा आवेदनों की संख्या पिछले वर्ष के 32,811 की तुलना में 7.45% की वृद्धि दर्ज करते हुए 35,255 रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विदेशी खरीदारों के लिए निर्धारित कुल समग्र सीमा पिछले वर्ष के 80,192 ख़रीदारों के लिए ₹67,791 करोड़ की तुलना में 85,728 ख़रीदारों के लिए ₹66,608 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के डेटाबेस में जोड़े गए नए खरीदारों की कुल संख्या पिछले वर्ष 19,923 खरीदारों की तुलना में 16.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 23,221 रही।

वर्ष के दौरान अल्पावधि पॉलिसी कारोबार के अधीन प्राप्त साख सीमा आवेदनों, ख़रीदारों की संख्या जिन पर समग्र सीमा का निर्धारण किया गया एवं शामिल नए ख़रीदारों की संख्या में 5.91 की वृद्धि दर्ज की गई।

देश बीमा

देश बीमा में राजनीतिक तथा आर्थिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं अधिकता का निर्धारण किया जाता है। इसका विदेशों में व्यापार जोखिम के स्तर की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। देश बीमा हामीदारी विभाग का मुख्य कार्य देशों के जोखिमों का आकलन एवं मूल्यांकन है। इससे ईसीजीसी, निर्यातकों एवं अन्य हिताधिकारियों को देश के जोखिम स्तर के सही आंकलन में सहायता मिलती है।

कंपनी के पास इन-हाउस निष्पक्ष अंकन प्रणाली है जो 'ए 1' (महत्वहीन जोखिम), 'ए 2' (कम जोखिम), 'बी 1' (मध्यम रूप से कम जोखिम) , 'बी2' (मध्यम जोखिम), 'सी1' (मध्यम रूप से उच्च जोखिम), 'सी2' (उच्च जोखिम) एवं 'डी' (बहुत अधिक जोखिम) के सात स्तरीय वर्गीकरण के आधार पर देशों के जोखिम स्तर की समीक्षा एवं मानचित्रण करती है। अंकन प्रणाली के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक तथा व्यापार जोखिमों सहित कई मापदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त देश वर्गीकरण के आधार पर प्रीमियम दर, रक्षा के प्रकारों के निर्धारण निर्यात गंतव्यों पर किए जाने वाले संव्यवहार के बीमांकन क्षमता की गणना की जाती है। कंपनी के उत्पाद को, कंपनी द्वारा प्रदान की गयी रक्षा की अवधि के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है- अल्पावधि (अ अ) एवं मध्यम व दीर्घावधि (म व दी अ), किसी देश का जोखिम स्तर समय सीमा के आधार पर भी प्रभावित होता है। अतः दो अलग-अलग जोखिम अंकन मॉडल का उपयोग किया जाता है - अर्थात् अल्पावधि एवं मध्यम व दीर्घावधि देश जोखिम अंकन मॉडल। निविष्टियों एवं घटक पैरामीटरों पर भारित अंकों सहित दोनों अंकन प्रणालियों के मध्य कई अंतर हैं।

देशों का जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्ध-वार्षिक तथा यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम आर्थिक और राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर किया

जाता है। किसी देश का जोखिम वर्गीकरण उस देश पर संरक्षित समव्यवहारों के संबंध में प्रीमियम के राजनीतिक जोखिम घटक को प्रभावित करता है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जोखिम वर्गीकरण वर्तमान स्थिति को सटीक रूप से दर्शाये।

देश जोखिम वर्गीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान :

(क) नवीनतम वार्षिक समीक्षा मई 2023 में की गई तथा अर्धवार्षिक समीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित की गई।

(ख) कंपनी द्वारा समीक्षा किए गए देशों की कुल संख्या 239 रही।

(ग) 31/03/2024 तक देश जोखिम वर्गीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

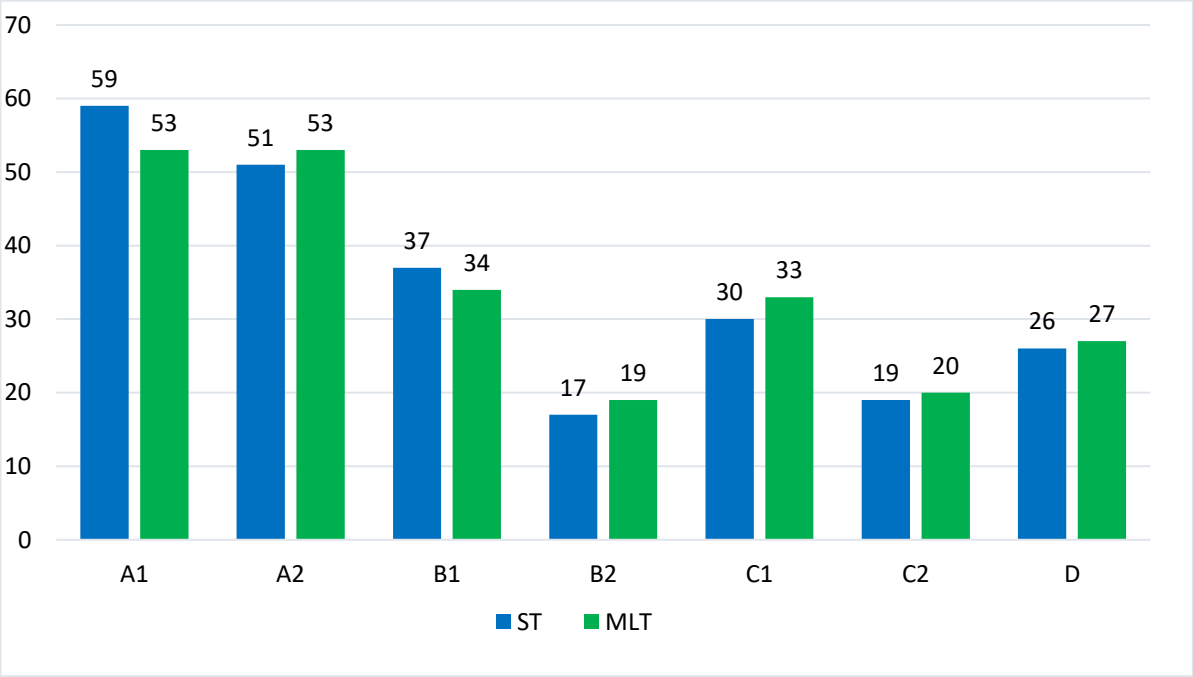

	ए1	ए 2	बी1	बी2	सी1	सी2	डी
लघु अवधि	59	51	37	17	30	19	26
मध्यम एवं दीर्घावधि *	53	53	34	19	33	20	27

*09.08.2019 से पाकिस्तान म व दी अ रक्षा से बाहर हो गया है।

देश रक्षा

इसके अतिरिक्त, 239 देशों को खुला रक्षा श्रेणी, प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- I (जहां परिक्रामी सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए मान्य हैं) तथा प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- II (जहां मामला-दर-मामला आधार पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) के अंतर्गत रखा गया है ताकि इन देशों में जोखिम की प्रभावी निगरानी की जा सके। 31.03.2024 तक, 182 देशों को खुली रक्षा में, 31 देशों को प्रतिबंधित रक्षा की श्रेणी- I में तथा 26 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- II में रखा गया।

देश जोखिम सीमा

देश जोखिम सीमा (सीईएल) वाणिज्यिक तथा राजनीतिक दोनों जोखिमों के अंतर्गत किसी भी समय किए गए निर्यात के लिए किसी देश पर कंपनी द्वारा स्वीकार की जाने वाली कुल देयता का निर्धारण करती है।

जोखिमों की उचित निगरानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अलग-अलग देश-वार सीमा (सीओएल) जारी करने के लिए आवंटित उप-सीमाओं के साथ सीईएल को एक व्यापक सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। देश जोखिम वर्गीकरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, कंपनी की जोखिम क्षमता में होने वाले किसी भी परिवर्तन को दर्शाने तथा ऐसे देशों पर जोखिम की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।

सीईएल की वार्षिक एवं साथ ही आवश्यकता के आधार पर, जब अचानक पारिस्थितिक-राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर किसी देश की जोखिम रेटिंग में संशोधन किए जाने पर, समीक्षा की जाती है।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा मध्यम एवं दीर्घावधि रक्षाओं सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जीआईसी रे से अनिवार्य 4% पुनर्बीमा (क्यूएस) रक्षा को छोड़ कर (न ही कोटा शेयर – क्यू एस एवं न ही हानि की अधिकता) के लिए किसी प्रकार की पुनर्बीमा व्यवस्था नहीं की गई है। कंपनी द्वारा किसी प्रकार की पुनर्बीमा व्यवस्था नहीं किए जाने का कारण है कि न तो पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त प्रस्ताव कंपनी की अपेक्षाओं के अनुरूप थे एवं न ही उनमें कंपनी के बेहतर निष्पादन को देखते हुए उपयुक्त शर्तें शामिल थीं। इस प्रकार, कंपनी द्वारा स्वयं ही 96% जोखिम धारित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन की सीमा में कंपनी द्वारा किए गए जोखिम अंकन के समग्र स्तर की पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण एवं हस्तांतरण शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन गतिविधियां कंपनी को अपनी बीमांकन नीति एवं इसकी रक्षा की शर्तों, जोखिम मूल्यांकन, नियामक

आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता तथा दीर्घावधि स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं। छह दशकों से अधिक समय में विकसित, वर्तमान संगठन संरचना एवं प्रथाओं में वे मौलिक संरचनाएं निहित हैं जो जोखिम कार्यों पर स्थापित की जा सकती हैं। कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड तैयार कर प्रस्तुत किए गए हैं एवं एक निर्यातक, एक निर्यातक समूह, एक खरीदार, एक उद्योग एवं एक देश के लिए निश्चित जोखिम सीमा का निर्धारण किया गया। एक पोर्टफोलियो के जोखिम का प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी द्वारा बैंकों को जारी किए गए सम्पूर्ण पण्यावर्त रक्षा के अंतर्गत रत्न, आभूषण व हीरा क्षेत्र के लिए नए निर्यात ऋण सीमाओं पर अस्थायी निलंबन को आरंभ करते हुए एवं देश जोखिम सीमा के निर्धारण के लिए मानदंड प्रस्तुत करते हुए जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया। कंपनी की बैंकों के लिए सम्पूर्ण पण्यावर्त निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना के अंतर्गत रत्न, आभूषण एवं हीरे (जीजेडी) खातों पर रक्षा प्रदान करने हेतु बीमांकन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रति निर्यातक / निर्यातक-समूह के लिए, कंपनी की संपूर्ण-पण्यावर्त-निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना अधीन जीजेडी खातों पर रक्षा हेतु ₹100 करोड़ तक की सीमा के अनुमोदन हेतु बीमांकन दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया। इन निर्यातक खातों पर देय प्रीमियम में बिना किसी परिवर्तन के प्रति निर्यातक समूह पर ₹100 करोड़ तक की सीमा तक सामान्य रक्षा उपलब्ध की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसियों एवं मध्यम व दीर्घावधि निर्यात संव्यवहार के अंतर्गत खरीदारों/साख पत्र खोलने वाले बैंकों पर जोखिम सीमा के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आगे पुनः संशोधित किया गया। कंपनी द्वारा अल्पावधि ईसीआईबी योजनाओं के अंतर्गत एकल निर्यातक / निर्यातक समूह के अधीन एवं उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम सीमाओं के मानदंडों की भी समीक्षा की गई। एन ई आई ए ट्रस्ट से नए जोखिमों पर किसी प्रकार की सहायता न मिल पाने के कारण कंपनी द्वारा अपनी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अधीन मध्यम व दीर्घावधि निर्यात समव्यवहारों के अधीन अपने विवेकपूर्ण सीमाओं को संशोधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी द्वारा एकल/निर्यातकों समूह के लिए अल्पावधि ईसीआईबी योजनाओं के अधीन जोखिम सीमा की समीक्षा की गई एवं उसमें विस्तार किया गया। हालांकि, ऐसे उच्च जोखिमों पर कंपनी के साथ उसके संतोषजनक अनुभव के आधार पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा, एवं इस प्रकार की वर्धित जोखिम सीमा लौह अयस्क, खनिज एवं कृषि जैसे क्षेत्रों पर लागू अथवा प्रभावी नहीं होगी।

अल्पावधि पॉलिसी रक्षा के अधीन एक सूचित एवं दूरदृष्टि पूर्ण निर्णय हेतु, कंपनी द्वारा निर्यातकों के मूल्यांकन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्यातक स्कोर कार्ड अंकन

मॉडल (ईएससीआरएम) आरंभ किया गया। मॉडल के उपयोगी साबित होने पर नियमित अंतराल पर इसकी समीक्षा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई तथा कंपनी के जोखिम प्रबंधन के सीमक्षेत्र को और अधिक विस्तारित किया गया एवं उसे सशक्त किया गया। कंपनी द्वारा अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के जरिए जोखिम प्रोफ़ाइल को विनियमित करने के उद्देश्य से एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली की स्थापना भी की जा रही है।

कंपनी द्वारा सूचना एवं साइबर सुरक्षा जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु काफी ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी द्वारा कई सशक्त सुरक्षा नियंत्रण लागू किए गए हैं एवं एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) संरचना को स्थापित किया गया है। कंपनी द्वारा उत्तम रूप से परिभाषित व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) संरचना को भी स्थापित किया गया है। अप्रैल 2023 के आईआरडीएआई द्वारा जारी संशोधित सूचना एवं साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुकरण में कंपनी द्वारा वार्षिक साइबर सिक्यूरिटी अश्योरंस ऑडिट करने के लिए सर्ट-इन में सूचीबद्ध लेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया है।

वसूली

अल्पावधि ईसीआईबी: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किए गए दावों एवं लंबित दावों पर पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की ₹136.85 करोड़ तुलना में ₹125.65 करोड़ की राशि की वसूली की गई।

अल्पावधि पॉलिसी: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की ₹10.55 करोड़ की तुलना में, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों पर ₹19.35 करोड़ की वसूली की गई।

मध्यम एवं दीर्घ अवधि पॉलिसी: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की ₹22.11 करोड़ की वसूली की तुलना में भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों के अंतर्गत ₹29.90 करोड़ की वसूली हुई।

पॉलिसी एवं ईसीआईबी के अधीन वसूली में सुधार हेतु की गई पहल:

पॉलिसी

नई ऋण वसूली एजेंसियों (डीसीए) को सूचीबद्ध किया जा रहा है एवं पहले से ही पैनल में शामिल डीसीए के निष्पादन पर नज़र रखी जा रही है। पॉलिसीधारक जो चूक की रिपोर्ट करते हैं उन्हें डीसीए के साथ मामलों को चूक चरण में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे वसूली में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ईसीआईबी

प्र का द्वारा सभी मामलों की निगरानी की जा रही है एवं ऐसे मामलें जहां बैंकों द्वारा वसूली की जानकारी साझा नही की जा रही हैं अथवा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है उन मामलों का हमारे वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके निपटान किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम पर अद्यतित जानकारी

कंपनी द्वारा अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) रिवैम्प परियोजना को फरवरी, 2024 से बीटा रन तक आगे बढ़ा दिया गया है। ईसीजीसी के विषय विशेषज्ञों (एसएमई) द्वारा पहले ही अल्पावधि पॉलिसी रक्षा, अल्पावधि ईसीआईबी रक्षा, खरीदार हामीदारी गतिविधियों, देश हामीदारी प्रक्रियाओं एवं लेखांकन गतिविधियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एकीकृत परीक्षण के दो दौर आयोजित किए हैं एवं समाधान के लिए डेवलपर टीम द्वारा परीक्षण फीडबैक पर कार्य किया जा रहा है। अद्यतित योजना के अनुसार, मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को रक्षित करने वाली स्माइल परियोजना की कुल 64 सेवाओं को पायलट रन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जारी किया जाना निर्धारित है।

विपणन एवं जनसंपर्क

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार व इससे संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की ज़िम्मेदारी शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण करना है एवं इसके द्वारा विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ निष्पादन की भी निगरानी की जाती है। प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/विभागों के प्रमुखो के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की समीक्षा भी करता है जिसकी अध्यक्षता अ प्र नि/का नि द्वारा की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने मूल कारोबार पर ध्यान देते हुए ,कई निर्यात संवर्धन परिषदों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि के साथ निर्यात ऋण जोखिम बीमा गतिविधियों को भी जारी रखा जाता है।

विपणन प्रयासों में विस्तार हेतु, निर्यातकों एवं बैंकरों के लिए बीमा शिक्षा / जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कौशल विकास कार्यक्रम, कॉर्पोरेट ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट भी की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ग्राहकों को पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों सहित मुख्य अनुपालनों पर शिक्षित करने के उद्देश्य से 240 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। सेवा तंत्र के जरिए 7000 से अधिक ग्राहकों एवं

संभाव्य ग्राहकों से निजी रूप से भेंट की गई। विभिन्न व्यपार संगठनों जैसे फियो, सी आई आई, आई सी सी, आई एम सी इत्यादि के साथ 75 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

प्रमुख समाचार पत्रों जैसे इकोनोमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस इत्यादि की वैबसाइट पर कंपनी के विज्ञापन प्रदर्शन के जरिए सक्रिय रूप से डिजिटल मार्केटिंग भी की गई।

कॉर्पोरेट योजना

कॉर्पोरेट योजना की अवधारणा को संसाधनों- वित्तीय, जनशक्ति एवं प्रबंधकीय को योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने हेतु निर्देशित करना है। कॉर्पोरेट योजना कंपनी के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान उसके लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा है। इसमें योजना में कम्पनी का स्वाट विश्लेषण एवं कंपनी के निष्पादन की समीक्षा, विदेशी समकक्षों से तुलना, कारोबार प्रवृत्तियाँ एवं अगले पाँच वर्षों के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुमान शामिल हैं। अनुमानों में मुख्य रूप से कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि, जोखिम मूल्य कवरेज, दावे के भुगतान एवं कंपनी के विभिन्न व्यवसाय खंडों में वसूली तथा तदनुसार वित्तीय परिणाम शामिल हैं। योजना के सापेक्ष वार्षिक उपलब्धि से कंपनी को व्यावसायिक रणनीतियों की समीक्षा करने तथा उनमें सुधार करने में साहयता मिलती है। कंपनी ने योजना अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है।

वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

ऋण बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को सशक्त करने एवं भारत में ऋण बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) द्वारा 31 मार्च 2024 तक 225 ब्रोकरों को पैनलबद्ध किया गया है। इस चैनल को सशक्त करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। एन एम डी, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान ब्रोकरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिससे हमारी पॉलिसियों की जानकारी देने, उन्हें बाजार में ईसीजीसी की रक्षाओं के प्रभावी विपणन में सक्षम बनाती हैं जिससे ये निर्यातों के प्रभावपूर्ण संवर्धन में सहायक होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ब्रोकरों द्वारा लाये गए कारोबार के ज़रिए कुल ₹217.47 करोड़ रु का प्रीमियम अर्जित किया गया जो कि ₹572.01 करोड़ रु के अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय का 38% है।

कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व (सी एस आर) पहल तथा संधारणीय विकास (एस डी)

कम्पनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष का, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कम्पनी के सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, संधारणीय विकास, दिव्यान्गों के लिए सेवाओं की उपलबद्धता तथा आदिवासी समुदाय को सहायता शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों के लिए लगभग करोड़ रु ₹29.08 व्यय किए गए। इसके अलावा, पहले से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए यूसीएसआर खाते में ₹2.54 करोड़ का आवंटन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को ₹1.80 लाख की राशि का भुगतान किया गया है।

सी एस आर गतिविधियों के प्रमुख कार्यान्वयन जिला कलेक्टर कार्यालय, राजगढ़, मध्य प्रदेश (आकांक्षी जिला), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), विवेकानंद केंद्र, स्नेहालय, एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (एएफसीएसआर), सीकेएस फाउंडेशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, होप कोलकाता फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, निमहंस, टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या एवं कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, दिव्यांगो को सहायता, सशस्त्र सेना फ्लैग दिवस निधि में योगदान एवं स्वच्छ भारत कोष में कई सी एस आर पहल की गई। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस) के ज़रिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम का एम-वार्ड क्षेत्र में छात्रवृत्ति एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्र हेतु निधि का योगदान करना जारी रखा गया हैं। आनंदालय चलाने एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर तथा ओडिशा में विवेकानंद केंद्र के विभिन्न केंद्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है। अपनी सीएसआर पहलों के अधीन कंपनी आकांक्षी जिले राजगढ़ के सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा एवं स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जाता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए

जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राजभाषा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास - उपक्रम) द्वारा कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान माननीय संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा कंपनी की जालंधर, रायपुर, कानपुर, वाराणसी, नरीमन पॉइंट एवं बांद्रा स्थित शाखाओं का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत समिति द्वारा दिये गए निर्देशों का यथासमय अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी द्वारा सितंबर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के अनुकरण में हिन्दी माह (1 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक हिन्दी माह मनाया गया) के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को हिन्दी दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा पुणे में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। कंपनी द्वारा उक्त समारोह आयोजित करने में अपना योगदान दिया गया है एवं इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में भी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों एवं राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित उपलब्धियों सहित भाग लिया गया। इस उपलक्ष्य में राजभाषा गतिविधियों के कार्यान्वयन में योगदान के लिए कंपनी को एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिंदी माह के समापन के उपलक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों के लिए "हिंदी माह समापन समारोह" के दौरान एक "ऑनलाइन कविता पाठ" का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाए लागू हैं। कंपनी, अधिकारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्यों के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करती है। कंपनी की गृह पत्रिका में प्रकाशित प्रथम तीन उत्कृष्ट लेखों के लिए कंपनी के अधिकारियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए एवं इसमें लेख प्रदान कर योगदान देने वाले अधिकारियों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए गए।

कर्मियों को उनके दैनिक कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट

कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले "अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार योजना" में उनके संबंधित कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले राजभाषा में पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को राजभाषा में कार्य करने में काफी सुविधा हो रही है। सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते हैं। कंपनी का वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सब स्टाफ सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए कुल 9 कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो कि सभी द्विभाषी थे। इसमे 369 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति के लिए एक अलग सत्र शामिल था।

इसके अलावा, कंपनी के विभिन्न शाखा कार्यालयों एवं विभागों में तैनात हिंदी अधिकारियों के लिए पॉण्डिचेरी में एक अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया एवं इसमें विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में तैनात कुल 65 अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान अधिकारियों को राजभाषा नियमों के अनुपालन एवं राजभाषा नीति की विस्तृत जानकारी दी गई।

मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में, कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा मुंबई में स्थित सदस्य-सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-कार्यालयों के 67 सदस्य एवं कंपनी के प्रधान कार्यालय के विभागों तथा मुंबई स्थित शाखाओं के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

प्रत्येक तिमाही में अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जहां भी कमियां मिलती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं। शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर समुचित ध्यान देने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय (राजभाषा अधिकारियों) के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक होती है। प्रत्येक तिमाही में समिति का भी गठन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा राजभाषा की समीक्षा की जाती है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा चर्चा की जाती है और वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

कंपनी के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखा कार्यालयों को गृह मंत्रालय तथा संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध

वर्ष 1957 से, ईसीजीसी बर्न यूनियन (ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं का अंतर राष्ट्रीय संघ), निर्यात ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं के लिए अग्रणी अंतर राष्ट्रीय संध,का एक सक्रिय सदस्य रहा है। बी.यू. निर्यात ऋण एवं निवेश बीमा क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक इकाई है। ईसीजीसी बर्न यूनियन में शामिल होने वाला पहला एशियन सदस्य है एवं इसकी गतिविधियों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋण बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने तथा उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के मध्य वार्तालाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निर्यात ऋण बीमा में पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने एवं सशक्त सिद्धांतों को तैयार करने में महत्वपूर्ण रहा है। साथ मिलकर, सभी सदस्य प्रत्येक वर्ष लगभग 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान जोखिम को रक्षित करते हैं, जो विश्वव्यापी सीमापार व्यापार का लगभग 12% है।

कंपनी, बर्न यूनियन (बीयू) की अल्पावधि (एसटी), मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी), तथा निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) समितियों में सदस्यता रखती है एवं 2023-24 में इन समितियों के लिए विभिन्न व्यक्तिगत बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, कंपनी क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) का अंश है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बी.यू. सदस्यों के लिए एक अनूठा मंच है।

वर्ष 2024 में, क्वाड समूह की निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए), जिसमें भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, द्वारा ओस्लो में बैठक आयोजित की गई तथा एक संयुक्त सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य सहयोग करना एवं आपूर्ति श्रृंखला की सरल पहुँच को वृद्धि किए जाने के पद्धति को चिन्हित किया जाना था। इसमें क्षेत्रीय व्यापार को समर्थन देना, निवेश में सहायता करना तथा बाजारों में विविधता लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना जैसी गतिविधियां शामिल थीं। ईसीए द्वारा इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि किस प्रकार उनके समर्थन के जरिए आपूर्ति श्रृंखला के सरल पहुँच को को बढ़ावा देने एवं व्यापक बनाने के लिए अनुभवों तथा सूचनाओं को नियमित रूप से साझा किया जाए। इसमें क्वाड साझेदार देशों के व्यवसायों के लिए सहयोग के अवसर भी शामिल थे।

74वीं क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) बैठक अक्टूबर 2023 में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया (ईएफए) ने की एवं कंपनी का प्रतिनिधित्व अ प्र नि/का नि (पॉलिसी मामले) द्वारा किया गया। व्यापारिक

प्रवृत्तियों, संगठनात्मक अद्यतन, दावों एवं वसूलियों तथा आरसीजी ईसीए के नए उत्पादों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, 12वीं आरसीजी सीईओ बैठक दिनांक 19-21 नवंबर 2023 के दौरान बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिभागिता की गई। "ईएसजी एवं सफलता के मामलों के लिए उत्पाद" तथा "आरसीजी सदस्यों के मध्य भविष्य में सहयोग" जैसे विषयों पर कई पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं।

कंपनी ब्रिक्स निर्यात ऋण एजेंसी फॉरम जिसमें ए बी जी फ (ब्राज़ील), एक्सियार (रशिया), ईसीजीसी (भारत), सिनोश्युर (चीन) एवं ई सी आई सी एस ए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं। ब्रिक्स टेक्निकल वर्कशॉप, 2024 मास्को, रूस में आयोजित की गई थी एवं कंपनी के प्रतिनिधि, कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया था।

वर्ष 2024 में, ईसीजीसी द्वारा पुनर्बीमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेक्सि एवं एक्सियार के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वाणिज्यिक समझौता किया गया। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ऋण एजेंसियों एवं विदेशी सरकारी अधिकारियों के साथ कई द्विपक्षीय चर्चाएं की गई। इन बैठकों का उद्देश्य सहयोग को तथा व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना था। उल्लेखनीय वार्तालाप में यूलर हर्मीस (जर्मनी), रूस की निर्यात बीमा एजेंसी (एक्सियार), नेक्सी (जापान) एवं यूएस एक्जिम (यूएसए) के साथ बैठकें शामिल थीं। इन चर्चाओं का प्राथमिक एजेंडा अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन, व्यापार वित्तीय क्षेत्र पर भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रभाव, महामारी के पश्चात आपूर्ति श्रृंखला के पुनरुद्धार एवं भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं को चिन्हित किए जाने के लिए ईसीए के व्यावसायिक आंकड़ों के विश्लेषण का केंद्र रहा।

मानव संसाधन व औद्योगिक सम्बन्ध

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी में कार्मिकों की संख्या 591 थी, जिसमें 568 कार्यपालक स्तर एवं 23 गैर- कार्यपालक स्तर के कार्मिक शामिल थे। इसमें 149 महिला कार्मिक शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल के 26% हिस्सा हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 25 परिवीक्षाधीन अधिकारियों (विशेषज्ञ अधिकारियों) की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें ग्रुप बी कैडर के 21 (7 + 14) परिवीक्षाधीन अधिकारी वर्ष के दौरान कंपनी में शामिल हुए एवं शेष शामिल होने वाले हैं। कंपनी द्वारा पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान औद्योगिक संबंधों एवं श्रम कानूनों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया। कंपनी में पूरे वर्ष सामंजस्यपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाएं रखा जाता हैं। कंपनी द्वारा, जहां आवश्यक हो, कार्मिकों के स्वास्थ्य, आर्थिक कल्याण आदि का ध्यान रखने के लिए मौजूदा सुविधाएं जारी रखीं गई हैं।

प्रशिक्षण:

इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में अधिकारियों के प्रभावी कार्य निष्पादन हेतु उनकी दक्षता को सशक्त एवं उन्नत करने में प्रशिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सभी स्तरों के कार्मिकों को विभिन्न इन हाउस तथा स्पोंसरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया। कंपनी के कार्मिकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक अकादमी (एस बी आई एकैडमी) , गुरुग्राम में ऋण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त कार्मिकों को उनके कार्य के अनुरूप स्पोंसरशिप प्रशिक्षण में नामित किया गया। समूह ग व समूह घ के कर्मियों के लिए मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य तथा कार्यालयीन व्यवहार एवं रिकॉर्डों के रखरखाव के महत्व विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के रोल्स में 20 दिव्यांग कार्मिक कार्यरत हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों का विवरण **अनुलग्नक V** में संलग्न है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियाँ तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी की नियुक्ति में अनु.जा. / अ.ज.जा., अ.पि.जा. एवं आ.पि.व. के आरक्षण से संबन्धित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। प्रबंधक रैंक (स्केल-III) तक पदोन्नति में अनु जा एवं अ ज जा के कर्मचारियों / अधिकारियों को आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुपालन में कंपनी

द्वारा 'पद-आधारित रोस्टर प्रणाली' अपनाई गयी है। विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती द्वारा अनु जा, अ ज जा, अ पि जा एवं आ पि व कोटे के अंतर्गत भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक VI** में उल्लिखित है। 31 मार्च,2024 तक अनु जा, अ ज जा, अ पि जा एवं आ पि व के प्रतिनिधित्व का विवरण **अनुलग्नक VII** में उल्लिखित है।

सामान्य प्रशासन

कंपनी का राजस्व एवं पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित एवं संचालित होता है।

सभी शाखा कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एम एस एम ई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। अप्रैल 2012 में सभी एमएसएमई के लिए तैयार की गई भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में यह अनिवार्य किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता का 25% खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से किया जाएगा। भारत सरकार ने महिला उद्यमों से वस्तुओं और सेवाओं की 3% और एससी/एसटी उद्यमियों से 4% खरीद का उप-लक्ष्य भी निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मार्च, 2024 के अंत में कंपनी की कुल खरीद ₹13.25 करोड़ थी, जिसमें से ₹7.58 करोड़ (57.26%) एमएसएमई के माध्यम से की गई और एमएसएमई के अंतर्गत ₹0.14 करोड़ (1.85%) की खरीद एससी/एसटी उद्यमियों के माध्यम से की गई और ₹0.43 करोड़ (5.74%) की खरीद महिला उद्यमियों के माध्यम से की गई।

कंपनी ने उन वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची तैयार की है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर एमएसएमई से खरीदा जा सकता है। एमएसएमई को भुगतान में देरी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

कंपनी ने ई-प्रकाशन नीति का भी अनुपालन किया है जो भारत सरकार की वर्ष 2012 की ई-खरीद नीति का एक हिस्सा है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीद के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, कंपनी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं

की ऑनलाइन खरीद के लिए जेम पोर्टल में पंजीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जेम पोर्टल के माध्यम से ₹3.70 करोड़ की खरीद की गई, जो कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद का 27.92% है, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल खरीद ₹11.34 थी। निर्देशानुसार, मार्च, 2024 तक मासिक खरीद डेटा एमएसएमई सम्बन्ध पोर्टल पर अद्यतित किया गया है।

भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन

आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 के पत्र संख्या:100 / 2 / इंड ए एस-मिशन मोड / 2022-23 एवं दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के पत्र संख्या: 100 / 2 /इंड ए एस-मिशन मोड / 2022-23 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि बीमा क्षेत्र में इंड ए एस के कार्यान्वयन से इंड ए एस के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है एवं इस प्रकार इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन से पूर्व अच्छी तरह से नियोजित, प्रबंधित, परीक्षण एवं निष्पादित करने की आवश्यकता है। आई आर डी ए आई के परामर्श के अनुसार इंड ए एस के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है ताकि कार्यान्वयन, मुद्दे / चुनौतियों की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा कर इसे कम करने हेतु कार्रवाई की जा सके। कंपनी ने एक भारतीय लेखा मानक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की थी जो भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन में सहायता करेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

सृष्टिराज अम्बष्ठ

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /अध्यक्ष

सह प्रबंध निदेशक(अतरिक्त प्रभार)

डी आई एन - 10375617

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 मई, 2024

लम्बित सीएजी पैरा एवं प्रबंधन के प्रत्युत्तर

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र.सं.	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
1.	भाग – II ख, वर्ष 2017-18 का पैरा 2	पुनर्बीमाकर्ता से ₹171.79 करोड़ का पुनर्बीमा हिस्सा प्राप्त करने में विलम्ब।	2016-17 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्व्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 02.01.2018 से 25.01.2018 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 26.02.2018 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। **वर्तमान स्थिति:** कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से सीएजी को सूचित किया कि नवंबर 2023 में महाप्रबंधक स्तर की चर्चा हुई थी, जिसके बाद कंपनी के कार्यपालक निदेशक (व्यक्तिगत मामले) - अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के साथ कार्यपालक निदेशक (संचालन), महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग) और उप महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग) द्वारा 12.12.2023 को मुलाकात की गई। जीआईसी ने हमें इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का आश्वासन दिया है। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र.सं.	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति /Reporting Status**
2.	वर्ष 2019-20 के भाग-II ख का पैरा 1 Part – IIB, Para 1 of the year 2019 – 20.	पुनर्बीमाकर्ताओं से नकदी प्राप्त करने में देरी के कारण ₹11.67 करोड़ के ब्याज का नुकसान ।	2017-18 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्व्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 11.02.2019 से 18.02.2019 एवं 15.03.2019 से 29.03.2019 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 15.04.2019 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने दिनांक 29.12.2023 को जारी पत्र के माध्यम से सीएजी को सूचित किया कि देरी इसलिए हुई क्योंकि खातों को एक्सेल में अलग से संरक्षित कर रखा गया था।तदोपरांत, शाखाओं और पुनर्बीमा टीमों को स्थिति की बारीकी से और नियमित आधार पर निगरानी करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है, परिणामस्वरूप आज तक ऐसी विलम्ब की घटना पुनः नहीं हुई है। कंपनी ने यह भी सूचित किया कि उसे विकसित किए जा रहे नए सॉफ्टवेयर से भी सहायता मिलेगी, जिससे कैश कॉल की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। उपरोक्त को देखते हुए, कंपनी ने सीएजी से पैरा हटाने का अनुरोध किया है। इस

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सी ए जी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
			मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा के संबंध में सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र.सं.	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
3.	वर्ष 2020-21 के भाग-II ख का पैरा 3	ओटीएस निपटान में कंपनी को हानि।	वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए ईसीजीसी - कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन और पुनर्बीमा के सम्व्यवहार लेखा परीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट।01.12.2010 से 18.02.2021 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 17.03.2021 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। **वर्तमान स्थिति:** कंपनी ने अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएजी को अद्यतित जानकारी प्रदान की है। सीएजी को इस मामले में नवीनतम अद्यतित जानकारी 30.03.2024 को प्रदान की गई तथा पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से

			आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।
4.	वर्ष 2020-21 के भाग-II ख का पैरा 4	ओटीएस निपटान में कंपनी को हानि।	वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए ईसीजीसी - कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन और पुनर्बीमा के सम्व्यवहार लेखा परीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट।01.12.2010 से 18.02.2021 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 17.03.2021 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएजी को अद्यतित जानकारी प्रदान की है। सीएजी को इस मामले में नवीनतम अद्यतित जानकारी 27.03.2024 को प्रदान की गई तथा पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र.सं.	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
5.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 1।	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान न करना।	वर्ष 2020-21 हेतु ईसीजीसी - बांद्रा बैंक कारोबार शाखा, मुंबई, सूरत शाखा एवं आगरा शाखा सहित कॉर्पोरेट विभाग के सम्व्यवहार लेखा परीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। 15.11.2021 से 29.11.2021 एवं 05.01.2022 से 21.01.2022 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 18.02.2022 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने सीएजी को सूचित किया है कि पुनर्बीमा पर दिए गए कमीशन पर जीएसटी के अंतर्गत कर का प्रावधान नहीं है। कंपनी ने सीएजी को बताया है कि निर्यात ऋण बीमा से प्राप्त प्रीमियम को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर) क्रम संख्या 35 (जी) के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्रदान की गई थी (जून 2017)। प्रका -लेखा विभाग द्वारा दिनांक 31/10/2023

			को अंतिम बार सीएजी को पूर्ण तर्क सहित पैरा को हटाने का आग्रह किया था। इसके उपरांत , 29 फरवरी 2024 को सीएजी, ईसीजीसी एवं कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के मध्य एक त्रिपक्षीय बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), कार्यपालक निदेशक (संचालन) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान, सीएजी का ध्यान अन्य पैरा सहित"ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान न करने" पैरा को हटाने की ओर आकर्षित किया गया। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र.सं.	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
6	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 1।	अंधेरी में कॉर्पोरेट कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्व्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं

		के लिए परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति न होना।	06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने दिनांक 24.05.2023 के पत्र के माध्यम से सीएजी को सूचित किया कि हम वाणिज्यिक परिसर में स्थानांतरित हो गए हैं और 10.11.2022 से भवन कार्यात्मक हो गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने एक्सप्रेस टावर्स में लीज पर लिया गया कार्यालय परिसर सरेंडर कर दिया है तथा सीएजी से पैरा हटाने का अनुरोध किया है। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।
7.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 2।	पॉलिसी दावा	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्व्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।

			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने दिनांक 09.10.2023 के पत्र में सीएजी को स्पष्टीकरण दिया है कि दावे का निपटारा मौजूदा दिशानिर्देशों और पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप किया गया था और पैरा को हटाने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।
8.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 4।	वर्ष 2021-2023 के दौरान विज्ञापन संबंधी गतिविधि के लिए विज्ञापन एजेंसी को पैनल में नियुक्त करने सम्बंधी अनियमितताएं।	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्व्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने सीएजी को निवर्तमान में प्रेषित अपने पत्र में स्पष्टीकरण दिया है कि माल, सेवाओं और कार्यों की खरीद के लिए नीति और दिशानिर्देश कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं और पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।
9.		कार्यालयीन कार का उपयोग।	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की

	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 5।		सम्व्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। **वर्तमान स्थिति**: कंपनी ने सीएजी को भेजे अपने अंतिम पत्र में स्पष्टीकरण दिया है कि कार्यालय वाहन के उपयोग की नीति तथा कार्यालय आबंटित कारों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए वसूली की दर को कंपनी द्वारा संशोधित किया गया है तथा इस पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।
10.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 6।	लक्ष्य एवं उपलब्धियां।	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्व्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई । सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। **वर्तमान स्थिति:** कंपनी ने हाल ही में सीएजी को प्रेषित अपने पत्र के माधय्म

			से कंपनी द्वारा प्राप्त लक्ष्यों और उपलब्धियों के सम्बंध में स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी के लिए विस्तृत वार्षिक व्यवसायिक योजना, जिसे उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, आईआरडीएआई को प्रस्तुत कर दी गई है। पैरा को हटाने हेतु भी अनुरोध किया गया है। इस सम्बंध में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

सूचना का अधिकार (आर टी आई)

कंपनी के पास मुंबई में प्रधान कार्यालय में स्थित एक आर टी आई कक्ष है जिसका नेतृत्व एक सहायक महाप्रबंधक सम्वर्ग के अधिकारी द्वारा किया जाता है। मुंबई में प्रधान कार्यालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफ ए ए) का नेतृत्व उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। आर टी आई अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति पर आवेदनों का उत्तर आर टी आई अधिनियम के अधीन अनुमत समय सीमा के भीतर दिया जाता है। निपटाए गए आवेदनों की संख्या की रिपोर्ट तिमाही आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) की वेबसाइट पर अद्यतित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 207 आवेदनों पर कार्यवाही की गयी। कंपनी द्वारा प्राप्त आर टी आई आवेदनों के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

अनुलग्नक V

दिनांक 31.03.2024 को कंपनी में सेवारत दिव्यांग कर्मियों का प्रतिनिधित्व

समूह	ईसीजीसी में दिव्यांगों के आंकड़े				कुल
	द्द बा	श्र बा	अ वि	चौथी श्रेणी	द्द बा + श्र बा + अ वि + चौथी श्रेणी
क	3	1	5	0	9
ख	4	1	2	2	9
ग	0	0	1	0	1
घ	1	0	0	0	1
कुल	8	2	8	2	20

द्द बा	दृष्टि बाधित
श्र बा	श्रव्य बाधित
अ वि	अस्थि विकलांगता
चौथी श्रेणी	(i) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (एस एल डी) अथवा द्द बा, श्र बा, अ वि अथवा चौथी श्रेणी सहित एकाधिक अक्षमता

अनुलग्नक VI

वर्ष 2023-24 में भर्ती से संबन्धित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	नियुक्त कुल कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जन जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अ पि व के कर्मियों की सं	नियुक्त आ पि व के कर्मियों की सं
समूह क	0	0	0	0	0
समूह ख	23	4	0	9	1
समूह ग	0	0	0	0	0
समूह घ	0	0	0	0	0
कुल	23	4	0	9	1

नोट:

उपरोक्त डेटा वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है तथा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान और अधिक उम्मीदवार कंपनी में शामिल होंगे ।

अनुलग्नक VII

दिनांक 31/03/2024 के अनुसार कंपनी के श्रम बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मियों की सं	अनु जा के कर्मियों की सं	अनु जा के कर्मियों का %	अनु जन जा के कर्मियों की सं	अनु जन जा के कर्मियों का %	अ पि व के कर्मियों की सं	अ पि व के कर्मियों का %
समूह क	258	46	17.8%	19	7.4%	68	26.4%
समूह ख	310	52	16.8%	24	7.7%	75	24.2%
समूह ग	19	3	16%	3	16%	0	0%
समूह घ	4	1	25%	0	0%	1	25%
कुल	591	102	17.3%	46	7.8%	144	24.4%

अनुलग्नक VIII

फार्म सं. एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ निश्चित अंतरण भी शामिल हैं

भौतिक अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं या समुचित दूरी के आधार पर हुए अंतरण का विस्तृत विवरण:

क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति: **मेसर्स कुमार इंटरनेशनल, जिसमें श्री अमित कुमार अग्रवाल, गैर-आधिकारिक निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड भागीदारों में से एक हैं।**

ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/अंतरण की प्रकृति: **दो एकल खरीदार जोखिम (एसबीई) पॉलिसियों के नवीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।**

(ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/अंतरण की अवधि**: 09/08/2023 से 08/08/2024 तक।**

(घ) मूल्य सहित, अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा अंतरण की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:

क्रम सं.	खरीदर का नाम एवं देश	मांगी गई हानि सीमा	देय प्रीमियम	प्रसंसकरण शुल्क
1	लेनिन एंड मूर प्रोपराइटी लिमिटेड,ऑस्ट्रेलिया (ख/को-1000664444)	₹15.00 लाख	₹19,238.00	₹2,000.00
2	ऑलिवर बोनस लिमिटेड, यूके	₹25.00 लाख	₹32,063.00	₹2,000.00

	(ख/को-1000437247)			
कुल		**₹40.00 लाख**	**₹51,301.00**	**₹4,000.00**

(च) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख(या तारीखें), यदि कोई हो: लागू नहीं

(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: **₹51,301.00 (प्रीमियम) + ₹4000.00 (प्रसंस्करण शुल्क)**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

सृष्टिराज अम्बष्ठ

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /अध्यक्ष

सह प्रबंध निदेशक(अतरिक्त प्रभार)

डी आई एन - 10375617

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 मई, 2024

कारोबार निष्पादन रेखाचित्र

Business Performance Graphs

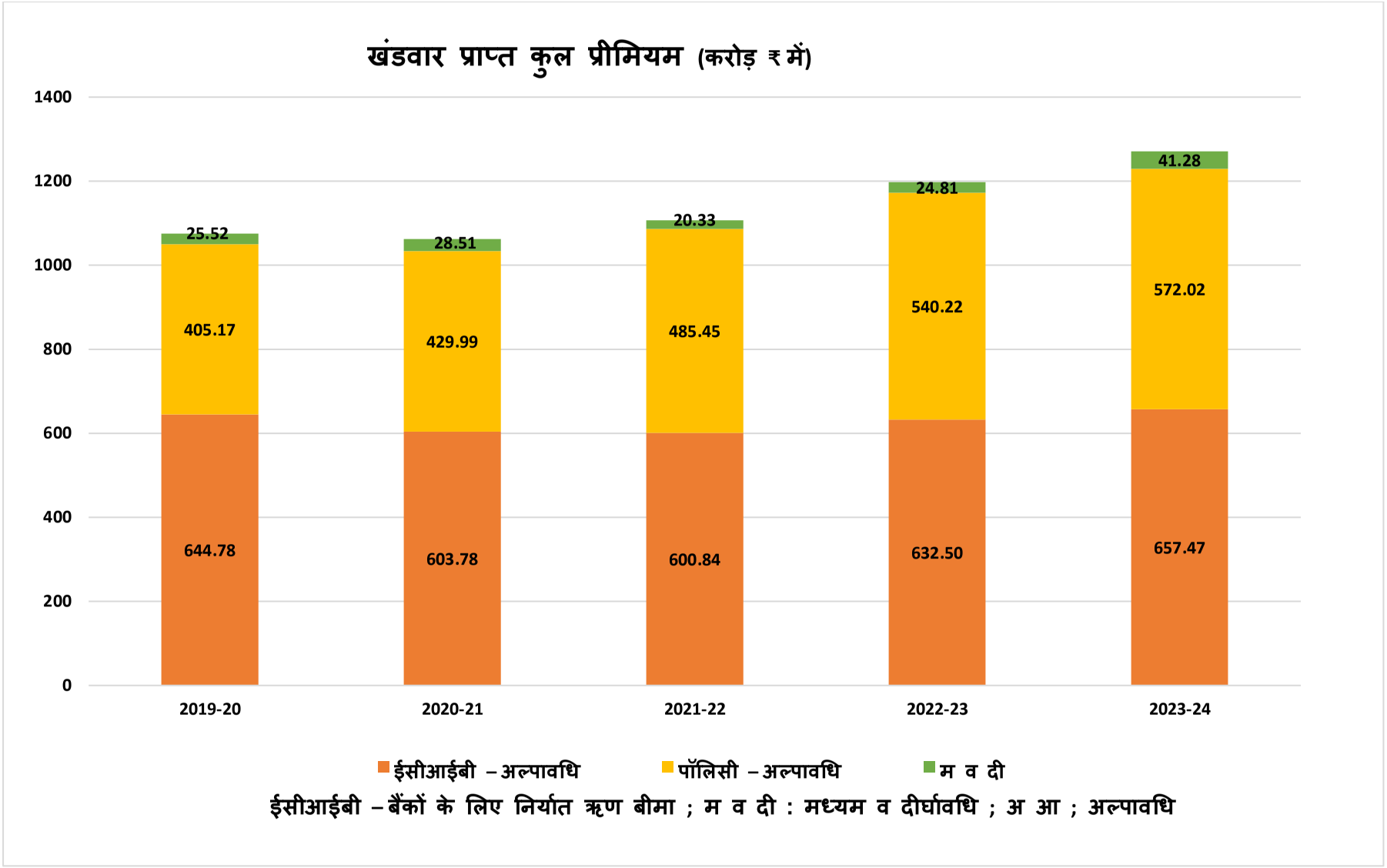
खंडवार प्राप्त कुल प्रीमियम (करोड़ ₹ में)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
25.52
28.51
20.33
24.81
41.28
405.17
429.99
485.45
540.22
572.02
644.78
603.78
600.84
632.50
657.47
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
ईसीआईबी – अल्पावधि
पॉलिसी – अल्पावधि
म व दी
ईसीआईबी – बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा ; म व दी : मध्यम व दीर्घावधि ; अ आ ; अल्पावधि

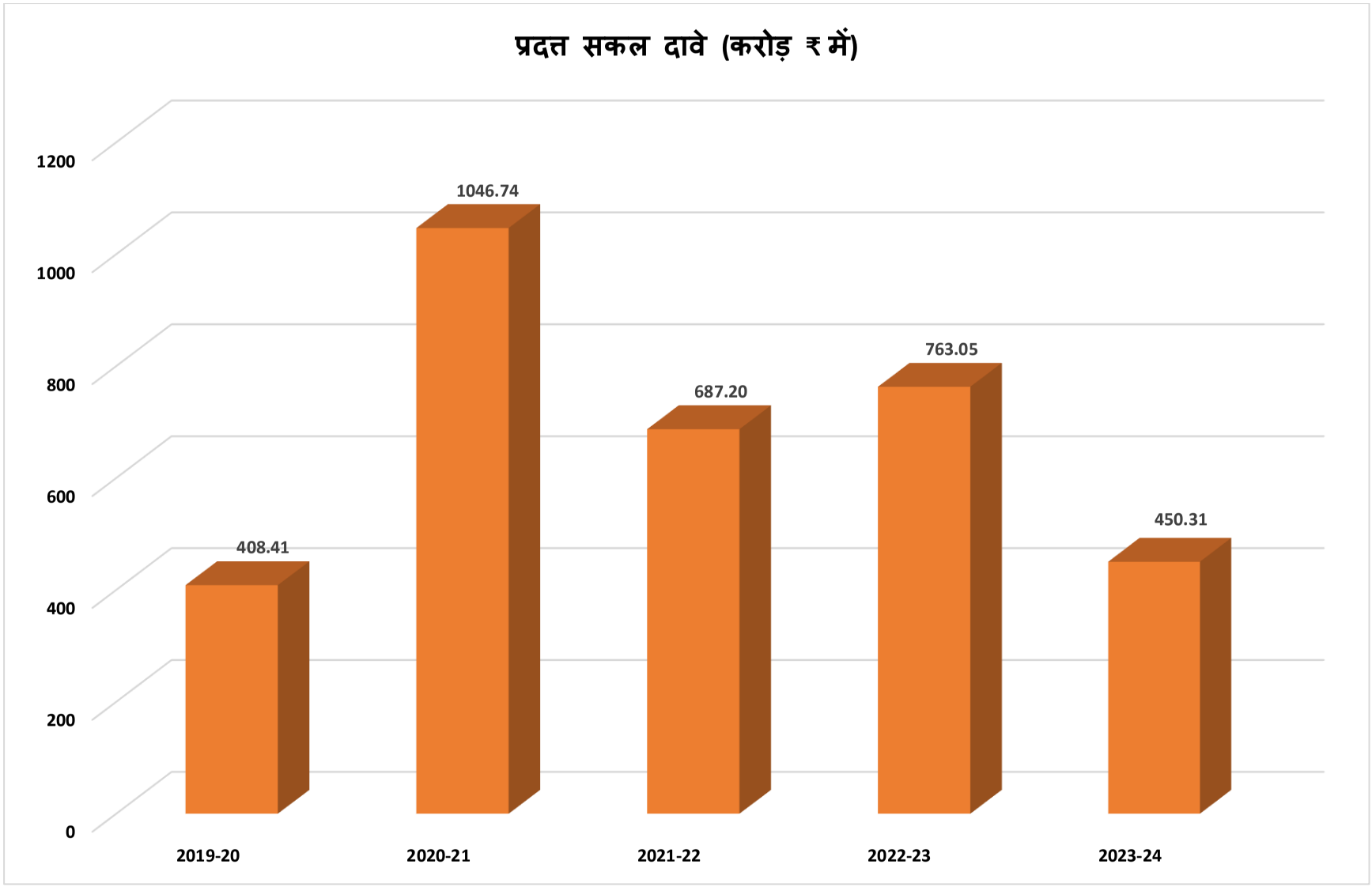
प्रदत्त सकल दावे (करोड़ ₹ में)
1200
1000
800
600
400
200
0
408.41
1046.74
687.20
763.05
450.31
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24

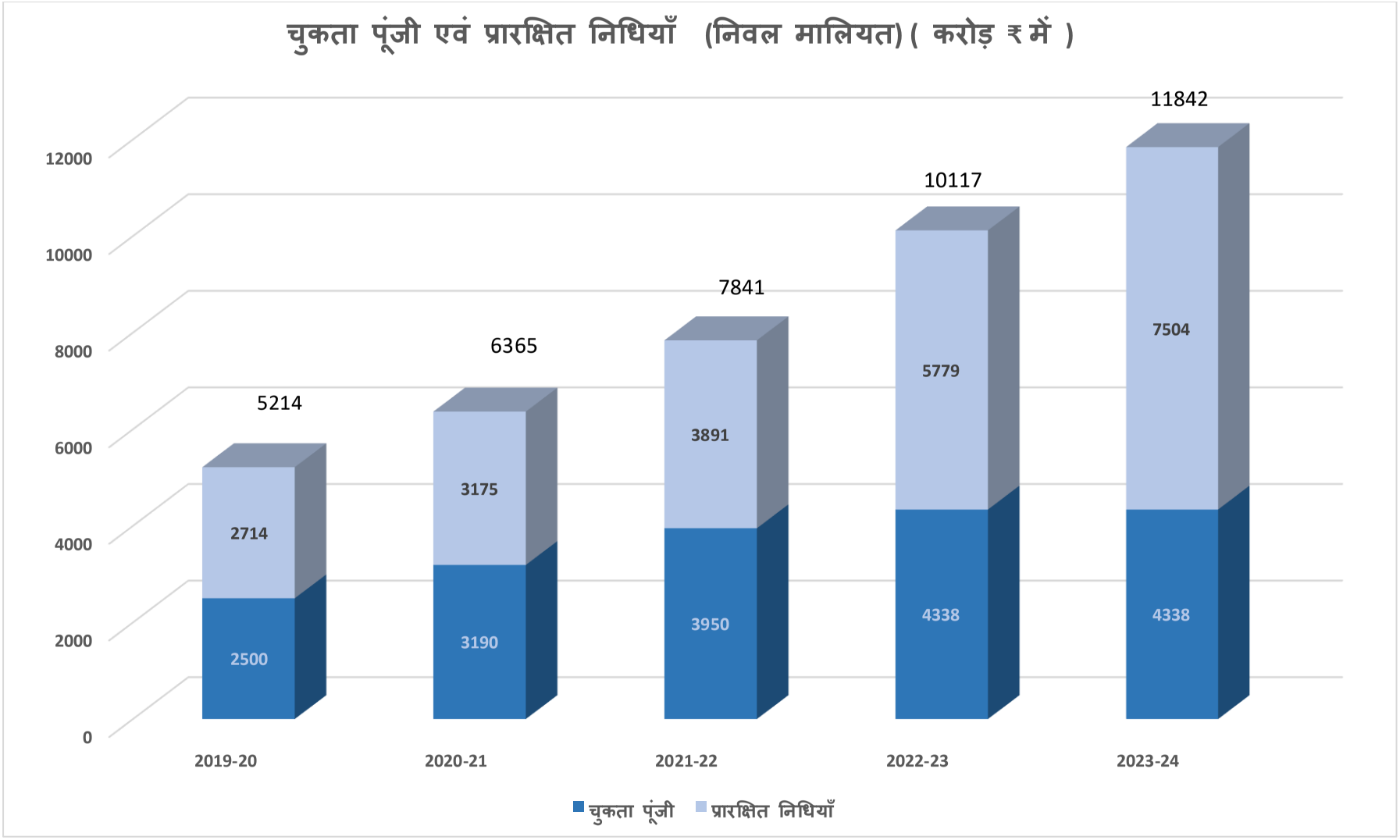
चुकता पूंजी एवं प्रारक्षित निधियाँ (निवल मालियत) (करोड़ ₹ में)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
5214
6365
7841
10117
11842
2714
3175
3891
5779
7504
2500
3190
3950
4338
4338
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
चुकता पूंजी
प्रारक्षित निधियाँ

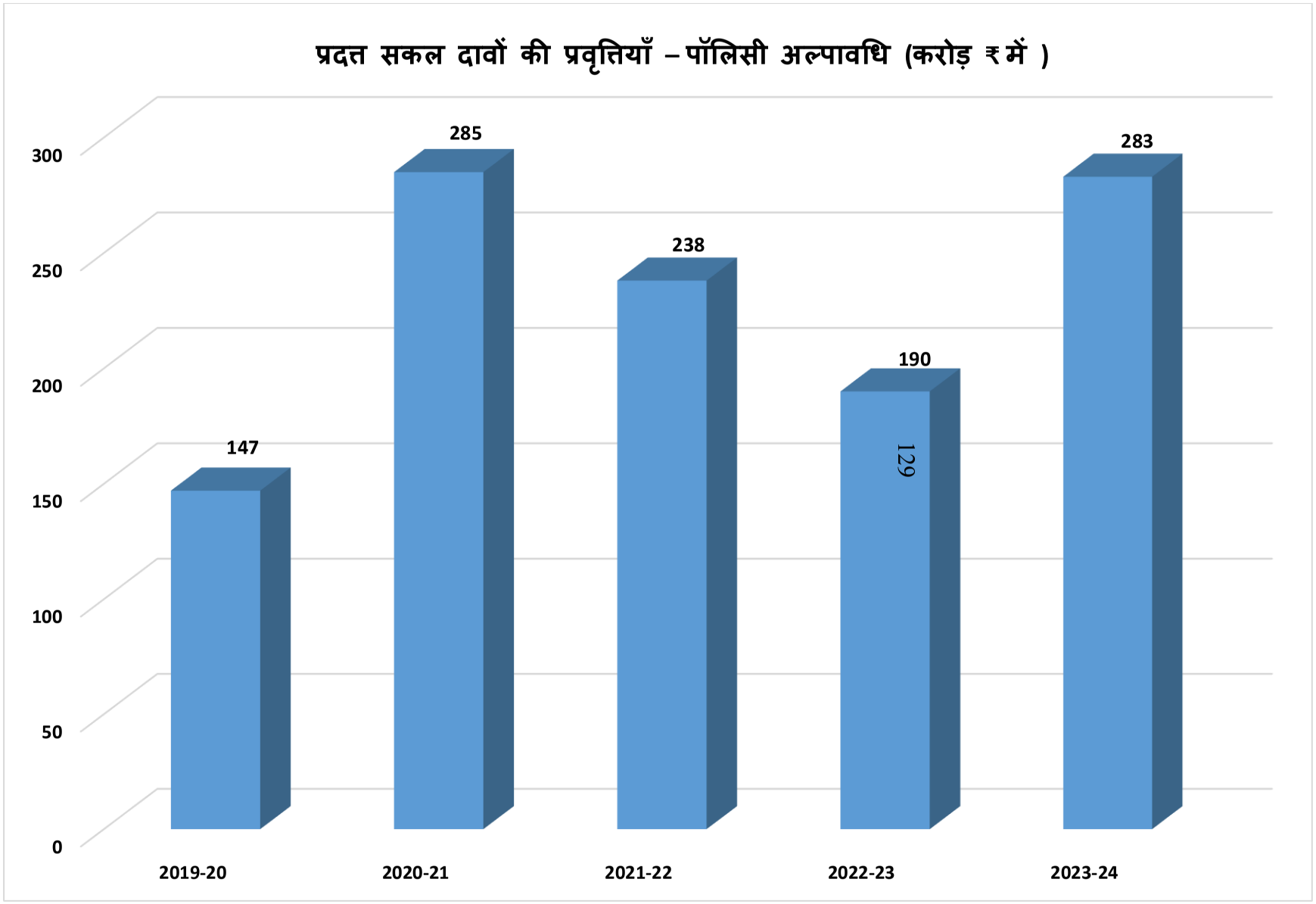

प्रदत्त सकल दावों की प्रवृत्तियाँ – पॉलिसी अल्पावधि (करोड़ ₹ में)

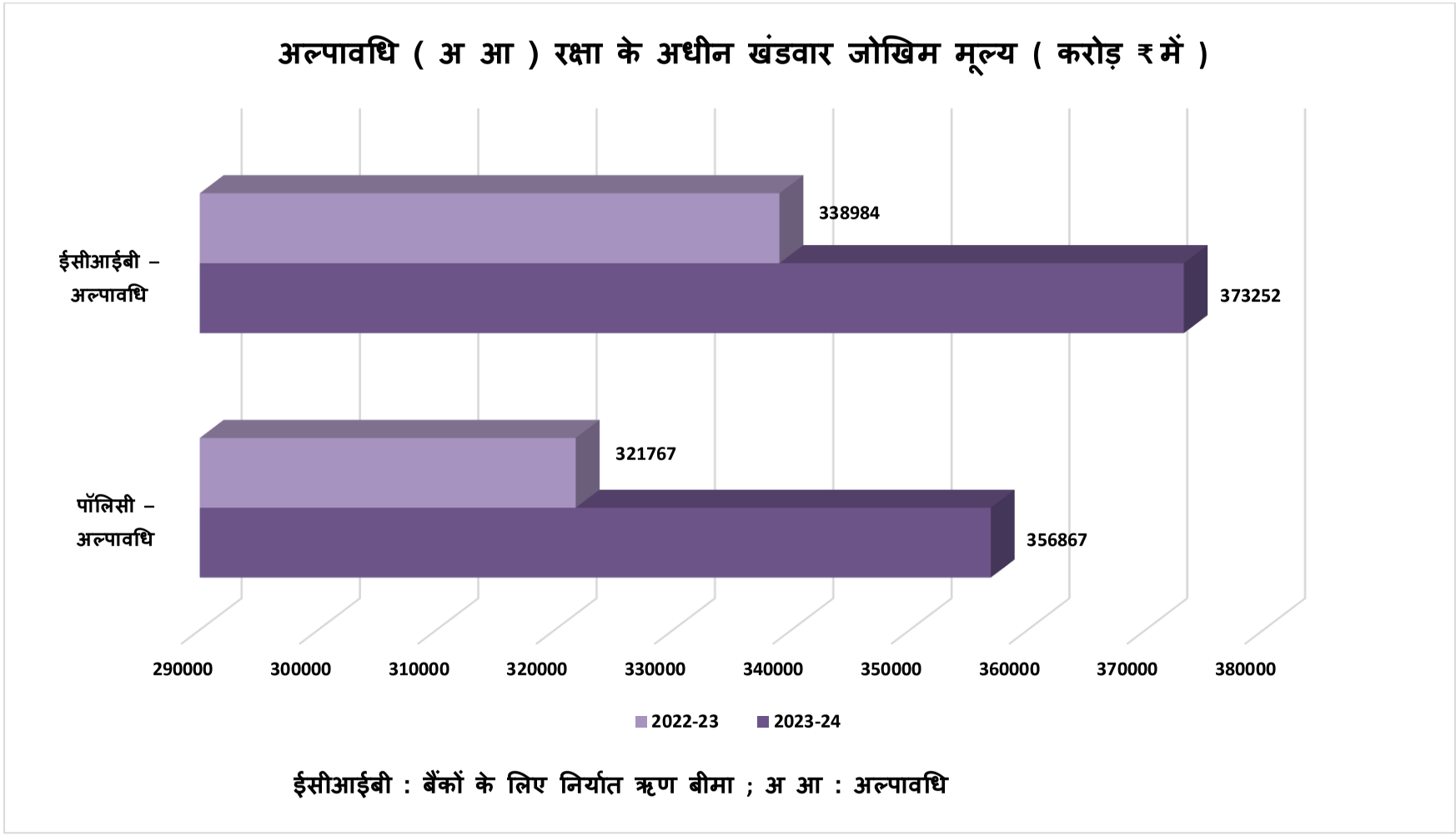

ईसीआईबी : बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा ; अ आ : अल्पावधि

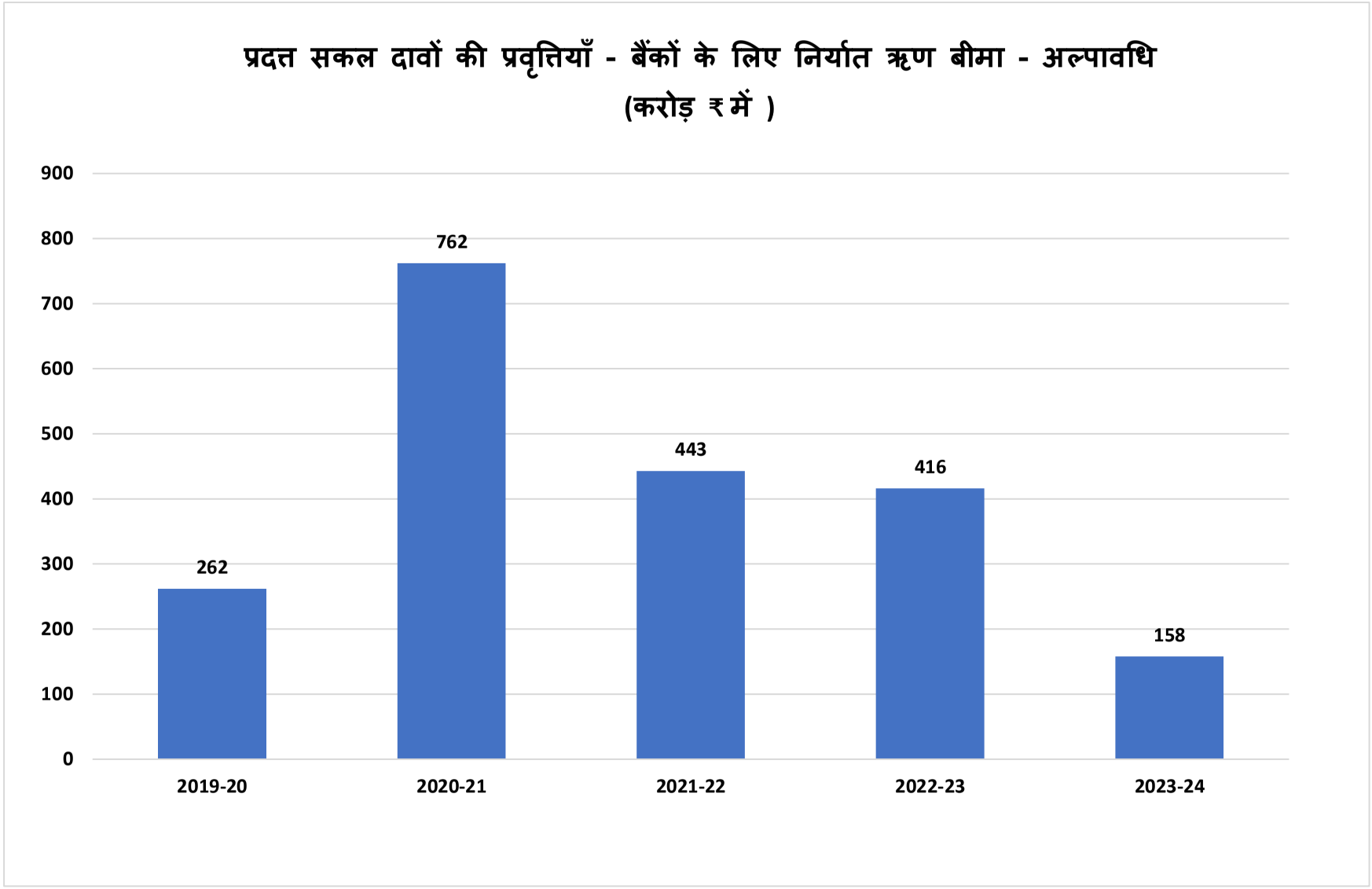
प्रदत्त सकल दावों की प्रवृत्तियाँ - बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि
(करोड़ ₹ में)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
262
762
443
416
158
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24

वर्ष 2023-24 के दौरान संरक्षित जोखिम मूल्य

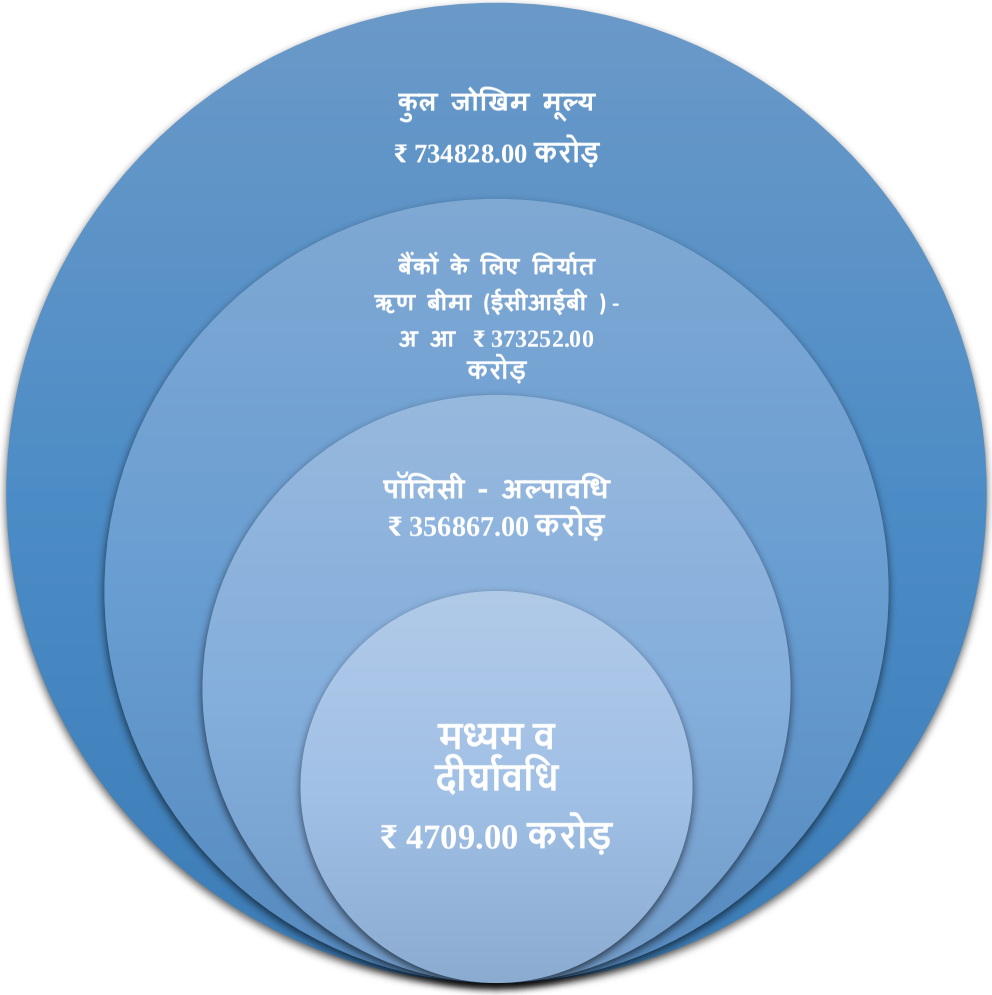

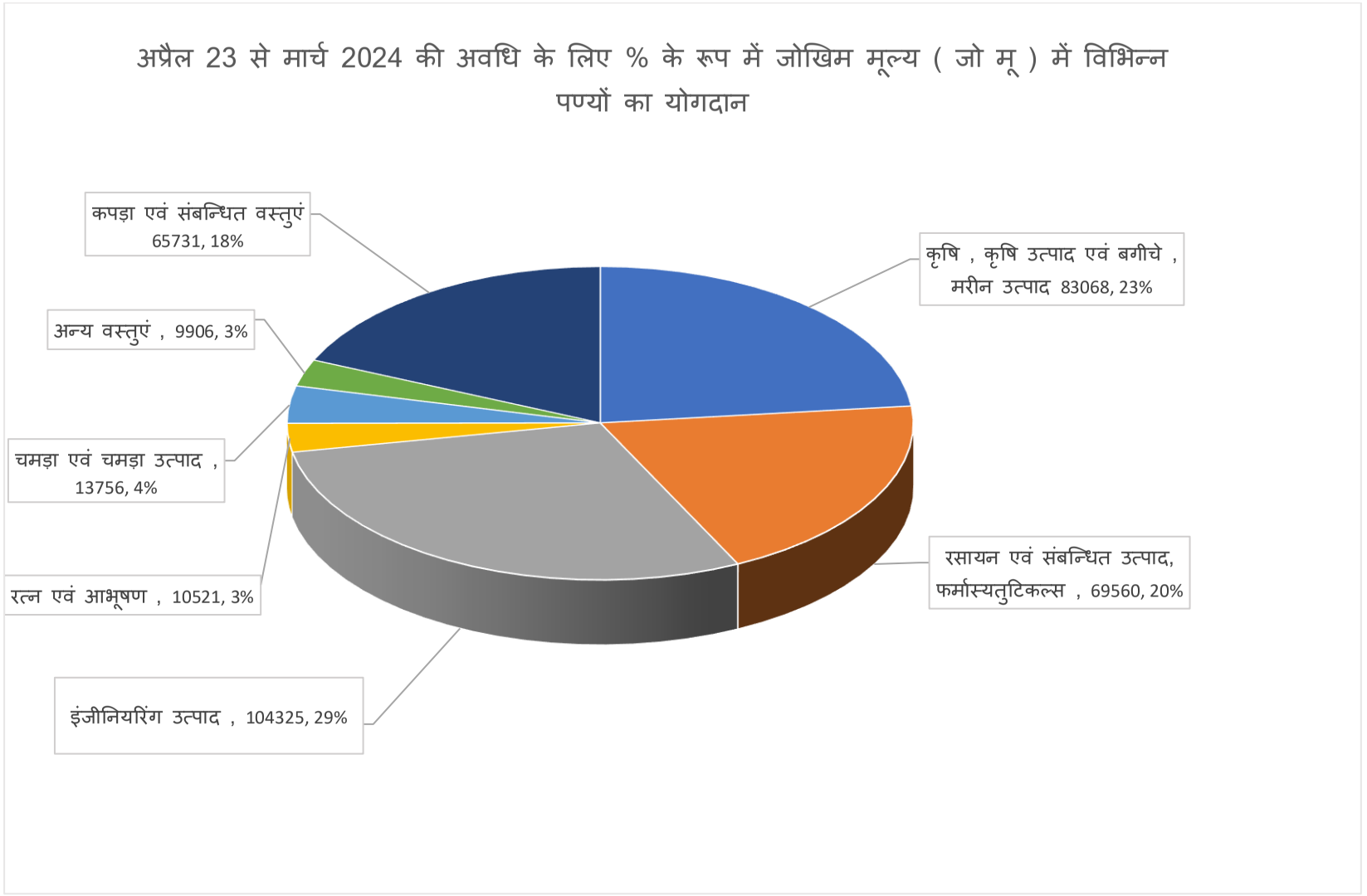
अप्रैल 23 से मार्च 2024 की अवधि के लिए % के रूप में जोखिम मूल्य (जो मू) में विभिन्न पण्यों का योगदान
कपड़ा एवं संबन्धित वस्तुएं 65731, 18%
कृषि , कृषि उत्पाद एवं बगीचे , मरीन उत्पाद 83068, 23%
अन्य वस्तुएं , 9906, 3%
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद , 13756, 4%
रसायन एवं संबन्धित उत्पाद, फर्मास्यतुटिकल्स , 69560, 20%
रत्न एवं आभूषण , 10521, 3%
इंजीनियरिंग उत्पाद , 104325, 29%

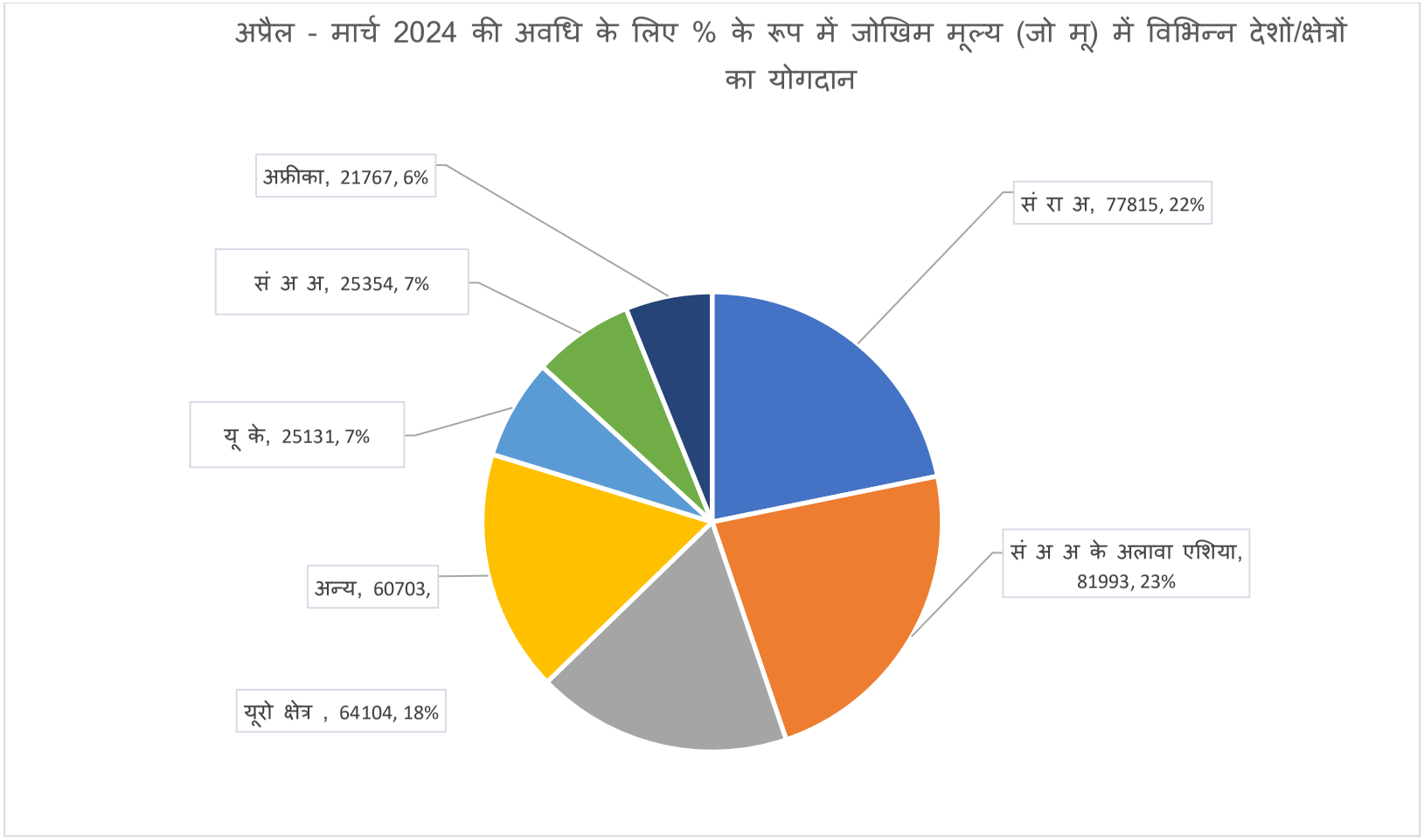
अप्रैल - मार्च 2024 की अवधि के लिए % के रूप में जोखिम मूल्य (जो मू) में विभिन्न देशों/क्षेत्रों का योगदान
अफ्रीका, 21767, 6%
सं रा अ, 77815, 22%
सं अ अ, 25354, 7%
यू के, 25131, 7%
सं अ अ के अलावा एशिया, 81993, 23%
अन्य, 60703,
यूरो क्षेत्र , 64104, 18%

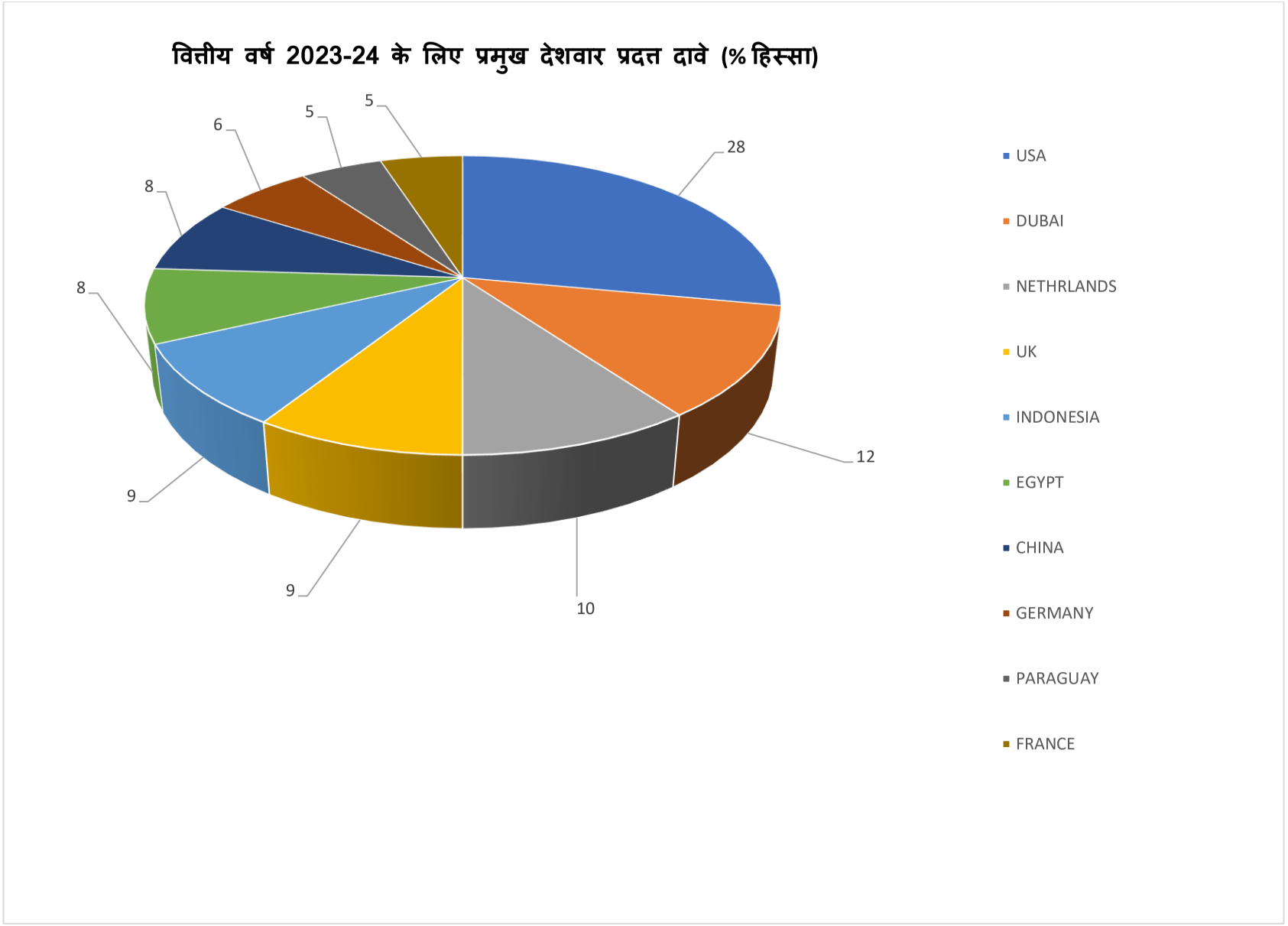
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख देशवार प्रदत्त दावे (% हिस्सा)
28
12
10
9
9
8
8
6
5
5
USA
DUBAI
NETHRLANDS
UK
INDONESIA
EGYPT
CHINA
GERMANY
PARAGUAY
FRANCE

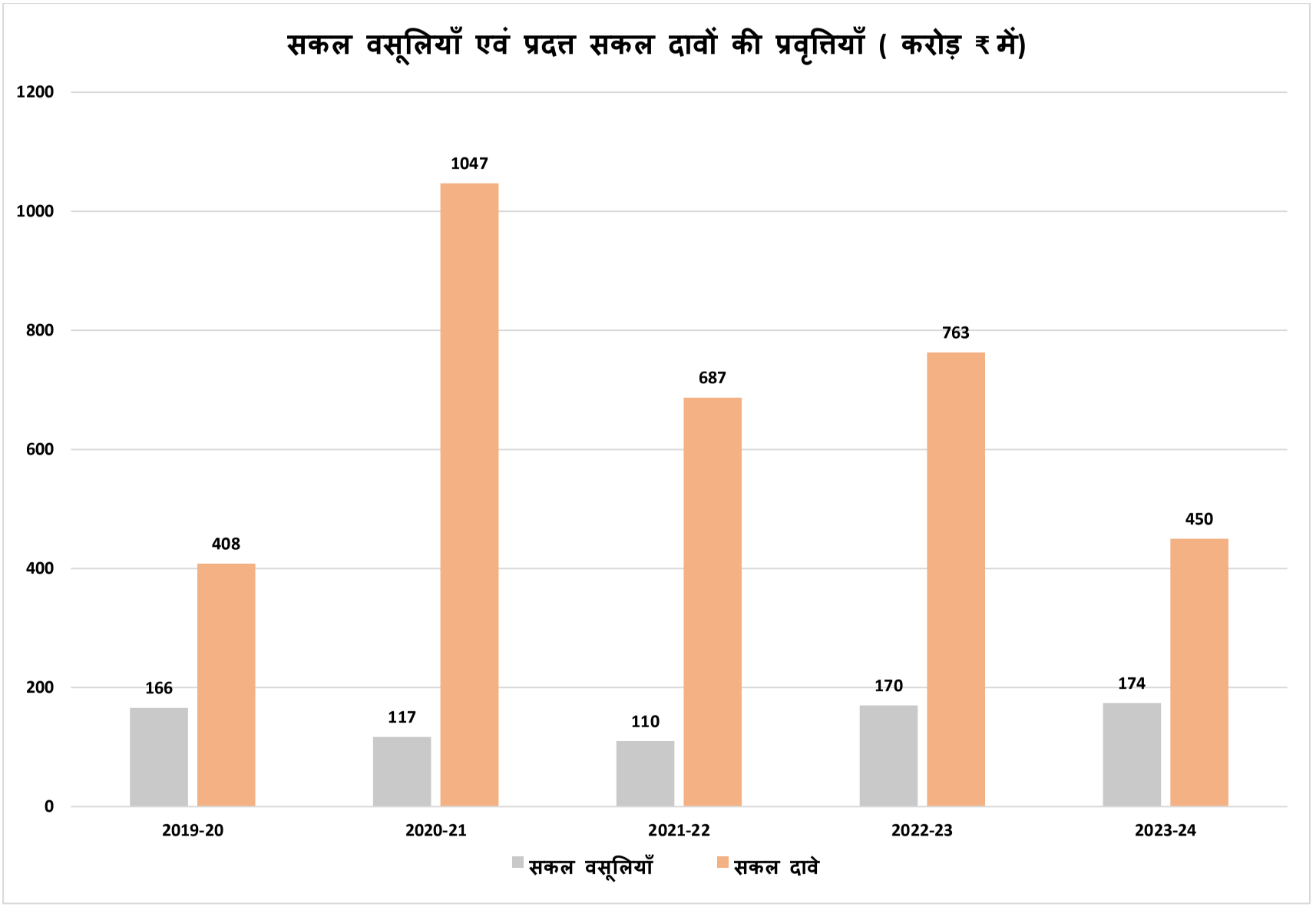
सकल वसूलियाँ एवं प्रदत्त सकल दावों की प्रवृत्तियाँ (करोड़ ₹ में)
1200
1000
800
600
400
200
0
166
408
117
1047
110
687
170
763
174
450
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
सकल वसूलियाँ
सकल दावे

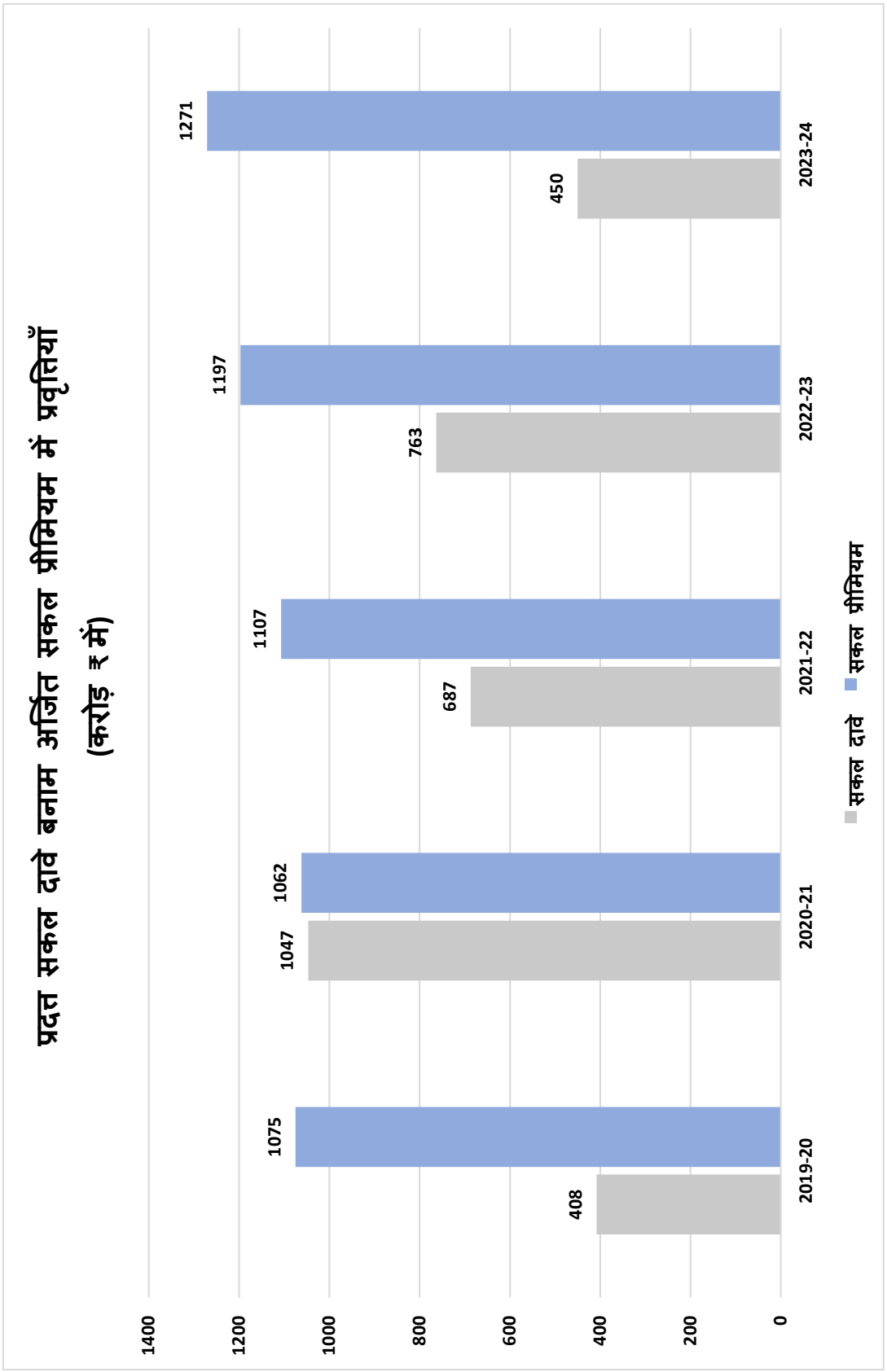
प्रदत्त सकल दावे बनाम अर्जित सकल प्रीमियम में प्रवृत्तियाँ
(करोड़ ₹ में)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1075
408
1062
1047
1107
687
1197
763
1271
450
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
सकल दावे
सकल प्रीमियम

भाग ख

वित्तीय विवरण

Financial
Statements

वित्तीय विवरणों का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल के समक्ष स्वीकृत एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें कोई गलत अथवा भ्रामक बयान अथवा आंकड़े नहीं हैं एवं किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया हैं, जो इसमें उल्लेखित कथनों अथवा आंकड़ों को भ्रामक बना सकता हो

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/अप्रनि-अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन - 10375617

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

फार्म बी - बीएस
ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

पंजीकरण संख्या 124 **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002**

31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित (₹'000)
I. निधियों के स्रोत			
शेयर पूंजी	5	4338,00,00.00	4338,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	6	7503,88,52.13	5778,63,87.58
उचित मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारक		940,29,63.07	343,51,87.12
उचित मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारक		601,17,30.48	343,51,87.12
ऋण	7	-	-
आस्थगित कर देयता		-	-
कुल		**13383,35,45.68**	**10803,67,61.82**
II. निधियों का प्रयोग			
निवेश - शेयरधारक	8	10030,60,24.49	7323,80,87.73
निवेश - पॉलिसीधारक	8A	6413,00,81.22	7323,80,87.73
ऋण	9	-	-
अचल संपत्ति	10	405,67,54.34	373,47,88.41
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		43,80,76.63	44,32,37.97
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
नकद व बैंक शेष	11	1261,97,05.72	1623,64,39.25
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ	12	1221,57,54.85	1195,38,47.96
उप कुल **(क)**		**2483,54,60.57**	**2819,02,87.21**
वर्तमान देयताएँ	13	5213,23,19.04	6392,40,47.52
प्रावधान	14	780,05,32.53	688,36,79.71
उप कुल (ख)		**5993,28,51.57**	**7080,77,27.23**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ **(ग)= (क-ख)**		(3509,73,91.00)	(4261,74,40.02)
विविध व्यय	15	-	-
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो)			
लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		-	-
कुल		**13383,35,45.68**	**10803,67,61.82**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	16		
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ	17		

(सृष्टिराज अंबष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/अप्रनि-अतरिक्त प्रभार
DIN - 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)
निदेशक
DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(पलन्नीअप्पन मुथु)
निदेशक
DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते केबीसीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 323288E

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार - M.No. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार - M.No. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

फॉर्म बी- आर ए
ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918
पंजीकरण संख्या 124 **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर,2002**

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्व खाता

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	1079,76,42.63	938,72,21.76
2	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ		29,52,66.81	42,63,03.15
3	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि		-	-
4	अन्य			
	- शुल्क		1,63,72.53	1,59,18.54
	- विविध आय		63,83.74	28,40.61
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ		12,31.41	18,34.13
5	ब्याज ,लाभांश एवं किराया - सकल		438,06,28.56	524,28,42.67
	कुल (क)		**1549,75,25.68**	**1507,69,60.86**
1	उपगत दावे (शुद्ध)	2	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)
2	कमीशन	3	19,05,47.55	(4,41,15.93)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	4	338,13,23.02	297,83,49.63
4	अन्य			
	-प्रीमियम की कमी		-	(308,52,00.00)
	- निवेश पर व्यय		7,73,53.04	10,39,97.34
	- प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि		(2,70,70.86)	(1,18.00)
	कुल (ख)		**(612,25,94.43)**	**(707,62,91.75)**
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख)		**2162,01,20.11**	**2215,32,52.61**
	विनियोजन			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण		2162,01,20.11	2215,32,52.61
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	कुल (ग)		**2162,01,20.11**	**2215,32,52.61**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखा की टिप्पणियाँ राजस्व खाते के अविभाज्य हिस्सा बनते हैं

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है ।

(सृष्टिराज अंबष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/अप्रनि-अतिरिक्त प्रभार
DIN - 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)
निदेशक
DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(पलन्नीअप्पन मुथु)
निदेशक
DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते केबीसीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 323288E

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार - M.No. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार - M.No. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

फॉर्म बी- पी एल

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

पंजीकरण संख्या 124 **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002**

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	**परिचालन लाभ /(हानि)**			
	(क) आग्नि बीमा		-	-
	(ख) मरीन बीमा		-	-
	(ग) विविध बीमा		2162,01,20.11	2215,32,52.61
2	**निवेशों से आय**			
	(क) ब्याज ,लाभांश एवं किराया - सकल		685,17,52.36	524,28,42.67
	(ख) निवेश की बिक्री से लाभ		46,18,27.57	42,63,03.15
	घटाएँ : निवेश की विक्री पर हानि		-	-
3	**अन्य आय**			
	(क) किराया एवं अन्य प्राप्तियाँ		21,29.99	19,97.20
	(ख) अन्य ब्याज आय		1,29,49.54	1,24,19.13
	(ग) अन्य विविध आय एवं फैकटारिंग आय		2,03,70.05	2,28,07.88
	कुल (क)		**2896,91,49.62**	**2785,96,22.64**
4	प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त)			
	(क) निवेश के मूल्य में क्षरण हेतु		-	-
	(ख) प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि			
	- मानक संपत्ति		-	-
	- उप मानक संपत्ति		-	-
	- संदेग्ध संपत्ति		(4,23,41.60)	(1,18.00)
	- हानि संपत्ति		-	-
	(ग) संदेग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		24.25	6.21
5	अन्य व्यय			
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अतिरिक्त अन्य व्यय			
	- निवेश हेतु व्यय		12,09,88.09	10,39,97.34
	- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु व्यय		30,10,00.00	14,40,00.12
	- विविध व्यय		(0.01)	0.63
	(ख) अन्य - फैकटरिंग व्यय		0.88	-
	कुल (ख)		**37,96,71.61**	**24,78,86.31**
	कर पूर्व लाभ (क -ख)		**2858,94,78.01**	**2761,17,36.34**
	घटाएँ :			
	(क) कराधान हेतु प्रावधान			
	- आस्थगित कर		51,61.34	(43,47.10)
	- वर्तमान कर		700,00,00.00	598,00,00.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन		(32,03.70)	11,57.77
	(ग) कर समायोजन - पूर्व के वर्षों का		(29,44.18)	(76,12.79)
	विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ		**2159,04,64.55**	**2164,25,38.46**

फाम बा- पा एल
ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918
पंजीकरण संख्या 124 **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002**

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (` '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (` '000)
	विनियोग			
	(क) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश		-	-
	(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		-	-
	(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
	(ङ) फैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
	(च) जनरल रिजर्व में स्थानांतरण		1725,24,64.55	1730,45,38.46
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/हानि शेष		-	-
	तुलन पत्र को अग्रेषित किया गया शेष		433,80,00.00	433,80,00.00

(सृष्टिराज अंबष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/अप्रनि-अतरिक्त प्रभार
DIN - 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)
निदेशक
DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(पलनीअप्पन मुथु)
निदेशक
DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते केबीसीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 323288E

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार - M.No. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार - M.No. 095584

स्थान : मुंबइ
दिनांक : 16 मइ, 2024

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची -1
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
	सीधे कारोबार से प्रीमियम	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	-	-
	घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	91,14,10.14	219,85,63.16
	शुद्ध प्रीमियम	**1179,62,42.91**	**977,67,22.67**
	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन हेतु समायोजन	(99,86,00.28)	(38,95,00.91)
	कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**1079,76,42.63**	**938,72,21.76**

अनुसूची -2
उपगत दावे (शुद्ध)

	विवरण		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
	प्रदत्त दावे			
	सीधे		450,30,54.61	763,04,85.84
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा		-	-
	घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा		90,23,46.47	246,47,85.46
	घटाएँ :			
	वर्ष के दौरान वसूल किए गए	173,91,36.27		169,50,60.10
	जोड़ें : प्रदत्त दावों की वसूली पर प्राप्त ब्याज	44,30.26		24,62,27.18
	घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता हिस्सा	69,37,63.46		38,29,31.31
		104,98,03.07	104,98,03.07	155,83,55.97
	शुद्ध प्रदत्त दावे **(क)**		255,09,05.07	360,73,44.41
	जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)		4699,74,56.98	5929,31,09.23
	घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध)		-	-
	(ख)		4699,74,56.98	5929,31,09.23
	घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)		5929,31,09.23	6992,96,58.43
	वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध)		-	-
	(ग)		5929,31,09.23	6992,96,58.43
	कुल उपगत दावे (क + ख + ग)		**(974,47,47.18)**	**(702,92,04.79)**

अनुसूची -3
कमीशन

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
	प्रदत्त कमीशन		
	सीधे	31,31,76.79	25,91,79.76
	कुल (क)	31,31,76.79	25,91,79.76
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	-	-
	घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन	12,26,29.24	30,32,95.69
	शुद्ध कमीशन	**19,05,47.55**	**(4,41,15.93)**
	नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए अधोलिखित विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्योरा :		
	एजेंट	-	-
	ब्रोकर	31,31,76.79	25,91,79.76
	कॉर्पोरेट एजेंसी	-	-
	अन्य (कृपया विवरण दें)	-	-
	कुल (ख)	**31,31,76.79**	**25,91,79.76**
	नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए।		

अनुसूची -4
बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं	230,60,69.18	190,59,34.26
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय	10,33,66.38	11,05,36.15
3	प्रशिक्षण व्यय	2,33,69.99	1,99,68.48
4	किराया, दर व कर	9,85,02.82	22,16,17.12
5	मरम्मत	27,12,60.38	20,58,80.49
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	2,45,03.93	2,18,22.71
7	सूचना व्यय	1,09,80.47	1,42,09.72
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार	10,92,85.10	10,30,76.49
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में	79,72.03	76,77.51
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता अथवा किसी अन्य सेवा के रूप में		
	(i) कराधान मामले	14,82.71	16,48.66
	(ii) बीमा मामले	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए	1,02,93.06	98,63.07
10	विज्ञापन व प्रचार	9,63,22.87	10,55,04.66
11	ब्याज अथवा बैंक प्रभार	8,90.38	7,44.47
12	अन्य - विविध व्यय अथवा अन्य व्यय	20,10,13.71	15,66,23.21
13	मूल्यह्रास	11,60,10.01	9,32,42.63
	कुल	**338,13,23.02**	**297,83,49.63**

अनुसूची -5
शेयर पूंजी

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	प्राधिकृत पूंजी 100 रु प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10000,00,00.00	10000,00,00.00
2	निर्गमित पूंजी 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर)	4338,00,00.00	4338,00,00.00
3	अभिदत्त पूंजी 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर)	4338,00,00.00	4338,00,00.00
4	मांगी गई व चुकता पूंजी 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर)	4338,00,00.00	4338,00,00.00
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से चुकता राशि)	-	-
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य	-	-
	घटाएँ : आरंभिक व्यय	-	-
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय	-	-
		-	-
	कुल	**4338,00,00.00**	**4338,00,00.00**

अनुसूची 5 क
शेयर धारण का नमूना
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार)

	शेयरधारक	वर्तमान अवधि		पिछली अवधि	
		शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	% of holding
	प्रवर्तक				
	भारतीय				
	भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित	43,38,00,000	100.00	43,38,00,000	100.00
	विदेशी	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-
	कुल	**43,38,00,000**	**100.00**	**43,38,00,000**	**100.00**

अनुसूची -6
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि	-	-
3	शेयर प्रीमियम	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा	5284,83,87.58	3554,38,49.12
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1725,24,64.55	1730,45,38.46
		7010,08,52.13	5284,83,87.58
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
		7010,08,52.13	5284,83,87.58
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि	60,00,00.00	60,00,00.00
7	लाभ व हानि खाता में शेष	433,80,00.00	433,80,00.00
	कुल	**7503,88,52.13**	**5778,63,87.58**

अनुसूची -7
उधार

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	डिबेंचर/ बॉन्ड	-	-
2	बैंक	-	-
3	वित्तीय संस्थान	-	-
4	अन्य	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची -8
निवेश (शेयर धारक)

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड	4033,62,23.53	2994,73,31.82
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	312,71,12.85	259,41,92.56
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	1784,48,14.50	971,27,89.63
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	46,96,50.79	29,60,57.67
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	1265,54,68.34	1085,23,47.05
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी)	-	-
	च. अनुषंगी संस्थाएं	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	1757,99,56.11	1490,71,97.29
5	अनुमोदित निवेशों के अतरिक्त	92,25,73.93	84,78,72.62
	कुल (क)	**9293,58,00.05**	**6915,77,88.64**
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड	126,25,08.57	111,22,81.11
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,66,12.67	22,07,59.80
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	-	-
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	256,26,30.76	55,80,89.88
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	136,16,27.37	56,62,73.96
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी)	39,62,91.54	66,48,20.40
	च. अनुषंगी संस्थाएं	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	115,25,35.06	65,81,89.86
5	अनुमोदित निवेशों के अतरिक्त	59,80,18.47	29,98,84.08
	कुल (ख)	**737,02,24.44**	**408,02,99.09**
	कुल (क + ख)	**10030,60,24.49**	**7323,80,87.73**

नोट :

अनुसूची 8 एवं 8 अ की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गई सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान 98,49,81.11 105,43,93.57

अनुसूची -8अ
निवेश (पॉलिसीधारक)

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड	2578,87,33.08	2994,73,31.82
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	199,93,01.65	259,41,92.56
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	1140,89,79.77	971,27,89.63
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	30,02,68.54	29,60,57.67
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	809,12,01.07	1085,23,47.05
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी)	-	-
	च. अनुषंगी संस्थाएं	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	1123,96,44.07	1490,71,97.29
5	अनुमोदित निवेशों के अतरिक्त	58,98,42.35	84,78,72.62
	कुल (क)	**5941,79,70.53**	**6915,77,88.64**
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड	80,71,77.61	111,22,81.11
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2,34,08.10	22,07,59.80
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	-	-
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	163,84,03.28	55,80,89.88
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	87,05,48.64	56,62,73.96
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी)	25,33,66.72	66,48,20.40
	च. अनुषंगी संस्थाएं	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	73,68,66.67	65,81,89.86
5	अनुमोदित निवेशों के अतरिक्त	38,23,39.67	29,98,84.08
	कुल (ख)	**471,21,10.69**	**408,02,99.09**
	कुल (क + ख)	**6413,00,81.22**	**7323,80,87.73**

अनुसूची -9
ऋण

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण**		
	जमानती		
	(क) संपत्ति को बंधक रखने पर		
	(कक)भारत में	-	-
	(खख)भारत के बाहर	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(ग) अन्य	-	-
	गैर जमानती	-	-
	कुल	-	-
2	**लेनदारवार वर्गीकरण**		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार	-	-
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान	-	-
	(ग) अनुषंगी	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	-	-
	(ड़) अन्य	-	-
	कुल	-	-
3	निष्पादनवार वर्गीकरण		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में	-	-
	(खख) भारत के बाहर	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	(कक) भारत में	-	-
	(खख) भारत के बाहर	-	-
	कुल	-	-
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण		
	(क) अल्पावधि	-	-
	(ख) दीर्घावधि	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची 10

आंकड़े ₹ '000 में

अचल परिसंपत्तियाँ

		सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतिम	31.03.2023 तक	वर्ष के लिए	बिक्री पर/ समायोजन	दिनांक तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	साख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त	8,15,57.81	-	-	8,15,57.81	7,03,40.09	48,15.67	-	7,51,55.76	64,02.05	1,12,17.72
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली	74,81,52.33	-	-	74,81,52.33	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति	60,58,30.10	-	-	60,58,30.10	9,69,42.16	1,88,44.43	-	11,57,86.59	49,00,43.51	50,88,87.94
5	भवन	157,85,12.22	6,27,32.31	-	164,12,44.53	18,21,00.11	2,76,27.86	(3,10.99)	21,00,38.96	143,12,05.57	139,64,12.11
6	फर्नीचर तथा फिटिंग	27,23,64.01	6,33,19.14	2,30,78.24	31,26,04.91	13,68,46.68	2,07,95.20	2,24,39.51	13,52,02.37	17,74,02.54	13,55,17.33
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	15,29,22.48	1,60,38.84	1,64,52.95	15,25,08.37	11,84,23.28	1,81,07.62	1,64,52.95	12,00,77.95	3,24,30.42	3,44,99.20
8	वाहन	9,33,03.03	-	14,74.11	9,18,28.92	2,79,27.04	1,08,88.31	14,74.11	3,73,41.24	5,44,87.68	6,53,75.99
9	कार्यालयी उपकरण	8,54,86.17	1,74,72.66	64,73.37	9,64,85.46	7,18,60.46	61,76.81	64,61.55	7,15,75.72	2,49,09.74	1,36,25.71
10	विद्युत स्थापना एवं यंत्र	9,10,62.68	-	-	9,10,62.68	70,85.42	87,54.11	35,42.71	1,22,96.82	7,87,65.86	8,39,77.26
कुल		370,91,90.83	15,95,62.95	4,74,78.67	382,12,75.11	71,15,25.24	11,60,10.01	5,00,59.84	77,74,75.41	304,37,99.70	299,76,65.59
प्रगतिरत कार्य										101,29,54.64	73,71,22.82
कुल योग		370,91,90.83	15,95,62.95	4,74,78.67	382,12,75.11	71,15,25.24	11,60,10.01	5,00,59.84	77,74,75.41	405,67,54.34	373,47,88.41
पिछले वर्ष		247,22,12.70	136,28,61.92	12,58,83.79	370,91,90.83	74,34,49.44	9,32,42.63	12,51,66.83	71,15,25.24	373,47,88.41	326,53,19.69

अनुसूची -11
नकदी व बैंक शेष

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट अथवा स्टैम्प सहित)	1,59.98	58,74.09
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	बैंकों के पास	1127,80,00.00	1614,24,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	(खख) अन्य		
	बैंकों के पास	103,00,00.00	-
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	(ख) चालू खाता	31,14,45.74	8,80,65.16
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
	कुल	**1261,97,05.72**	**1623,64,39.25**

अनुसूची -12
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ

	विवरण		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
	अग्रिम			
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ		-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि		-	-
3	समय पूर्व भुगतान		7,94,17.43	11,57,04.72
4	निदेशकों को अग्रिम		-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर तथा स्त्रोत पर कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)		255,55,92.50	269,22,97.74
6	कर्मचारियों को अग्रिम		20,85,32.58	22,18,80.74
7	व्ययों के लिए अग्रिम		3,97,35.59	18,05,00.07
	कुल (क)		**288,32,78.10**	**321,03,83.27**
	अन्य परिसंपत्तियाँ			
1	निवेशों पर प्रौद्भूत आय		382,60,14.89	365,62,84.47
2	बकाया प्रीमियम		-	-
3	एजेंटों के शेष		-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष		-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन इकाइयों से देय		217,19,97.96	210,01,84.89
6	अनुषंगी/धारक इकाइयों से देय		-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)		-	-
8	आवास ऋण पर प्रौद्भूत ब्याज		1,00,93.84	1,22,27.74
9	विविध देनदार-			
	मानक परिसंपत्तियाँ	2,14,06.30		1,53,44.28
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	85.63		61.38
	(I)	2,13,20.67		1,52,82.90
	अवमानक परिसंपत्तियाँ	-		-
	घटाएँ : अवमानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	-		-
	(II)	-	-	-
	सदिंग्ध परिसंपत्तियाँ	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँ : सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	7,04,26.80		7,04,26.80
	(III)	-	-	-
	(I + II + III)		2,13,20.67	1,52,82.90
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि	161,90,81.46		133,42,26.06
	घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान	94,71.30		94,71.30
		160,96,10.16	160,96,10.16	132,47,54.76
11	विविध जमाएँ	78,21,97.57		74,41,13.32
	घटाएँ : सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-		-
		78,21,97.57	78,21,97.57	74,41,13.32
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावित राशि	1,54,94.64		1,54,94.65
	जोड़ें : पॉलिसी धारकों की परिसंपत्तियों की अदावित राशि पर ब्याज	69,03.74		53,83.93
		2,23,98.38	2,23,98.38	2,08,78.58
13	भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी		88,88,43.28	86,97,38.03
	कुल (ख)		**933,24,76.75**	**874,34,64.69**
	कुल (क+ख)		**1221,57,54.85**	**1195,38,47.96**

अनुसूची -13
वर्तमान देयता

	विवरण		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	एजेन्टों का शेष		-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष		82,38,63.70	80,66,45.93
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा		-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम		233,94,43.38	234,10,32.83
5	अनाबंटित प्रीमियम		43,38,46.38	38,88,10.85
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि	1,11,64.57		1,40,10.74
	जोड़ें : पॉलिसी धारकों की अदावित राशि से अर्जित ब्याज	49,66.24		43,39.68
		1,61,30.81	1,61,30.81	1,83,50.42
7	विविध लेनदार		86,93,04.57	79,92,94.81
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय		-	-
9	बकाया दावे		4699,74,56.98	5929,31,09.23
10	कर्मचारियों को देय		45,08,78.15	10,56,49.00
11	अन्य			
	- एन ई आई ए		11,38,57.00	12,81,97.53
	- फ़ैक्टरिंग		40,27.15	28,34.60
	- विविध		7,23,92.43	3,09,70.59
	- जी एस टी/सेवा कर देयता		1,11,18.49	91,51.73
	कुल		**5213,23,19.04**	**6392,40,47.52**

अनुसूची -14
प्रावधान

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित	589,81,21.46	489,95,21.18
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित	-	-
3	कराधान के लिए		
	-आय कर(अग्रिम कर को घटा कर)	-	-
4	प्रस्तावित लाभांशों के लिए	-	-
5	लाभांश वितरण कर के लिए	-	-
6	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए		
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा	61,10,51.58	56,66,73.75
	- ग्रेच्युटी	1,66,35.51	1,43,21.58
	- पेंशन	28,97,42.87	34,87,69.63
7	कम कारोबार वाले शेयरों हेतु	-	-
8	निवेश परिसम्पतियो हेतु	98,49,81.11	105,43,93.57
	कुल	**780,05,32.53**	**688,36,79.71**

अनुसूची -15
विविध व्यय

	विवरण	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित (₹'000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट	-	-
2	अन्य	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची – 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. **लेखा प्रणाली**

1.1 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के नियामक प्रावधानों; बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा एवं उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 133 एवं बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

1.2 **अनुमानों का उपयोग:**

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं, जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के मध्य के अंतर का पता तब चलेगा, जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आएंगे।

2. **अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास**

2.1 अचल सम्पत्तियों का अंकन अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गई है। वर्ष के दौरान शामिल की गई/ निपटान की गई परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास की गणना उन्हें शामिल किए जाने / निपटान की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर की गई है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनका उपयोग की गई अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।

2.4 वह कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें कि सॉफ्टवेयर पहले से अपलोडेड है वह हार्डवेयर का अभिन्न अंग होते है तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत किया गया है।

2.5 कंपनी के लेखा मानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस – 26 – अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूर्ण करने वाले सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य, को "अमूर्त" शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा उसे 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी कटौती प्रणाली पर परिशोधित किया गया है।

2.6 चालू स्थिति वाली परियोजनाओं को पूंजीकृत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) के रूप में दर्शाया गया है जो कि अग्रिम एवं प्रत्यक्ष लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं।

3. हानि

हानि के किसी भी संकेत की जानकारी प्राप्त करने के लिए परिसम्पत्तियों पर वहन की जाने वाली राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है। हानि का संकेत प्राप्त होने पर संपत्ति पर वसूली योग्य राशि की गणना की जाती है। यदि संपत्ति पर वहन की जाने वाली कोई भी राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो इसे हानि माना जाता है।

4. **निवेश**

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण यथा वाणिज्यिक पत्रों एवं जमा प्रमाण पत्रों को उनकी छूट प्राप्त कीमत पर दर्शाया गया है एवं अर्जित आय में से अधिग्रहण लागत तथा छूट कीमत को समय के आधार पर विभाजित किया गया है।

4.2 शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर इत्यादि की खरीद एवं बिक्री के लिए संविदा को लेनदेन की तारीख पर "निवेश" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

4.3 निवेश की लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, दलाली, स्थानांतरण टिकट, स्थानांतरण शुल्क इत्यादि शामिल हैं एवं यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गई है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गई है।

4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के

आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (फिफ़ों) के आधार पर की गई है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर की गई है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा एन ए वी के मध्य के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गई है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पाई गई तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित एवं अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई) जो कि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी साधन को एन एस ई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के मध्य के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है।

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी

किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित/असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है ।

4.10 सूचीबद्ध ईक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में लगातार तीन वर्षों से हानिग्रस्त कंपनियों में किया गया निवेश पूंजी का ह्रास हो रहा हो, तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पूर्व के कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध न होने की स्थिति में निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि मानी गई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गई :

अ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में:- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है, तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है।

आ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :– लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया।

इ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :– लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया।

ई) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गई / इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की जाती। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है, तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/-रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

ख) एक बार जब उपरोक्त उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गई हो, तो इस प्रकार की हानियों के

प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गई कंपनियों की हानियाँ पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हों व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई।

4.12 रिवर्स रेपो संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के प्रथम (1ले) व द्वितीय (2रे) चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 "ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली (ट्रेप्स)", जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना जाता है। ट्रेप्स के जरिए ऋण पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है तथा उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है।

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को" अंकित मूल्य परिवर्तन खाता " शीर्ष में शामिल किया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित , "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता " में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 "शेयरधारकों" एवं " पॉलिसीधारकों" की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं) 10.2 में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः "शेयरधारकों की निधियाँ " व "पॉलिसीधारकों की निधियाँ " शीर्ष "शेयरधारकों" व "पॉलिसीधारकों" की निधि में आबंटित किया गया है।

4.16 कंपनी द्वारा आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया जाता है।

5. प्रीमियम आय

कंपनी द्वारा भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण **आई आर डी ए आई** के निर्देशों के अनुसार अपने पत्र संख्या एफएनए/जीईसी/एलआर/001/2013-14/12**,** दिनांक 30 जनवरी**,** 2014**,** का पालन करते हुए के अनुसार मार्च के माह के दौरान निर्यातकों द्वारा किए

गए पोतलदानों / बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋण से संबंधित जोखिम एवं प्रीमियम आय की पहचान आगामी वर्ष दौरान की गई है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

वर्ष के दौरान असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण निवल प्रीमियम आय के 50% का प्रावधान किया गया है।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम में कमी उस समय पहचानी जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए निर्धारित प्रारक्षित निशियों से अधिक हो।

8. **बकाया दावों के लिए आरक्षित निधियाँ**

8.1 अल्पावधि रक्षा (एसटी) के अंतर्गत संसाधित बकाया दावों एवं मध्यम तथा दीर्घावधि रक्षा के अंतर्गत सभी बकाया दावों के मामले में रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि को देय अनुमानित राशि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अल्पावधि रक्षा के अंतर्गत उन बकाया दावों के लिए जिन पर प्रक्रिया शेष हो पूर्ववर्ती वर्षों के दावे के भुगतान के अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण के आधार, पर औसत आवक दर पर प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान को आगे की जानकारी/समर्थक दस्तावेजों की जांच की उपलब्धता पर उपयुक्त परिवर्तनों के लिए उत्तरोत्तर संशोधित किया जाता है।

8.2 इसके अतिरिक्त, दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) के लिए प्रावधान, दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आई बी एन ई आर) के लिए प्रावधान का वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार गणना की जाती है।

8.3 निम्नलिखित दावों के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है:

(i) कंपनी द्वारा नामंज़ूर किए गए एवं ऐसे दावों जिन पर प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, जिनके संबंध में कानूनी कार्रवाई एवं/अथवा मध्यस्थता प्रारंभ की गई है, को ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। दावित अथवा प्रदत्त अथवा वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू ब्याज, जैसे भी मामला हो, को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता माना जाएगा।

(ii) बैंकों द्वारा अधिमानित उनके द्वारा पुष्टि किए गए दावे जहां बकाया राशि की वसूली के लिये समझौता प्रस्तावों पर चर्चा चल रही हो, ऐसे दावों के लिए दावा प्रावधान नहीं किया गया है।

9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम के अधिग्रहण पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण जोखिम के आरंभ होने वाले वर्ष से किया गया है। सौंपे गए प्रीमियम में किसी भी अनुवर्ती संशोधन को ऐसे संशोधन के वर्ष में मान्यता प्रदान की जाती है। पॉलिसियों को रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष के दौरान इसे रद्द किया जाता है।

9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिस वर्ष के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की जाती है।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार गणना की गई है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्ति योग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय

10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गई है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के मध्य उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्तीय वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः "शेयरधारक निधि " व " पॉलिसीधारक निधि " के रूप में प्रभाजित किया गया है। "शेयरधारक" निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। "पॉलिसीधारकों" की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

11. कार्मिक अनुलाभ

11.1 कंपनी द्वारा सभी पात्र कार्मिकों के लिए एक निश्चित लाभ योजना, ग्रेच्युटी, प्रदान किया जाता है। यह योजना पात्र कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर अथवा रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मी के वेतन तथा कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान की जाती है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा निर्मित ग्रेच्युटी फंड में अपना अंशदान करती है। वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अंशदान की राशि निर्धारित की जाती है। इस प्रकार के अंशदान को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पाई गई कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के मध्य के अंतर के लिए प्रावधान किए गए हैं।

11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कार्मिक अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक प्रतिपूर्तियोग्य अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। दीर्घावधिक प्रतिपूर्तियोग्य अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त प्रावधान किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम निधि से कम हो तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।

11.5. कार्मिक निश्चित लाभ योजना के जरिए भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होते हैं जिसमें, आवरित कार्मिक अपने मूल वेतन के 10% के हिसाब से कार्मिक अपना अंशदान करते हैं। कंपनी द्वारा, उन पात्र कार्मिकों जिन्होनें दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया हो व पेंशन का विकल्प नहीं चुना हो, के मामले में समान राशि का अंशदान किया जाता है। कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की गई है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी द्वारा आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर निश्चित दर पर

प्राप्तियों की गारंटी प्रदान की गई है। प्राप्तियों में यदि कोई कमी हुई तो, उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाएगी।

11.6 कार्मिक निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, जिसमें रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करते हैं। वे कार्मिक जिन्होनें दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगी तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगी।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कार्मिक अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधि लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कार्मिक लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखा अवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि कंपनी द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाएं कि उसके द्वारा भविष्य में सामान्य कर की अदायगी की जाएगी तथा परिणामी परिसंपत्ति कंकण विश्वसनीयता पूर्वक किया जाएगा।

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति

की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जाई जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास की गणना नहीं की गई हो तो (अनवशोषित), आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है, जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. **प्रावधान**, **आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ**:

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गई है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी के संभावित अथवा वर्तमान दायित्व उपलब्ध हों तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता नहीं होगी।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों की वित्तीय विवरणों में न तो पहचान की गई है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. **फैक्टरिंग**

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न हुए हैं तब से की गई है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है:-

निम्नमानक परिसंपत्तियाँ :	i. 10% का सामान्य प्रावधान ii. आरंभ में असुरक्षित जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहां वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य आरंभिक मूल्य के 10% से अधिक न हो)
संदिग्ध परिसंपत्ति :	
सुरक्षित अश :	i. एक वर्ष तक – 20%
	ii. एक से तीन वर्ष तक – 30%
	iii. तीन वर्ष से अधिक – 100%
असुरक्षित अश	100%
हानि परिसपत्ति :	100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

16.1 आरंभिक मान्यता – विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के मध्य के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 संपरिवर्तन - विदेशी मुद्रा राजकोषीय मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों, जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गई है, को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर – मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है।

<u>अनुसूची 17</u>

लेखाओं के साथ संलग्न एवं उनका अंश बनाने वाले टिप्पणियाँ:

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

संलग्न वित्तीय विवरण, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 एवं वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में जारी परिपत्र एवं/अथवा दिशानिर्देश; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. वर्णित राशियों की प्राप्ति

प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य प्रवाह में चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत आने वाली मदें वसूली पर कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य धारित करती हैं, जिस पर उन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है एवं सभी ज्ञात देयताएँ एवं संदिग्ध सम्पत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. अचल संपत्ति:

अचल संपत्ति के अधीन "बिल्डिंग" के अंतर्गत एक संपत्ति (जुहू गीतांजलि वास्तुशिल्प सी एच एस), जिसका मूल्य ₹3,98.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹3,98.47 हज़ार) है, का स्टैम्प ड्यूटि शुल्क का भुगतान किया गया था परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है, जिसमें जुहु गीतांजलि वास्तुशिल्प सी एच एस के सदस्यों के साथ मिलकर प्रापर्टी डेवलपर के साथ पुनर्विकास समझौता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें ₹5,77,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हज़ार) की संपत्ति शामिल है जिसका स्टैम्प अनुबंध गुम हो गया है एवं वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इन सम्पत्तियों के संबंध में को-ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

4. अग्रिम तथा अन्य संपत्तियाँ:

4(क) अग्रिमों एवं अन्य सम्पत्तियों में शामिल है:

कंपनी के विरुद्ध दायर किए गए दावा वाद के लिए न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ₹69,32,10.59 हजार की राशि (पिछले वर्ष ₹66,63,60.05 हज़ार) कोर्ट में जमा की गई है, जिसके संबंध में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। उक्त को विविध जमा के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4(ख) कार्मिकों को आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है। आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम निपटान के समय किया जाता है।

4(ग) सू प्रौ विक्रेता से वर्षांत के लिए वसूली योग्य राशि ₹17,23,92.70 को अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियों (अनुसूची 12) सहित "अन्य से वसूली योग्य राशि" के रूप में दर्शाया गया है। उक्त मामला मध्यस्थता के अधीन है क्योंकि कंपनी द्वारा मांग की गई राशि ₹29,17,48.34 हज़ार के लिए विक्रेता द्वारा ₹146,98,02.40 हजार का प्रतिदावा दायर किया गया है। आकस्मिक देयता में ₹146,98,02.40 हजार को भी शामिल किया गया है। (निम्न नोट का अवलोकन करें)

4(घ) अग्रिमों एवं अन्य सम्पत्तियों (अनुसूची 12) में पुनर्बीमाकर्ता के समक्ष प्रस्तुत दावों के संबंध में जून 2014 से अधिक हानि (एक्स ओ एल) संधि के कारण पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य के रूप में ₹ 160,69,69.18 हजार (पिछले वर्ष ₹161,89,42.9 हजार) भी शामिल हैं। उक्त पुनर्बीमाकर्ता कंपनी को पुनर्स्थापन प्रीमियम भी देय है। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों से वसूली की गई थी एवं इसे पुनर्बीमाकर्ता के साथ साझा किया जाना है। कंपनी द्वारा पुनर्बीमा कंपनी के साथ कई दौर की सकारात्मक चर्चा की गई एवं इस बात की अत्याधिक संभावना है कि राशि की वसूली की जाएगी। ₹35,46,73.33 हजार (पिछले वर्ष ₹35,79,32.16 हजार) के पुनर्स्थापन प्रीमियम को समायोजित करने के पश्चात शुद्ध प्राप्य राशि ₹125,22,95.85 हजार (पिछले वर्ष ₹126,10,10.79 हज़ार) होगी।

4 (ड़) अग्रिम एवं अन्य संपत्तियों में भारत सरकार की ओर से अफ्रीकन व्यापार बीमा में ₹88,88,43.28 हज़ार (पिछले वर्ष ₹86,97,38.03 हज़ार) के पूंजीकरण भी शामिल है। ए टी आई द्वारा ₹1,91,05.25 हज़ार (₹ 2,31.69 हज़ार अमेरिकन डॉलर) का लाभांश प्रदान किया गया, जिसे वर्तमान वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया हैं।

5. वर्तमान देयताएँ:

5(क) वर्तमान देयताओं में ₹45 290.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 616,00.00 हज़ार) भी शामिल है, जो कि कार्मिकों को उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि योजना (पी एल एल आई), जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन अधीन 31 मार्च 2024 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग पर आधारित हैं।

5(ख) कंपनी द्वारा प्रचलित उद्योग प्रथाओं के आधार पर अपने कार्मिकों के लिए वेतन संशोधन के अंतर्गत ₹36,38,69.00 हज़ार का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिनांक 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ₹14,07,93.00 हजार का अंतर प्रावधान शामिल है एवं यह वेतन संशोधन वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात कार्मिकों को देय होगा।

5(ग) कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार, दायर किए गए एवं लंबित दावों के पर देयताओं का प्रावधान व्यक्तिगत दावों के आकलन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के दावों के लिए देयताओं का निर्धारण वर्षांत पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। प्रबंधन की राय में, नियुक्त बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त के प्रभाव, यदि कोई हो तो, को वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए एवं अपर्याप्त रिपोर्ट किए गए (आई बी एन आर एवं आई बी एन ई आर) दावों के समग्र प्रावधान तथा लंबित दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का आकलन करते समय ज्ञात किया जा सकता है। तदनुसार, रिपोर्ट नहीं किए गए एवं अपर्याप्त रूप से रिपोर्ट किए गए दावों (आई बी एन आर एवं आई बी एन ई आर) के प्रति अनुमानित देयता के रूप में ₹4550,64,56.96 हजार (पिछले वर्ष ₹5572,29,75.28 हजार) की राशि को मान्यता प्रदान की गई है।

5(घ) कंपनी द्वारा एक पॉलिसी धारक के दावे को खारिज किया गया है, जिसके लिए पॉलिसी धारक (पी एच) द्वारा कंपनी के खिलाफ अनुबंध पूर्ण करने संबंधी मुकदमा दायर किया गया है एवं दि. 31/03/2024 तक मामला विचाराधीन है। अनुसूची 13 के अंतर्गत अग्रिम प्रीमियम की प्राप्ति – वर्तमान देयताओं में ₹2,32,44.55 हज़ार की ऐसी देयताएं शामिल हैं, जो कि पॉलिसीधारक की ओर से घोषणापत्र प्राप्त नहीं होने के कारण समायोजित नहीं की गई हैं। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी, दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गई है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, पॉलिसीधारक कंपनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में ₹ 2,40,00.00 हजार के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध हैं एवं शेष राशि को गैर-उपयोगिता के कारण पॉलिसी धारक को वापस किया जाना है। चूंकि पॉलिसी दस्तावेज़ के अंतर्गत प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः ₹2,32,44.55 हजार की सम्पूर्ण राशि (न्यूनतम प्रीमियम से ₹30,00.00 हजार की अधिक राशि सहित) को विविध लेनदारों - अनुसूची 13 के शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5(ङ) इसके अतिरिक्त, "अनुसूची 13-वर्तमानदेयताएं" के अंतर्गत "विभिन्न लेनदार" मद में विभिन्न बैंकों को प्रदान की गई उन रक्षाओं के विस्तार हेतु प्रीमियम के रूप में प्राप्त

₹24,61.77 हज़ार (पिछले वर्ष ₹24,61.77 हजार) शामिल हैं, जो कि बैंकों द्वारा निर्यातक-खरीदार को प्रदान की गई गारंटी के अंतर्गत उपलब्ध की गई थी। कंपनी द्वारा उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया गया है एवं बैंकों को रक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किया गया है। कंपनी द्वारा उक्त प्रीमियम राशि बैंकरों को वापस की गई है, कुछ बैंकों द्वारा धन वापसी को स्वीकार नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा उक्त राशि को 'विविध लेनदारों' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. प्रावधान

₹105,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹105,00,00.00 हज़ार) के अंकित मूल्य वाले ऋणपत्रों में निवेश किया गया, जिसका लेखा मूल्य ₹104,97,70.60 हज़ार (पिछले वर्ष ₹109,97,70.60 था) है। उक्त में से वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ₹6,94,12.45 हज़ार प्राप्त किए गए एवं शेष लेखा मूल्य ₹98,03,58.15 के ऋणपत्रों के निवेश को संदिग्ध माना गया है एवं आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी जानकारी पिछले वर्ष के लेखा खातों में उपलब्ध कराई गई है। इसे सम्पत्तियों के निवेश के प्रावधान – अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. फ़ैक्टरिंग

कंपनी द्वारा मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹85.63 हज़ार (पिछले वर्ष ₹61.38 हज़ार) का प्रावधान किया गया है, जबकि आई आर डी ए आई के मानदंडों के अनुसार संदिग्ध सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा पूर्व में ₹7,04,26.80 हज़ार का प्रावधान किया गया है।

8. पुनर्बीमा

भारतीय सामान्य बीमा कंपनियों को जारी किए गए आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कंपनी द्वारा सम्पूर्ण कारोबार के 4% (अल्पावधि तथा मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार) का अनिवार्य सेशन किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई भी अन्य संधि नहीं की गई थी। पूर्व में किए गए पुनर्बीमा कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		हानि की अधिकता (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध

2010-11	10%	NIL	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (पॉलिसी)	5%	27%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 (ईसीआईबी)	5%	21.5%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2019-20 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2019-20 (ईसीआईबी)	5%	14.5%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2020-21 (पॉलिसी)	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2020-21 (ईसीआईबी)	5%	8%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2021-22 (पॉलिसी)	5%	19.24%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2021-22 (ईसीआईबी)	5%	8.85%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2022-23 (पॉलिसी)	4%	21%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2022-23 (ईसीआईबी)	4%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं

9. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (ए आर टी)

भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ कंपनी द्वारा मध्यम एवं दीर्घावधि रक्षाओं के अंतर्गत कुछ कुछ उच्च मूल्य के जोखिमों के लिए जोखिम साझा अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है। जुलाई 2022 से हेडरूम की अनुपलब्धता के कारण एन ई आई ए के सहायता की अनुपलब्धता के कारण कंपनी द्वारा जोखिम मानदंडों का पालन करते हुए पूर्ण जोखिम प्रतिधारण के साथ ये रक्षाएँ जारी की जा रही हैं।

10. प्रीमियम आय

प्रीमियम आय को जोखिम की धारणा पर मान्यता प्रदान की जाती है। लेखा नीति के अनुसार, मार्च माह में निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदान / बैंक द्वारा जारी किए गए

निर्यात ऋण के संदर्भ में जोखिम एवं प्रीमियम आय का अनुमान आगामी माह में ही लगाया जा सकता है। आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2014 को जारी पत्र संख्या- एफ एन ए / जी ई सी / एल आर / 001 / 2013-14 / 12 के जरिए कंपनी द्वारा स्थापना के पश्चात, लगातार अपनाई जाने वाली प्रीमियम लेखा पद्धति से सहमति व्यक्त की गई है। कंपनी द्वारा माह मार्च 2024 में किए गए पोतलदान / अनुमोदित अग्रिम के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी प्रीमियम आय के रूप में ₹59,20,15.28 हज़ार (पिछले वर्ष ₹19,01,16.81 हज़ार) का अनुमान लगाया गया है, जिसे अगले आने वाले वर्ष में आय माना जाएगा।

11. एन ई आई ए ट्रस्ट

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्रशासनिक शुल्क के रूप में कंपनी को प्राप्त ₹2,08,14.02 हजार (पिछले वर्ष ₹7,92,14.26 हजार) की प्राप्तियां अन्य आय में शामिल हैं। प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्राप्त ₹11,38,57.00 हजार (पिछले वर्ष ₹12,81,97.53 हजार) के अग्रिम, वर्तमान देयताओं - अन्य - एनईआईए ट्रस्ट में शामिल हैं।

12. कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रथाओं के अनुसार, कंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, जिसमें प्रधान कार्यालय दावा समिति (एच सी सी) भी शामिल है, अपनी प्रत्यायोजित अधिकारों के भीतर प्रस्तुत दावों में कुछ खामियों को माफ कर दावों का निपटान किया जाता है। निपटाए गए इन सभी दावों को कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में निपटाया गया माना जाता है।

13. पूर्व अवधि में किए गए समायोजनों में शामिल हैं:

डेबिट: (₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	-	64.24
अन्य	3.56	2,77.96
किराया, दर एवं कर	40.00	5,47.80
मरम्मत एवं रखरखाव	-	2,46.27
मूल्यह्रास	3,29.97	-
एजेंसी कमीशन	-	21.50
कुल	**3,73.53**	**11,57.77**

क्रेडिट: (₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य	34.52	-
मूल्यह्रास	35,42.71	-
कुल	**35,77.23**	-
पूर्व अवधि समायोजन में शुद्ध नामे / (क्रेडिट)	**(32,03.70)**	**11,57.77**

14. विदेशी विनिमय में आय एवं व्यय:

(₹ '000)

आय	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
पुनर्बीमा*	3,21,72.80	30,77,18.51
अन्य प्राप्तियां	5,04.23	6,47.30
व्यय	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
सदस्यता शुल्क एवं अन्य व्यय	36,79.07	42,00.33
परामर्श शुल्क	61,61.25	-
स्थिति जांच शुल्क	86,03.24	1,18,52.00
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	17,96.92	34,48.22
यात्रा व्यय	12,81.81	23,91.67

*पुनर्बीमा आय प्रदत्त दावों की विदेशी मुद्रा में वसूली एवं पुनर्बीमा प्रीमियम का निवल है।

15. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों एवं वायदा अनुबंधों में कोई जोखिम नहीं है। कंपनी का विदेशी मुद्रा (असुरक्षित) में कोई जोखिम नहीं है।

16. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी मुख्यतः 'निर्यात ऋण बीमा' में कार्यरत है।' कंपनी द्वारा निर्यातकों को फैक्टरिंग सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान कुल बिल ₹4,58,76.39 हजार (पिछले वर्ष ₹3,61,47.94 हजार) था। वर्ष के दौरान कुल राजस्व ₹7,17.47 हजार (पिछले वर्ष ₹6,05.57 हजार) रहा। चूंकि फैक्टरिंग राजस्व, लाभ अथवा हानि एवं संपत्ति, कुल खंड गतिविधि के 10% से कम है, अतः यह ए एस 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

17. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन:

(i) **मुख्य प्रबंधन कार्मिक:**

क्रम सं	नाम	पदनाम	श्रेणी	दिनांक- 31/03/2024 के अनुसार
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)	कार्यकारी निदेशक – कार्यपालक	दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त
		अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त
2	श्री सुबीर कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक-(परिचालन)	दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त
3	श्री पी एल ठाकुर	महाप्रबंधक	मुख्य विपणन अधिकारी	दिनांक 08-06-2023 से नियुक्त
4	श्री ईशनाथ झा	महाप्रबंधक	(i) मुख्य आंतरिक लेखा अधिकारी	(i) दिनांक 09-11-2023 से नियुक्त
			(ii)मुख्य सतर्कता अधिकारी	(ii) दिनांक 15-09-2023 से नियुक्त
5	श्रीमती प्रिसिला सिन्हा	नियुक्त बीमांकिक	नियुक्त बीमांकिक	दिनांक 27-01-2020 से नियुक्त
6	श्रीमती स्मिता पंडित	महाप्रबंधक	कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	दिनांक 04-06-2013 से नियुक्त
7	श्री आनंद सिंह	महाप्रबंधक	मुख्य हामीदारी अधिकारी (ईसीआईबी-अल्पावधि)	दिनांक 08-06-2023 से नियुक्त
8	श्री अभिषेक कुमार जैन	महाप्रबंधक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	दिनांक 07-06-2023 से नियुक्त
9	श्री गौरव अंशुमान	महाप्रबंधक	महाप्रबंधक-मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन विभाग	दिनांक 01-09-2023 से नियुक्त
			मुख्य जोखिम अधिकारी	दिनांक 02-11-2023 से नियुक्त
10	श्रीमती अर्पिता सेन	महाप्रबंधक	(i) मुख्य हामीदारी अधिकारी (पॉलिसी) (ii) मुख्य हामीदारी अधिकारी (एम एल टी)	(i), (ii) दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त

11	श्री सब्यासाची दाश	महाप्रबंधक	मुख्य तकनीकी अधिकारी	दिनांक 25-09-2023 से नियुक्त
12	श्री यशवंत ब्रीद	उप महाप्रबंधक	मुख्य निवेश अधिकारी	दिनांक 09-09-2021 से नियुक्त

(ii) वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक:

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वेतन एवं भत्ते	6,19,16.01	4,78,50.93
नियुक्त बीमांकिक	1,07,38.46	94,99.02

(iii) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

एन ई आई ए ट्रस्ट (₹ '000)

क्र. सं.	लेनदेन का प्रकार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के लिए प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	2,08,14.02	7,92,14.26
2	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रशासनिक शुल्क (आज की तिथि तक शेष)	11,38,57.00	12,81,97.53
3	एन ई आई ए को किए गए पूर्व प्रदत्त व्यय (आज की तिथि तक शेष)	3,58,17.30	5,35,67.19
4	वर्ष के अंत तक बकाया राशि – डेबिट शेष	92,27,34.24	112,61,49.57
5	गारंटी शुल्क का भुगतान	1,77,49.89	2,23,19.68

मेसर्स कुमार इन्टरनेशनल (₹'000)

क्र. सं.	लेनदेन का प्रकार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	अग्रिम प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि	55.30	87.00

18. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लेखांकन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर का गणना किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹51,61.34 हजार की राशि का शुद्ध आस्थगित कर जमा हुआ है (पिछले वर्ष नामे ₹43,47.10 हजार)। वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹43,80,76.63 हजार (पिछले वर्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹44,32,37.97 हजार) हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवंआस्थगित कर देयताओं का विवरण निम्नानुसार है।

(₹ '000)

विवरण	दिनांक 01-04-2023 को प्रारम्भ	वर्ष के दौरान व्यय/ क्रेडिट	दिनांक 31-03-2024 को समाप्त
देयता			
मूल्यह्रास	3,46,95.67	1,21,79.07	4,68,74.74
कुल	**3,46,95.67**	**1,21,79.07**	**4,68,74.74**
संपत्तियाँ			
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	14,26,20.45	1,11,69.01	15,37,89.46
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	28,54,93.98	(1,74,63.63)	26,80,30.35
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	1,27.16	15,49.76	16,76.92
कर देयता के लिए प्रावधान	3,40,52.22	55,55.39	3,96,07.61
एन पी एस	1,36.34	41.29	1,77.63
पी एल एल आई	1,55,03.49	(41,04.90)	1,13,98.59
वेतन संशोधन (पीएफ एवं अवकाश नकदीकरण)	-	1,02,70.81	1,02,70.81
कुल	**47,79,33.64**	**70,17.73**	**48,49,51.37**
आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)	**44,32,37.97**	**(51,61.34)**	**43,80,76.63**

19. प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(क)	अंश: लाभ एवं हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ (₹ '000)	2159,04,64.55	2164,25,38.46
(ख)	हर: वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	43,38,00,000	40,03,15,068
(ग)	प्रति शेयर आय: मूल (₹)	49.77	54.06
(घ)	शेयरों का नाममात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास कोई भी बकाया संभावित इक्विटी शेयर नहीं है। नतीजतन, कंपनी की प्रति शेयर मूल आय समान रहती है।

20. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	पॉलिसियों के अलावा अन्य दावे, जिन्हें कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता हैं	170,83,44.00	170,83,17.00
3.	वे पॉलिसी एवं ईसीआईबी दावे, जिन्हें कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता हैं	2907,55,66.00	2126,63,60.00
4.	कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से दी गई गारंटी	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	आयकर	71,43,25.55	824,57,00.00

21. पूंजी प्रतिबद्धताएं

बकाया पूंजी प्रतिबद्धताओं की राशि ₹87,28,94.39 हजार (पिछले वर्ष ₹204,23,49.85 हजार) है।

22. नियुक्त बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार कोई प्रीमियम न्यूनता रिजर्व प्रदान नहीं किया जाता है।

23. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रारक्षित निधि:

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं धारा 198 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए सी एस आर प्रावधान का गणना किया गया है। प्रारंभिक प्रारक्षित निधि, किए गए भुगतान एवं अंतिम प्रारक्षित निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ '000)

(क)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किए जाने हेतु सकल राशि:		31,64,91.16
(ख)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि:		30,10,00.00
(ग)	वर्ष के दौरान व्ययित राशि:		
	(i)	किसी भी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण के लिए	शून्य
	(ii)	उपरोक्त (i) के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से	29,08,46.01
(घ)	संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, लेखा मानक (ए एस) 18 के अनुसार संबंधित पक्ष लेन-देन विवरण, जैसे सी एस आर व्यय के संबंध में ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी द्वारा नियंत्रित धारा 8 कंपनी को किया गया अंशदान		शून्य
(ङ)	धारा 135(5) एवं धारा 135(6) के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:		

धारा 135(5) अव्ययित राशि				
प्रारंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	अंतिम शेष
1,54,91.16	3,68.66	30,10,00.00	29,04,77.35	2,56,45.15

धारा 135(5) व्ययित अतिरिक्त राशि			
प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	अंतिम शेष
लागू नहीं			

धारा 135(6) जारी परियोजना							
वर्ष	प्रारंभिक शेष		व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि		अंतिम शेष	
	कंपनी के साथ	पृथक सी एस आर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते में
2022-23	3,68.66*	1,51,22.50	-	3,68.66*	1,51,22.50	-	-
2023-24	-	-	30,10,00.00	27,53,54.85	-	180.37**	2,54,64.78

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसी भी परियोजना से संबंधित नहीं होने वाली रुपये 3,68.66 हजार की अव्ययित राशि (स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित शेष अव्ययित राशि) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वच्छ भारत कोष में अंतरित किया गया।

**वर्तमान वर्ष के लिए रुपये 1,80.37 हजार की अव्ययित राशि, जो किसी भी परियोजना से संबंधित नहीं होने वाली (शेष अव्ययित राशि स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वच्छ भारत कोष में अंतरित करने का प्रस्ताव है।

24. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन, 2002 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण को अनुलग्नक - 1 ए एवं 1 बी के अनुरूप संलग्न किए गए हैं।

25 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (अनुसूची 8) अंतर्गत शामिल है:

(क) कंपनी द्वारा किए गए 'द्वितीयक बाजार' लेनदेन के लिए मार्जिन के रूप में ''7.54% 2036'' भारत सरकार के बांड जिनका बही मूल्य ₹5,02,37.00 हजार है (पिछले वर्ष ₹4,99,25.00 हजार, ''7.16% 2023'' भारत सरकार बांड) 'क्लियरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड' को प्रभारित किया गया।

(ख) कंपनी द्वारा संपार्श्विक ऋण एवं ऋण देयता के लिए मार्जिन के रूप में ''7.54% 2036'' भारत सरकार के बांड जिनका, बही मूल्य ₹1,00,47.00 हजार है (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हजार 8.24% 2027 भारत सरकार के बांड) को क्लियरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रभारित किया गया।

(ग) कंपनी द्वारा दर्ज किए गए द्वितीयक बाजार इक्विटी लेनदेन हेतु मार्जिन के लिए ''7.95% 2032'' भारत सरकार बांड, जिनका अंकित मूल्य ₹40,00,00.00 हजार है (पिछले वर्ष 7.95% 2032

भारत सरकार के बांड, ₹40,00,00.00 हजार) को नियामक अपेक्षाओं के अनुसार 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड' को प्रभारित किया गया।

26. निवेश

(क) वर्ष 2018-19 में कंपनी द्वारा सॉल्वेंसी मार्जिन के अतिरिक्त शेयरधारक निधि हेतु ₹290,58,37.42 हजार बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹275,00,00.00 हजार) को पृथक वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि पैरा 4(ई) में उल्लिखित है, अफ्रीकन ट्रेड इंश्योरेंस को अंतरण किए जाने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सॉल्वेंसी मार्जिन के अतिरिक्त शेयरधारक निधि में शेष राशि ₹288,70,07.36 हजार, जिसका बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹279,69,31.79 हजार) है।

(ख) माननीय एनसीएलटी द्वारा एमटेक ऑटो लिमिटेड के लिए अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार कंपनी ₹48,58.96 हजार की राशि प्राप्त करने की पात्रता थी। उपरोक्त में से, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2,35.99 हजार प्राप्त हुए हैं एवं शेष प्राप्य राशि ₹46,22.97 हजार थी, जो सम्पूर्ण रूप से पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

27. कार्मिक लाभ:

(क) परिभाषित लाभ पेंशन योजना का विस्तार उन सभी कार्मिकों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है, जो दिनांक 31/03/2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में शामिल हुए हैं। जो कार्मिकदिनांक 01/04/2010 को अथवा उसके बाद कंपनी में शामिल हुए हैं, वे परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।

(ख) कंपनी द्वारा प्रत्येक पात्र कार्मिक के लिए पेंशन निधि प्रशासक को मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता/व्यक्तिगत भत्ते का 10% का भुगतान किया जाता है।

(ग) ऐसे कार्मिकों के मामले में, जो परिभाषित लाभ पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, कंपनी द्वारा पेंशन निधि ट्रस्ट में अंशदान भेजा जाता है। ऐसे कार्मिकों के लिए, जो परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, कंपनी द्वारा उनके लिए भविष्य निधि ट्रस्ट में कंपनी का अंशदान भेजा जाता है।

(घ) आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के कार्यान्वयन के संदर्भ में मार्गदर्शन टिप्पणी में बताया गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसके लिए नियोक्ता द्वारा ब्याज की न्यूनता को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है, उसे परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाना चाहिए।

(ङ) चूंकि भविष्य निधि कोष एवं उससे होने वाली आय, भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है एवं खाते में प्रावधान के संबंध में कोई विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी द्वारा पिछले वर्ष 2022-23 के ब्याज की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए वर्ष के दौरान भविष्य निधि ट्रस्ट को ₹44,18.30 हजार का भुगतान किया गया है।

(च) कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कंपनी के कार्मिक, छुट्टी एवं दीर्घकालीन सेवा लाभ के पात्र हैं। लेखा वर्ष के अंतिम दिन पर 'संचित छुट्टी' एवं दीर्घकालीन सेवा लाभ' के कारण होने वाली देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(₹ '000)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	'परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	61,10,51.58	56,66,73.75

	वर्ष के आरंभ में देयता	56,66,73.75	56,16,24.84
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	4,43,77.83	50,48.91

(छ) उपदान (ग्रेच्युटी) एवं अधिवर्षिता के रूप में वित्तपोषित किए जाने वाले "परिभाषित कार्मिक लाभ योजना" के अंतर्गत कार्मिक लाभ का विवरण निम्नानुसार है:

पेंशन (₹ '000)

	श्रेणी	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	**लाभ देयता में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ देयता	416,44,75.49	390,71,88.52
	ब्याज लागत	31,35,85.00	28,95,22.67
	वर्तमान सेवा लागत	10,51,98.78	10,56,89.80
	अंतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(48,25,86.95)	(43,25,19.15)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	21,29,45.59	29,45,93.65
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ देयता	431,36,17.92	416,44,75.49
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजनागत परिसंपत्तियाँ	381,57,05.87	361,12,30.94
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	28,73,22.65	26,75,92.21
	योगदान	38,88,00.04	33,79,96.25
	अंतरित परिसंपत्तियां	-	-
	प्रदत्त लाभ	(48,25,86.95)	(43,25,19.15)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	1,46,33.44	3,14,05.62
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	402,38,75.05	381,57,05.87
3	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	431,36,17.92	416,44,75.49
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	402,38,75.05	381,57,05.87
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	28,97,42.87	34,87,69.62
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	वर्तमान सेवा लागत	10,51,98.78	10,56,89.80
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल शामिल)	2,62,62.35	2,19,30.46
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	19,83,12.14	26,31,88.03
	राजस्व खाते में स्वीकृत व्यय	32,97,73.27	39,08,08.29

उपदान (₹ '000)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	**लाभ देयता में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ देयता	40,58,55.39	41,27,38.89
	ब्याज लागत	3,03,98.57	3,02,53.76
	वर्तमान सेवा लागत	84,00.00	79,82.27
	पिछली सेवा लागत – निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(4,12,67.33)	(4,76,90.92)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,75,44.68	25,71.39
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ देयता	42,09,31.31	40,58,55.39
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	39,15,33.81	36,60,55.74
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	2,93,25.88	2,68,31.39
	योगदान	2,44,63.99	4,50,18.40
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(4,12,67.33)	(4,76,90.92)
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,39.45	13,18.70
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	40,42,95.80	39,15,33.81
3	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	42,09,31.31	40,58,55.39
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	40,42,95.80	39,15,33.81
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	1,66,35.51	1,43,21.58
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	वर्तमान सेवा लागत	84,00.00	79,82.27
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल शामिल है)	10,72.69	34,21.67
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,73,05.23	12,52.69
	पिछली सेवा लागत - निहित लाभ		
	राजस्व खाते में स्वीकृत व्यय	2,67,77.92	1,26,56.63
	श्रेणी	**पेंशन**	**उपदान**
5	**मान्यताएँ**		
	छूट के लिए ब्याज दर	7.25% (7.53%)	7.21% (7.49%)
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	7.25% (7.53%)	7.21% (7.49%)

	श्रेणी		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वेतन वृद्धि		7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	कार्मिक पण्यावर्त की दर		0.50%	0.50%
6.	**मूल्यांकन की विधि**	**पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि**		
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर निर्धारित करने हेतु आधार।	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर 'परिसंपत्तियों के वर्तमान पोर्टफोलियो, निवेश रणनीति एवं बाजार परिदृश्य' पर आधारित होते है। पूंजी की सुरक्षा एवं स्वीकार्य जोखिम मापदंडों के भीतर प्रतिफल को अनुकूलित करने के लिए, योजना परिसंपत्तियों को उत्कृष्ट प्रकार से विविधीकृत किया जाता है।		

28. परिचालित पट्टे

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसर एवं आवासीय फ्लैटों के लिए परिचालन पट्टे हैं, जिन्हें आवधिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है एवं एक माह से छह महीने तक की नोटिस अवधि देकर रद्द किया जा सकता है। किराया वृद्धि के प्रावधान अनुबंध दर अनुबंध अलग - अलग होते हैं। परिचालन पट्टों के लिए राजस्व खाते में शामिल किराया व्यय ₹6,28,21.03 हजार (पिछले वर्ष ₹16,52,21.70 हजार) है। लेखा मानक-19 "पट्टों" के अनुसार परिचालन पट्टों के लिए न्यूनतम भावी भुगतान की राशि ₹21,60,56.98 हजार (पिछले वर्ष ₹24,26,86.66 हजार) है।

29. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार:

(क) देय तिथि तक आपूर्तिकर्ता को अदत्त मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज: ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ शून्य)

(ख) विलंबित भुगतान के कारण खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(ग) विलंब की अवधि के लिए नियत तिथि के पश्चात देय मूल राशि एवं ब्याज: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(घ) प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित एवं अदत्त ब्याज राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(ङ) अतिरिक्त ब्याज राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(च) शेष बकाया एवं देय, यहां तक कि आगामी वर्षों में भी उस तिथि तक जब तक कि देय ब्याज वास्तव में एमएसएमई को भुगतान नहीं किया जाता: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

30. पिछले वर्षों (अनुसूची 2) में प्रदत्त दावों की वसूली को कंपनी द्वारा लगातार अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, ऐसी वसूली पर किए गए वसूली कमीशन, बैंक प्रभार आदि जैसे व्ययों को घटाकर शुद्ध रूप में गणना किया गया है, जो कि ₹173,91,36.27 हजार (पिछले वर्ष ₹169,50,60.10 हजार) रहा है।

31. आई आर डी ए आई द्वारा जारी परिपत्र संख्या 067 / आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / एम ए आर -08, दिनांक 28/03/2008 के अनुसार नियामक आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ '000)

क्रम संख्या	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I	आउटसोर्सिंग व्यय	37,15,74.21	40,88,37.81
II	कारोबार विकास	1,86,90.31	1,87,22.39
III	विपणन समर्थन	7,71,99.44	8,67,82.27

32. गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी, संलग्न अनुलग्नक-2 के अनुसार है।

33. जोखिम को बनाए रखने एवं पुनर्बीमा किए जाने की सीमा निम्नानुसार है (आपदा पुनर्बीमा के अतिरिक्त)

	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए प्रीमियम आँकड़े				
वित्तीय वर्ष	**प्रीमियम**	**प्रतिधारण**	**%**	**आर आई सीडिंग**	**%**
2023-24	1270,76,53.05	1179,62,42.91	92.83%	91,14,10.14	7.17%
2022-23	1197,52,85.83	977,67,22.67	81.64%	219,85,63.16	18.36%

34. आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र संख्या-आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / विविध / 282 / 11 / 2020, दिनांक 17/11/2020 के अनुसार पॉलिसीधारकों की अघोषित राशि का अवधि-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-3ए एवं 3बी के अंतर्गत प्रस्तुत है।

35. आई आर डी ए आई के परिपत्र संख्या- 005 / आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / मई-09, दिनांक 7/05/2009 के अनुसार नियामक आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र. सं.	**प्राधिकरण**	**गैर-अनुपालन/ उल्लंघन**	**राशि ₹'000 में**		
			भारित मुआवजा	**प्रदत्त मुआवजा**	**जुर्माने से छूट प्रदान की गई / न्यूनीकृत की गई**
1.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	जी एस टी / सेवा कर प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आयकर प्राधिकारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कोई अन्य कर प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	प्रवर्तन निदेशालय /न्या य निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण अथवा फेमा के अंतर्गत कोई प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कंपनी रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट कार्य विभाग अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा भारित मुआवजा , जिसमें दावा निपटान शामिल है परंतु मुआवजा शामिल नहीं है ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	यह लागू नहीं है क्योंकि कंपनी एक सूचीबद्ध इकाई नहीं है			
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.	कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय शासन / सांविधिक प्राधिकरण	*महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958	4,46.71	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958: स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, द्वारा अपने पत्र, दिनांक 06 जनवरी, 2015 के जरिए परियोजना कौंट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07 अप्रैल, 2012 को किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500/- (सात लाख बीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) के स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने पर ₹4,46,710/- (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र) का मुआवजा भारित किया गया है।

हालाँकि, कंपनी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2015 को मुआवजे से छूट प्रदान के लिए पंजीकरण उप महानिरीक्षक के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया गया था एवं मामले पर शीघ्र निर्णय के लिए संबंधित प्राधिकारी के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान तिथि तक, यह अपील मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी एवं पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकारी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के समक्ष आदेशार्थ लंबित है एवं मामले में सुनवाई की कोई अगली तारीख नियत नहीं की गई है।

36. आय एवं व्यय का आबंटन

निवेश आय एवं व्यय को पॉलिसीधारकों के निधि एवं शेयरधारकों के निधि के प्रारंभिक शेष के आधार पर राजस्व खाते एवं लाभ एवं हानि खाते के मध्य आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाता है एवं इस प्रथा का निरंतर पालन किया गया है। यह आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2013 को जारी मास्टर परिपत्र संख्या- आई आर डी ए / एफ एंड आई / सी आई आर / एफ एंड ए / 231 / 10 / 2012, दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 एवं शुद्धिपत्र -आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / एफ ए / 126 / 07 / 2013 द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण मानदंड के अनुरूप है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी है।

37. निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में कंपनी के प्रति शेयर ₹10 का लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी लेखा मानक नियम 2016 में संशोधन के जरिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित लेखा मानक ए एस-4 तुलन-पत्र तिथि के पश्चात होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं' के अनुसार, कंपनी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते से ₹433,80,00.00 हजार की प्रस्तावित लाभांश राशि को विनियोजित नहीं किया गया है।

38. पिछली अवधि / वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत / पुनः वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान अवधि / वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/अ प्र नि-अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन - 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)
निदेशक
डीआईएन - 03349759

(**हर्षा बंगारी**)
निदेशक
डीआईएन - 01807838

(**अमित कुमार अग्रवाल**)
निदेशक
डीआईएन - 05333909

(**पलानीअप्पन मुथु)**
निदेशक
डीआईएन - 10200176

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार:

कृते केबीडीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 323288E

कृते एम.एल.पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार - एम. संख्या. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार - एम. संख्या. 095584

स्थान: मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

इंसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क)

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

		वर्तमान वर्ष (₹ '000)	पिछला वर्ष (₹ '000)
1	कंपनी की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं		
	क) भारत में	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गइ प्रतिबद्धता (अग्रिमों का निव	87,28,94.39	204,23,49.85
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर		
	क) भारत में	360,07,08.14	516,57,00.38
	ख भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	दावो के प्रति दायित्व जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है,	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	छः महीनों से अधिक के बकाया दावे (सकल - भारतीय)		
	दावों की संख्या	31	27
	राशि	36,31,09.09	99,94,47.82
	छः महीनों से कम से बकाया दावे (सकल - भारतीय)		
	दावों की संख्या	114	183
	राशि	142,61,71.47	342,52,65.93
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय)	145	210
	राशि	178,92,80.56	442,47,13.75
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर		
	भारत में	1179,62,42.91	977,67,22.67
	भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है	589,81,21.46	489,95,21.18
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		वर्तमान वर्ष (₹ '000)	पिछला वर्ष (₹ '000)
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है		
12	निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान	महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें कुछ नहीं	महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें कुछ नहीं
13			
	क) उचित मूल्य परिवर्तन खाते के अंतर्गत सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ और हानि	1541,46,93.55	687,03,74.24
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है	1541,46,93.55	687,03,74.24
14	कंपनी ने "रीयल स्टेट निवेश संपत्ति" में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है		
15			
	क तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं		
	दावों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ख वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं		
	ग		
	1 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) भारत के बाहर	लागू नहीं	लागू नहीं
	2 निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है		
	अर्जक (मानक) निवेश	17575,91,24.60	16156,39,52.48
	अनर्जक निवेश	98,49,81.11	105,46,22.97
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य)	17674,41,05.71	16261,85,75.45
	3 क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है		
	4 5 वर्षों के वित्तीय विवरण का सारांश संलग्न है ।	अनुलग्नक 1ख के अनुसा	नुलग्नक 1ख के अनुसार

		वर्तमान वर्ष (₹ '000)	पिछला वर्ष (₹ '000)	Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक कि उल्लेख नहीं किया गया हो)			
	सकल प्रीमियम	1270,76,53.05	1197,52,85.83	6.12
	शुद्ध प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67	20.66
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम)	92.83	81.64	13.70
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)	65.90	63.65	3.54
	सम्पूर्ण पण्यावर्त पर कर पूर्व लाभ (%)	24.14	27.29	-11.54
	सम्पूर्ण पण्यावर्त पर कर पश्चात लाभ (%)	18.23	21.39	-14.77
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%)	29.68	27.90	6.38
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी	4,85,72.55	4,64,08.25	4.66
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण	589,81,21.46	489,95,21.18	20.38%
	बकाया दावे	4699,74,56.98	5929,31,09.23	-20.74%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण	5289,55,78.44	6419,26,30.41	-17.60%
	शुद्ध प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67	20.66%
	अनुपात	4.48	6.57	-31.71

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख)

(` '000)

		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
	परिचालन परिणाम					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	**1270,76,53.05**	1197,52,85.83	1106,61,67.81	1062,28,19.61	1075,47,39.68
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	**1179,62,42.91**	977,67,22.67	902,00,40.54	862,32,31.91	792,28,95.24
3	निवेशों से आय (शुद्ध)	**459,85,42.33**	556,51,48.48	587,77,84.61	566,17,10.29	507,97,46.56
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ)	**2,39,87.68**	2,05,93.28	3,06,12.44	1,10,74.60	2,04,07.18
5	कुल आय	**1641,87,72.92**	**1536,24,64.43**	**1492,84,37.59**	**1429,60,16.80**	**1302,30,48.98**
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित)	**19,05,47.55**	(4,41,15.93)	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)
7	परिचालन व्यय	**335,42,52.16**	297,82,31.63	281,32,81.11	270,92,57.55	314,08,13.26
8	शुद्ध उपगत दावे	**(974,47,47.18)**	(702,92,04.79)	546,19,29.35	884,52,05.49	958,41,52.78
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन	**(99,86,00.28)**	(38,95,00.91)	(19,84,04.32)	(35,01,68.34)	38,86,55.95
10	परिचालन लाभ / (हानि)	**2162,01,20.11**	**2215,32,52.61**	**684,88,07.20**	**159,09,71.41**	**86,91,07.70**
	गैर परिचालन परिणाम					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय	**696,93,57.90**	545,84,83.73	475,98,36.22	428,99,99.01	313,10,81.51
12	कर पूर्व लाभ / (हानि)	**2858,94,78.01**	2761,17,36.34	1160,86,43.42	588,09,70.42	400,01,89.21
13	कर के लिए प्रावधान	**699,90,13.46**	596,91,97.88	285,70,23.57	127,79,21.46	76,17,91.80
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि)	**2159,04,64.55**	**2164,25,38.46**	**875,16,19.85**	**460,30,48.96**	**323,83,97.41**
	विविध					
15	पॉलिसीधारक खाता*					
	कुल निधियाँ	**6736,59,94.21**	8339,63,97.28	8627,45,43.68	8027,76,02.10	7644,96,74.89
	कुल निवेश #	**6893,02,01.23**	8130,92,87.73	8523,15,27.47	7892,22,17.77	7144,83,19.52
	निवेश पर प्रतिफल	**7.83**	7.81	8.12	8.52	8.29
16	शेयरधारक का खाता' *					
	कुल निधियाँ	**10536,73,24.28**	8339,63,97.28	7058,82,63.01	6056,02,96.32	5312,60,45.27
	कुल निवेश #	**10781,39,04.48**	8130,92,87.73	6973,48,86.11	5953,78,13.41	4965,05,27.13
	निवेश पर प्रतिफल	**7.83**	7.81	8.12	8.52	8.29
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**4338,00,00.00**	4338,00,00.00	3950,00,00.00	3190,00,00.00	2500,00,00.00
18	निवल मालियत	**11841,88,52.13**	10116,63,87.58	7840,88,49.12	6365,22,29.27	5214,91,80.31
19	कुल परिसंपत्तियाँ	**19376,63,97.25**	17884,44,89.05	16929,71,23.07	15303,60,21.60	13422,97,91.57
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल	**7.83**	7.81	8.12	8.52	8.29
21	प्रति शेयर आय (रु)	**49.77**	54.06	25.59	16.01	14.09
22	प्रतिशेयर आंकित मूल्य (रु)	**272.98**	233.21	198.50	199.54	208.60
23	कुल लाभांश	-	433,80,00.00	276,50,00.00	159,50,00.00	-
24	प्रति शेयर लाभांश (रु)	-	10.00	7.00	5.00	-

*** ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं । पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है ।**

 # अनुसूची 11-नकद ब बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावांधे जमाएँ शांमेल हैं ।

इंसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

अनुसूची 17 का संलग्न 2

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु विश्लेषक अनुपात

क्रसं	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	वृद्धि	6.12%	8.22%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	निवल मालियत (समापन)	11841,88,52.13	10116,63,87.58
	अनुपात (गुना)	0.11	0.12
3	निवल मालियत की वृद्धि दर		
	निवल मालियत (प्रारंभिक)	10116,63,87.58	7840,88,49.12
	निवल मालियत (समापन)	11841,88,52.13	10116,63,87.58
	निवल मालियत की वृद्धि दर	17.05%	29.02%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात		
	शुद्ध प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	निवल प्रतिधारण अनुपात	92.83%	81.64%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात		
	शुद्ध कमीशन	19,05,47.55	(4,41,15.93)
	शुद्ध प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात	1.62%	-0.45%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात		
	प्रबंधन व्यय	377,18,52.85	334,15,26.73
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	अनुपात	29.68%	27.90%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात		
	प्रबंधन व्यय	377,18,52.85	334,15,26.73
	शुद्ध लिखित प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात	31.98%	34.18%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे		
	शुद्ध उपगत दावे	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात	-90.25%	-74.88%
9	सम्मिलित अनुपात		
	शुद्ध उपगत दावे	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात (क)	-90.25%	-74.88%
	प्रबंधन व्यय	364,92,23.61	303,82,31.04
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात (ख)	30.94%	31.08%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख)	-59.31%	-43.80%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित	4699,74,56.98	5929,31,09.23
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित	589,81,21.46	489,95,21.18
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित	-	-
	कुल	5289,55,78.44	6419,26,30.41
	शुद्ध प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात (गुना)	4.48	6.57
11	बीमांकन शेष अनुपात		
	बीमांकन लाभ	1697,05,19.24	1656,73,92.85
	शुद्ध प्रीमियम	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात	157.17%	176.49%

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

अनुसूची 17 का संलग्न 2

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु विश्लेषक अनुपात

क्रसं	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
12	परिचालन लाभ अनुपात		
	बीमांकन लाभ	1697,05,19.24	1656,73,92.85
	निवेश आय	462,56,13.19	556,52,66.48
	राजस्व खाते में अन्य आय	2,39,87.68	2,05,93.28
	परिचालन लाभ	2162,01,20.11	2215,32,52.61
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात	200.23%	235.99%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना)		
	चल परिसंपत्तियाँ	2470,19,40.85	2439,69,37.43
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ	5289,55,78.44	6419,26,30.41
	अनुपात (गुना)	0.47	0.38
14	शुद्ध अर्जन अनुपात		
	कर पश्चात लाभ	2159,04,64.55	2164,25,38.46
	शुद्ध प्रीमियम	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात	183.03%	221.37%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति		
	कर पश्चात लाभ	2159,04,64.55	2164,25,38.46
	निवल मालियत	11841,88,52.13	10116,63,87.58
	अनुपात	18.23%	21.39%
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता	11292,75,23.00	9394,14,59.00
	आवश्यक शोधन क्षमता	235,92,48.60	195,98,08.40
	अनुपात(गुना)	47.87	47.93
17	अनर्जक खाता अनुपात		
	निवेश:	0.557%	0.649%
	फ़ैक्टरिंग	76.78%	82.18%

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी , 3 जुलाई को जारी उसके उसके शुद्धि पत्र IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 के आधार पर की गयी है.

(सृष्टिराज अंबष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/अप्रनि-अतिरिक्त प्रभार
DIN - 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)
निदेशक
DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)
निदेशक
DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(पलनीअप्पन मुथु)
निदेशक
DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते केबीसीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 323288E

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार - M.No. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार - M.No. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

इंडीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

31-मार्च-2024 तक पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशि का समय वार विश्लेषण का विवरण

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क
राशि (₹ '000) में

क्रंसं	विवरण	कुल राशि	समय वर विवरण							
			0-6 माह	7-12 माह	13-18 माह	19-24 माह	25-30 माह	31-36 माह	37-120 माह	120 माह से अधिक
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमा किए जाने के कारण को छोडकर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया ।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है	**67,29.05**	**3,00.00**	**8,56.35**	**86.15**	**5.43**	**25.46**	**7,55.41**	**45,06.39**	**1,93.86**
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं ।	**44,35.52**	**2,43.00**	**21.86**	**3,26.95**	**2,92.24**	**11.58**	**3.59**	**34,62.19**	**74.11**
	कुल	**1,11,64.57**	**5,43.00**	**8,78.21**	**4,13.10**	**2,97.67**	**37.04**	**7,59.00**	**79,68.58**	**2,67.97**

नोट उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ।

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2024 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

अशुसूशी 17 का अशुबंश 3
(ख) राशि ₹ '000 में

विवरण	वर्तमान वर्ष (2023-24)		पिछले वर्ष (2022-23)	
	पॉलिसी बकाया	**उपचित आय**	**पॉलिसी बकाया**	**उपचित आय**
आरंभिक शेष	1,40,10.74	43,39.68	1,53,50.33	39,87.39
जोड़ें : अदावित निधि में अंतरित राशि	15,53.01	-	23,85.57	
जोड़ें : अदावित राशि में से जारी चेक , परंतु पॉलिसी धारकों द्वारा अनाहरित (केवल तब ही शामिल किया जाये जब चेकों की अवधि समाप्त हो चुकी हो)	-	-	2,85.64	
जोड़ें : अदावित निधि से अर्जित निवेश आय	-	14,76.94	-	10,99.33
घटाएँ : तिमाही के दौरान अदा किए गए दावे	21,94.74	10.20	26,47.96	7,47.04
घटाए : एस सी डबल्यू एफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में दावों का निवल)	22,04.43	8,40.19	13,62.84	
अदावित निधि की राशि का अंतिम शेष	**1,11,64.57**	**49,66.24**	**1,40,10.74**	**43,39.68**

ईसीजीसी लिमिटेड
सीआइ एन: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता / नकद प्रवाह विवरण - (प्रत्यक्ष विधि)

(₹ '000)

	विवरण	2023-24	2022-23
क	**परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह**		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम	1256,93,35.78	1149,27,30.45
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क	124,43,98.74	167,44,89.29
3	कमीशन एवं दावों के शुद्ध पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान	(34,42,15.25)	(36,26,37.09)
4	दावों का भुगतान	(450,30,54.61)	(763,04,85.84)
5	कमीशन एवं ब्रोकरेज का भुगतान	(25,10,17.94)	(16,77,92.73)
6	अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान	(268,19,55.53)	(236,74,25.24)
7	जमा, अग्रिम एवं कर्मचारी ऋण	11,33,40.92	(46,34,50.71)
8	प्रदत्त आयकर(शुद्ध)	(693,80,70.12)	(615,62,92.18)
9	प्रदत्त जीएसटी	(3,14,87.16)	(4,49,12.13)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (शुद्ध)	(12,45,52.49)	(22,05,47.16)
	असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह	**(94,72,77.66)**	**(424,63,23.34)**
11	**अतिरिक्त साधारण परिचालन से नकदी प्रवाह**	-	-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**(94,72,77.66)**	**(424,63,23.34)**
		-	-
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजी संबन्धित गतिविधि में प्रगति सहित)	(2,42,29.45)	(10,28,07.45)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय	11,60.87	15,79.58
3	निवेश की खरीद एवं बिक्री की शुद्ध राशि	(930,18,77.14)	(1069,94,17.21)
4	प्राप्त किराया / ब्याज / लाभांश	1099,58,37.16	1036,70,58.54
5	मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एवं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश	-	-
6	निवेश से संबंधित व्यय	(24,14.59)	(21,31.43)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	**166,84,76.85**	**(43,57,17.97)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
1	शेयर पूँजी जारी किए जाने से प्राप्ति (प्राप्त अग्रिम सहित)	-	388,00,00.00
2	प्रदत्त ब्याज / लाभांश	(433,80,00.00)	(276,50,00.00)
3	लाभांश वितरण कर	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	**(433,80,00.00)**	**111,50,00.00**
घ	**नकद एवं नकद समकक्ष, शुद्ध पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव**	67.28	(70.97)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ)	**(361,67,33.53)**	**(356,71,12.28)**
च	**नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि:**		
1	-- वर्ष के प्रारम्भ में	**1623,64,39.25**	**1980,35,51.53**
2	-- वर्ष के अंत में	**1261,97,05.72**	**1623,64,39.25**
	नकद एवं नकद समकक्ष में परिवर्तन	**(361,67,33.53)**	**(356,71,12.28)**

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/अप्रनि-अतिरिक्त प्रभार
डी आई एन - 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)
निदेशक
डी आई एन - 03349759

(हर्ष बंगारी)
निदेशक
डी आई एन - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
डी आई एन - 05333909

(पलानीअप्पन मुथु)
निदेशक
डी आई एन - 10200176

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते के बी डी एस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288E

कृते एम.एल.पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार - एम.नं. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार - एम.नं. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

प्रबंधन रिपोर्ट

Management
Report

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 की अनुसूची 'बी' के भाग IV में अपेक्षित प्रबंधन रिपोर्ट

1. हम पुष्टि करते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण, वर्ष के दौरान वैध है। इसे वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकृत किया गया था।
2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों को देय सभी बकाया राशि का विधिवत भुगतान / प्रावधान किया गया है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारिता पैटर्न एवं शेयरों का अंतरण सांविधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों के निधि को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र को तैयार किए जाने की तिथि पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गई है एवं हमारे सर्वोत्तम विश्वास में तुलन पत्र में दर्शित परिसंपत्तियाँ को विभिन्न शीर्षकों - "ऋण", "निवेश", "विविध ऋणी", "नकद" एवं"चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल राशि को उनकी वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं।
7. र्ना टणजय और उद्ध्योग मंतरानय द रा ̒ टनदांक 09.03.2022 को जारी पतर के जररए ₹150000,00,00 हजार की बढ़ी हुई र्अ नटकतम देयता की तुनना में कं नपी का कु न जोर्मि ₹118010,21,63 हजार रुपये है।
8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं है।
9. पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया दावों की अवधि **अनुलग्नक I** के अनुरूप संलग्न है।
10. पिछले पांच वर्षों के दौरान 'औसत दावा निपटान समय' की प्रवृत्ति दर्शाने हेतु दावों की अवधि **अनुलग्नक II** के अनुरूप संलग्न है।
11. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेश का मूल्यांकन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।
12. सभी निवेश परिसंपत्तियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा परिसंपत्तियों को आई आर डी ए आई मानदंडों के आधार पर निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
13. हम पुष्टि करते हैं कि

    क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों, सिद्धांतों एवं नीतियों का अनुपालन किया गया है।

    ख. प्रबंधन द्वारा लेखांकन नीतियों को अपनाया गया है तथा उन्हें आई आर डी ए आई विनियमों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के अतिरिक्त, निरंतर रूप से लागू किया है तथा समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ एवं निवल लाभ के संदर्भ में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

ग. प्रबंधन द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उन्हें चिन्हित किए जाने हेतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण को चालू कारोबार के आधार पर तैयार किया गया है।

ङ. प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है एवं प्रभावी ढंग क्रियाशील है।

14. व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए लेन-देन के अतिरिक्त ऐसी व्यक्तिगत फर्मों, कंपनियों एवं संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें कंपनी के निदेशकों की रुचि है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)
निदेशक
डीआईएन - 03349759

(**हर्षा बंगारी**)
निदेशक
डीआईएन - 01807838

(**अमित कुमार अग्रवाल**)
निदेशक
डीआईएन - 05333909

(**पलानीअप्पन मुथु**)
निदेशक
डीआईएन - 10200176

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

अनुलग्नक I

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिनांक 31 मार्च को बकाया दावे के संदर्भ में अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	सं.	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	No.	शामिल राशि
30 दिन	38	40,45,79.42	67	159,11,26.48	80	111,06,18.22	107	105,22,75.43	102	144,39,15.20
30 दिन से 6 माह	76	102,15,92.05	116	183,41,39.45	149	452,50,16.77	322	514,08,48.88	377	618,84,38.87
6 माह से 1 वर्ष	18	10,51,31.01	22	61,21,75.35	93	239,05,30.53	150	262,34,73.89	200	775,84,21.04
1 वर्ष से 5 वर्ष	13	25,79,78.08	5	38,72,72.47	63	334,26,02.09	111	658,87,57.42	132	1028,84,36.72
5 वर्ष एवं अधिक	-	-	-	-	3	15,28,70.97	-	-	-	-
कुल	145	178,92,80.56	210	442,47,13.75	388	1152,16,38.58	690	1540,53,55.62	811	2567,92,11.83

अनुलग्नक II

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिनांक 31 मार्च को बकाया दावे के संदर्भ में अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि
30 दिन	97	27,80,27.91	62	18,54,25.32	51	11,89,46.04	46	8,29,16.25	41	7,05,56.70
30 दिन से 6 माह	400	356,21,98.49	348	248,27,80.81	329	142,32,75.88	430	257,86,14.47	424	184,52,13.31
6 माह से 1 वर्ष	37	64,61,09.13	103	335,03,34.52	223	258,49,51.22	177	168,36,24.40	77	154,75,50.96
1 वर्ष से 5 वर्ष	4	1,67,19.08	38	161,19,45.19	78	274,48,70.13	81	612,22,50.57	11	62,08,00.65
5 वर्ष एवं अधिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	538	450,30,54.61	551	763,04,85.84	681	687,20,43.27	734	1046,74,05.69	553	408,41,21.62

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

Comments
of
C&AG

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(BIREN D. PARMAR)
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 12.08.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Independent Auditors' Report

के बी डी एस एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी-405, जुपिटर चौथा क्रॉस लेन, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम मुंबई– 400053	**एम. एल. पुरी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार 904, योगा गुलमोहर क्रॉस रोड सं. 12 जुहू सर्कल के पास, जुहू मुंबई- 400049

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमारें द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया गया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान खाता) तथा वित्तीय विवरणों के टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है, जिसमें भारत में स्थित छियालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिफल शामिल हैं, जिनमें से पैंतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं मतानुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938, यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 ("बीमा अधिनियम"), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ("आई आर डी ए आई अधिनियम "), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना एवं लेखा परीक्षक विनियम) विनियम 2002, (आई आर डी ए आई वित्तीय विवरण विनियम), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश / दिशानिर्देश / परिपत्र, लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पढे जाने वाले कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ अन्य प्रचलित लेखा प्रथाएँ एवं पॉलिसियों सहित कंपनी अधिनियम 2013 तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30-09-2021 को जारी परिपत्र संख्या आई आर डी ए आई / एफ एंड ए / परि / विविध / 256 / 09 / 2021 में निर्धारित विनियमों के अनुसार आवश्यक हो एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हों एवं कंपनी के मामलों की स्थिति पर दिनांक 31 मार्च, 2024 को उचित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण उपलब्ध कराने में सक्षम हों, जो संबन्धित हैं :

i. तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति
ii. राजस्व खाते के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष;
iii. लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उस दिन को समाप्त वर्ष के लिए लाभ;
iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान खाते) के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं भुगतान।

राय का आधार

हमारें द्वारा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की गई है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं एवं बनाए गए नियम, बीमा अधिनियम, 1938 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं नियम, के साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं हमारें द्वारा इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया गया है। हम मानते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में एवं उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था एवं हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमारें द्वारा निम्न वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया गया है:

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	**लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया**
निवेश	
निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं आवंटन, राजस्व मान्यता तथा गैर-निष्पादित निवेशों को चिन्हित किया जाना अथवा प्रावधान *(अनुसूची 16 के खण्ड सं. 4 को वित्तीय विवरण की अनुसूची 17 के टिप्पण 25 एवं 26 के साथ पढ़ें)।* निवेश में कंपनी द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड एवं अन्य	आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के परिपत्रों / निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में निवेश से संबन्धित मूल्यांकन, वर्गीकरण, राजस्व चिन्हित किया जाना, गैर-निष्पादित निवेश (एन पी आई) की चिन्हित किया जाना, प्रावधान / मूल्यह्रास से संबंधित मूल्यांकन, वर्गीकरण, राजस्व की गणना के संबंध में आंतरिक नियंत्रण एवं मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। विशेष रूप से:

अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं निवेशों में किया गया निवेश शामिल हैं। कंपनी की कुल संपत्ति में निवेश का अंश 81.90 प्रतिशत है। ये आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के परिपत्रों तथा निर्देशों द्वारा शासित हैं। आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों को चिन्हित किया जाना, आय की तदनुरूपी गैर-मान्यता एवं उनके प्रावधान को शामिल किया गया हैं। सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों एवं ई टी एफ का मूल्यांकन एन एस ई के समापन भाव पर किया जाता है। यदि ऐसी प्रतिभूति एन एस ई पर सूचीबद्ध नहीं है / समापन दिवस पर कारोबार नहीं किया जाता है, तो बी एस ई के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। म्युचुअल फंड का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समापन एन एवी पर किया जाता है, जो हानि परीक्षण के अधीन होता है। सरकारी प्रतिभूतियों एवं प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का आंकलन ऐतिहासिक मूल्य पर किया गया है, जो शेष अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के अधीन है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश एवं विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल जटिलताओं एवं निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों को चिन्हित किया जाना एवं निवेशों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित रही।	- एन पी आई के आवंटन, वर्गीकरण, मूल्यांकन, राजस्व गणना व चिन्हित किया जाना एवं प्रावधान प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना। - आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के विवेकपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में इन निवेशों के उचित मूल्य, मूल्यांकन के विधियों की उपयुक्तता, राजस्व गणना एवं एन पी आई के प्रावधान के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन एवं मूल्यांकन करना। - हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया तथा आर बी आई एवं आई आर डी ए आई परिपत्र / निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया एवं मूल्यांकन के साथ-साथ इन निवेशों के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं राजस्व गणना की मैपिंग की शुद्धता का निर्धारण किया एवं एन पी आई के चिन्हित किए जाने तथा प्रावधान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया।
सूचना प्रौद्योगिकी	
मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) सिस्टम जिसे इंट्रानेट एवं इंटेलेक्ट कहा जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है।	हमने मूल्यांकन किया एवं प्रमुख आई टी अनुप्रयोगों, डेटाबेस एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को चिन्हित किया, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं तथा मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई

बड़ी मात्रा में दैनिक आधार पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेन के कारण कंपनी की परिचालन एवं वित्तीय प्रक्रियाएं आई टी प्रणालियों पर निर्भर हैं एवं इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना जाता है, जिसकी शुद्धता एवं प्रभावशीलता मुख्य रूप से प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्रणालियों जिन्हें इंट्रानेट एवं इंटेलेक्ट कहा जाता है के साथ-साथ अन्य संबद्ध प्रणालियों / पैकेजों पर निर्भर करती है। आय निर्धारण, प्रावधान, फैक्टरिंग, पुनर्बीमा एवं निवेश के संबंध में आई आर डी ए दिशानिर्देशों के अनुरूप ऐसे अन्य वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग के साथ रिकॉर्ड एवं लेनदेन हेतु हमने प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्रणालियों एवं अन्य संबद्ध प्रणालियों / पैकेजों के सुसंगत एवं सटीक कामकाज पर भरोसा किया है।	टी) सिस्टम को चिन्हित किया गया है, जिसे इंट्रानेट एवं इंटेलेक्ट सिस्टम कहा जाता है, जो मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक है। हमारी लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में सामान्य आई टी नियंत्रणों के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता की समझ एवं परीक्षण शामिल है: - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के आई टी नियंत्रण वातावरण, आई टी अवसंरचना अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम एवं डेटाबेस तथा आई टी नीतियों की जानकारी प्राप्त की गई। - कंपनी के सामान्य आई टी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई, जिसमें परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण एप्लिकेशन एवं एक्सेस नियंत्रण शामिल हैं। - आई एस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई एवं प्रमुख आई एस नियंत्रणों के अनुपालन पर आई एस विभाग के साथ चर्चा की गई। - लेखा परीक्षा अवधि के डीएयूआरएएन नमूना जांच के आधार पर डिजाइन एवं संचालन प्रभावशीलता के लिए सामान्य, एप्लिकेशन एवं एक्सेस आईटी नियंत्रणों का परीक्षण करना - - परीक्षण जांच के आधार पर लेखापरीक्षा अवधि के लिए डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता के लिए सामान्य, अनुप्रयोग एवं एक्सैस आई टी नियंत्रण का परीक्षण करें

मामलों पर ध्यानाकर्षण

हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगें:

(क) अनुसूची 17 के नोट 3 (क) के अनुसार जहां उचित प्राधिकारणों के साथ संपत्ति संबंधी पंजीकरण औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं एवं संपत्ति से संबन्धित समझौते गुम हो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्रों के कब्जे में है, जो संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी को निहित करती है।

(ख) अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 (घ) के अनुसार पुनर्बीमा कंपनी से प्राप्य राशि, जो कि जून 2014 से बकाया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त जानकारी एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के पश्चात हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को अध्ययन किए जाने की है तथा ऐसा करने में, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी अथवा हमें प्राप्त जानकारी, कहीं मुख्य विषयों में असंगत तो नहीं है अथवा मुख्य विषयों में अन्यथा तो नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का महत्वपूर्ण विषय पर गलत विवरण है, तो हमें संबन्धित कार्यों के प्रबंधन से जुड़े प्राधिकारियों को इस विषय में सूचना देनी होगी एवं लागू कानूनों व विनियमों के अधीन निर्धारित कार्यवाही करनी होगी।

वित्तीय विवरण पर प्रशासन हेतु प्रभारियों एवं प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के धारा 134 (5) , बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 (बीमा अधिनियम) एवं बीमा विनियामक व विकास अधिनियम 1999 (आई आर डी ए अधिनियम) बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 (आई आर डी ए आई) वित्तीय विवरण विनियमन) कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक लेखा नीति के अनुपालन में कंपनी की उचित एवं सटीक वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह की जानकारी प्रदान करने हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी में कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी हैं।

इन दायित्वों में, बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 व कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को चिन्हित किया जाने व बचाव के लिए बने गए अधिनियम; उचित लेखा नीतियों के चुनाव एवं अनुप्रयोग, निर्णय व अनुमान जो कि सही हों एवं पर्याप्त अन्तरिम वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ताकि सटिक एवं उचित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जा सके एवं धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण बयानों से मुक्त वित्तीय विवरणों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान, प्रबंधन, लाभकारी संस्थान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लेखांकन के आधार पर प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन को रोकने अथवा ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, जैसा भी मामला हो, आवश्यकता होने पर संस्थान से संबन्धित मामलों को प्रकट करने का दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया की निगरानी का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य है कि उचित आश्वासन के साथ, पूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी धोखाधड़ी अथवा चूक से मुक्त रखते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है परंतु यह गारंटी नही है कि एस ए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में त्रुटिपूर्ण जानकारियों को निश्चित रूप से चिन्हित किया जा सके। त्रुटिपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करना किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि का परिणाम हो सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे संदेहजनक माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा परीक्षा का अंश होने के कारण हम सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय को बनाए रखते हैं व व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही हम :

- वित्तीय विवरण के मिथ्या विवरण के जोखिम को चिन्हित किया जाना व मूल्यांकन करना, उन जोखिम के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने एवं निष्पादित करने, एवं हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उचित व पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करते हैं। चूक की अपेक्षा, धोखाधड़ी के कारण प्राप्त होने वाली मिथ्या जानकारी की समय पर चिन्हित नहीं कर पाना, अत्यधिक जोखिम का कार्य है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, त्रुटिपूर्ण बयान एवं आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकते हैं।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम कंपनी में स्थापित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इस प्रकार के नियंत्रण पर प्रभावशील परिचालन पर अपनी राय देने हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

- व्याप्त अनिश्चितता एवं ऐसी घटनाएँ जो कंपनी का लाभकारी संस्थान बने रहने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होने पर प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर एवं लेखांकन को लाभकारी संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण कंपनी एक लाभकारी संस्था के रूप में समाप्त हो सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना व तथ्यों का मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान कर सके।

वित्तीय विवरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से प्रदान की गई हो अथवा समग्र रूप से, के कारण वित्तीय विवरण के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। हम मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों को ध्यान में रखते हुए (i) अपने लेखा परीक्षा के कार्य के सीमाक्षेत्र का निर्धारण एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; एवं (ii) वित्तीय विवरणों में पाए गए त्रुटिपूर्ण विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन हैं।

हम अन्य मामलों एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षो के साथ साथ प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हमने अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते हैं।

हम प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को अपना विवरण भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उल्लेख रहता है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उन सभी संबंधों व अन्य मामलों, जिससे हमारी स्वतन्त्रता प्रभावित हो, एवं जहां भी ऐसा करना आवश्यक हो, के साथ संबन्धित विषय को साझा करने हेतु सुरक्षा उपाय किए हैं।

प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रस्तुत किए गए मामलों में, हम ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले निर्धारित करते हैं जो कि वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा हेतु हैं एवं मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं। हम ऐसे मामले अपनी लेखा परीक्षा में शामिल करते हैं, जब तक कि निर्धारित विधियों अथवा विनियमों द्वारा ऐसे मामलों के प्रकटन कोअवरुद्ध किया गया हो अथवा जब कि, अत्यंत दुर्लभ मामलों में, हम ऐसा पाते हैं कि ये मामले हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए जाएँ क्यूंकि इन्हें शामिल करने से इनसे होने वाले दुष्प्रभाव जनहित से ज्यादा होंगे।

अन्य मामले

(क) हमने, उन छियालीस शाखाओं (गुवाहटी उपशाखा सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरणों की जांच नहीं की है जिनके विवरण 31 मार्च 2024 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी में परिलक्षित रु. 1502,28,78.62 की कुल परिसंपत्तियों तथा सम तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान प्रीमियम के रूप में रु. 1229,48,50.20 के कुल परिचालन राजस्व तथा कुल रु. 441,27,82.42 के प्रदत्त दावों को दर्शाते हुए तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण के रूप में पैंतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है एवं एक शाखा जिसकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है कि प्रबंधन द्वारा इनकी रिपोर्टों को हमें प्रस्तुत किया गया है। हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटन मुख्य रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।

(ख) दिनांक 31 मार्च 2024 को उपगत एवं रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर), उपगत एवं पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन ई आर) एवं प्रीमियम में कमी पर देयता के बीमांकिक मूल्यांकन पर अनुसूची 17 के नोट संख्या 5 (ख) एवं 22 के संबंध में इसका दायित्व कंपनी के नियुक्त बीमांकिक (नियुक्त बीमांकिक) का है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 को उक्त देयताओं आई बी एन आर, आई बी एन ई आर एवं प्रीमियम में कमी को विधिवत प्रमाणित किया गया है एवं उनकी राय में इन मूल्यांकनों के लिए उनके द्वारा लगाए गए अनुमान, आई आर डी ए आ ई एवं आई आर डी ए आई की सहमति से भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं नियमों के अनुसार हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए हमने उक्त विषय पर नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर विश्वास किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हैं।

अन्य कानूनी व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

(क) दिनांक 31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(ख) विनियमों के अधीन आवश्यक अनुसार हमने दिनांक 16 मई 2024 को अलग प्रमाण पत्र जारी करते हुए, आई आर डी ए आई की अनुसूची सी के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित विषयों को प्रमाणित किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143(11) की शर्तों में कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों पर किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध कारवाई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी एवं स्पष्टिकरण प्राप्त किए हैं;

(ख) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक सभी लेखा बहियों की जांच के उपरांत यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है; एवं जांच के पश्चात यह भी पाया गया है कि वे लेखा बहियाँ एवं उचित विवरण (लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित) छियालीस शाखाओं (गुवाहाटी उप कार्यालय सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की गई हैं, जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

(ग) कंपनी की पैतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्ट एवं एक अलेखापरीक्षित शाखा के प्रतिफल हमें भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उन पर उचित रूप से विचार किया है;

(घ) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानी तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) उन शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप है, जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है;

(ङ) हमारी राय में वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते;

(छ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता की जानकारी हेतु हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक क" का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता एवं परिचालन प्रभावशालीता पर स्वतंत्र राय व्यक्त की गई है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में:

i. कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया गया है। कृपया वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद संख्या 20 का संदर्भ लें;

ii. कंपनी द्वारा किए गए डेरिवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानि की संभावना नही हैं;

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में जमा की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुई है;

iv.

(क) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की निधि का किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी इकाइ (यों) में, इस जानकारी के साथ कंपनी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों, जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अंतिम हिताधिकारी (कंपनी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, में अग्रिम तौर पर अथवा ऋण प्रदान अथवा निवेश नहीं किया गया है।

(ख) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी इकाइ (यों) द्वारा इस जानकारी के साथ फंडिंग पार्टी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में फंडिंग पार्टी (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, अग्रिम तौर पर अथवा ऋण के रूप में अथवा निवेश के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) हमारी राय तर्कसंगत एवं उचित परिस्थितियों उपयुक्त समझी जाने वाली लेखा परीक्षा पर आधारित है एवं हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे हमें यह प्रतित हो, कि उक्त उप शर्त (क) एवं (ख) में कोई त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया हो।

v. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा की गई अथवा अदायगी की गई।

vi. हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अपने खाता बही को सुचारु बनाए रखने हेतु निवेश परिचालन के लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर सहित ई आर पी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सहित रिकॉर्ड करने की सुविधा है एवं सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए परिचालन (सक्षम) किया जा रहा है। हालाँकि, कंपनी द्वारा

अपने ई आर पी सॉफ्टवेयर के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम किया गया है।

हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ अतिरेक का कोई उदाहरण मौजूद नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :

क्र. सं.	**निर्देश**	**उत्तर**
1.	क्या कंपनी के पास सू प्रौ प्रणाली के जरिए सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम हैं**?** यदि हाँ**,** तो वित्तीय प्रभावों के साथ- साथ खातों के एकीकरण पर सू प्रौ प्रणाली से बाह्य लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों को**,** यदि कोई हो**,** तो दर्शाएँ।	**i)** कंपनी के पास निम्नलिखित को छोडकर सू प्रौ सिस्टम के जरिए सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली उपलब्ध है**:** • पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य**,** अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास कार्य, फैक्टरिंग एवं 'अभी संसाधित होने वाले' (वाई टी बी पी) दावों के प्रावधान की गणना। हालाँकि मैन्युअल नियंत्रण उपलब्ध हैं**,** परंतु वे पर्याप्त नहीं हो सकते हैं**,** इसलिए पुनर्बीमा, अचल संपत्ति, फैक्टरिंग एवं 'अभी संसाधित होने वाले' (वाई टी बी पी) दावों को भी सिस्टम के जरिए रूट किया जाना आवश्यक है। • निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है एवं निवेश विभाग के मुख्य परीक्षण शेष को सू प्रौ प्रणाली में समेंकन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैनुअल रूप से शामिल किया जाता है। • यद्यपि कंपनी का मुख्य परीक्षण शेष को शामिल करने में नियंत्रण रखा गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नही हैं एवं निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सू प्रौ प्रणाली में विलय किया जाना चाहिए।
2.	क्या किसी वर्तमान ऋण पर कोई पुनर्गठन अथवा ऋण शोधन के लिए कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी	लागू नहीं, क्योंकि कंपनी द्वार किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं किया गया है एवं किसी अन्य

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
	द्वारा प्रदान किए गए ऋण/ ब्याज आदि के छूट/ बही खाते में गणना किए जाने के मामलें हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। क्या इस प्रकार के मामलों को उचित रूप से दर्शाया गया है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तब इस प्रकार के निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होंगे।	कंपनी को किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है।
3.	क्या केंद्रीय / राजस्व एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशी / प्राप्य का उनके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची तैयार करें।	हां, केंद्र सरकार की एजेंसी अर्थात पहली बार एम एस ई निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सी बी एफ टी ई) से प्राप्त धनराशि का उसके नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित गणना/उपयोग किया गया था।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-:

क्र. सं.	अतिरिक्त निर्देश	उत्तर
1.	भौतिक / ड़ीमैट रूप से उपलब्ध सी जी एस / एस जी एस / बोण्ड्स / डिबैंचर आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या, जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शयी राशी से मेल नही खाती हो, का सत्यापन किया जाए तथा यदि कोई विसंगति पाई जाए, तो उसे रिपोर्ट किया जाए।	सी जी एस / एस जी एस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं एवं उनका रिकॉर्ड के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नही पाई गई है। सी जी एस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा ट्रेप्स परिचालनों के लिए सी सी आई एल के पास रखा गया है एवं केन्द्र सरकार की एक प्रतिभूति को नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज के पास इक्विटी परिचालन के लिए मार्जिन की आवश्यकता के रूप में रखा गया है जिसके लिए हमारे द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। बॉन्डस / डिबेंचरों को आई सी आई सी आई बैंक (संरक्षक) के पास डीमेट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नही पाई गई है।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>प्रतिभूति का प्रकार</th><th>डीमेट प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या</th><th>भौतिक प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या</th></tr>
<tr><td>केंद्र सरकार प्रतिभूति</td><td>42</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>राज्य सरकार प्रतिभूति</td><td>517</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>बॉन्ड, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियाँ</td><td>195</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>इक्विटी शेयर</td><td>56</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>क्या निवेश पॉलिसी मौजूद है एवं इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के लिए तंत्र शामिल है एवं क्या स्टॉप लॉस सीमाएं निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन किया गया? यदि अस्तित्व में नहीं है अथवा इसका अनुपालन नहीं किया गया है, तो विवरण प्रदान किया जा सकता है।</td>
<td>कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कंपनी के पास निदेशक मण्डल से अनुमोदित निवेश पॉलिसी, एस ओ पी एवं नीति उपलब्ध है, जिसमें निवेश पोर्टफोलियो के समीक्षा का तंत्र भी शामिल है।
प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड टू मेच्योरिटी)/ ए एफ़ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। तदनुसार, कंपनी के पास हानि को रोकने की पॉलिसी/ हानि को रोकने की सीमा उपलब्ध नहीं हैं।</td>
</tr>
</table>

कृते के बी डी एस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 060030
स्थान : मुंबई
दिनांक : 16/05/2024
यूडीआईएन: 24060030BKENEF5295

कृते एम. एल. पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 095584
स्थान : मुंबई
दिनांक : 16/05/2024
यूडीआईएन: 24095584BKCQOE8930

के बी डी एस एंड कंपनी **सनदी लेखाकार** **बी-405, जुपिटर चौथा क्रॉस लेन,** **लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम** **मुंबई – 400053**	**एम.एल. पुरी एंड कंपनी** **सनदी लेखाकार** **904 योगा, गुलमोहर क्रॉस रोड नंबर 12** **जुहू सर्कल के पास, जुहू** **मुंबई - 400049**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

(दिनांक 16 मई 2024 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अंश बनाने वाले "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा (ख) में संदर्भित)

प्रति,
ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,
अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. यह प्रमाण पत्र ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") मुंबई के दिनांक 31.03.2024 तक के वित्तीय विवरणों के संबंध में विनियमों के विनियम 3 के साथ पढे जाने वाले बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) के विनियमों 2002, के अधीन अनुसूची ग के पैराग्राफ 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

प्रबंधन का दायित्व

2. कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीम कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 ("विनियम") एवं बीम विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश / परिपत्रों, जिसमें लेखा खातों की तैयारी एवं रखरखाव तथा प्रबंधन रिपोर्ट शामिल है, के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। इसमें उपरोक्त उल्लिखित अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आकड़ों को एकत्र करना एवं सत्यापित करना एवं उनकी रूपरेखा का निर्धारण करना, आंतरिक नियंत्रणों को कार्यान्वित करन आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

3. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक आश्वासन प्राप्त कर खातों एवं रिकोर्डों की जांच एवं लेखा परीक्षा के आधार पर राय बनाना कि कंपनी द्वारा विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले विनियमों की अनुसूची ग के पैरा 3 व 4 में उल्लिखित मदों का पूर्ण अनुपालन किय गया है अथवा नहीं।

4. हमारें द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तत्काल समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की गई है एवं हमारें द्वारा दिनांक 16 मई 2024 को हमारी लेखा परीक्ष

रिपोर्ट के जरिए असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की गईं है। हमारें द्वारा लेखा परीक्षा के मानकों एवं भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी अन्य प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार ही इन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा की गई है। उन मानकों के अनुसार ही इस आश्वासन के साथ कि संबन्धित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण तथ्यों की त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति अथवा त्रुटिपूर्ण निष्पादन नहीं किया गया है, के लिए हमारें द्वारा लेखा परीक्षा की योजना बनाएं जाएं एवं उसे कार्यान्वित किया जाएं। हमारें द्वारा हमारी लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन उन संव्यवहारों के लिए नहीं किया गया हैं, जिसमें तृतीय पक्ष का कोई संभावित पक्ष का हित निहित हो।

5. आई सी ए आई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं प्रमाणपत्रों पर दिशानिर्देश टिप्पण के अनुकरण में हमारें द्वारा अपनी जांच पूर्ण की गई हैं। दिशा निर्देशों टिप्पण में यह अनिवार्य होता है कि हमारें द्वारा आई सी ए आई द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आचार नीति का स्वतंत्र रूप से अनुकरण किया जाएं।

6. हमारें द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) – 1 के मानकों की लागू संगत आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया गया है, किसी भी फर्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण वह पद्धति होती है जिसके जरिए लेखा परीक्षा एवं एतिहासिक वित्तीय जानकारी एवं अन्य आश्वासन एवं संबन्धित सेवा सहभागिताओं को पूर्ण किया जाएं।

राय

7. दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमें प्रदान जानकारी एवं स्पष्टिकरणों के आधार पर एवं हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास एवं ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तैयार लेखा खातों एवं अन्य रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि:

    क) हमारें द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की गई एवं हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्टों एवं स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

    ख) प्रबंधन प्रतिवेदनों पर एवं अनुपालन के लिए प्राधिकृत कंपनी के अधिकारियों द्वारा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जो आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित पंजीकरण निबंधनों एवं शर्तों के अनुकरण में नहीं हो।

    ग) हमारें द्वारा नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहां, लेखा परीक्षा संबन्धित शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है एवं संबन्धित नकद शेष का सत्यापन संबन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है तथा उन शाखाओं, जहां की लेखा परीक्षा पूर्ण नहीं की गई हो एवं कंपनी द्वारा किए गए ऋणों व निवेशों की वास्तविक निरीक्षणों अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त संरक्षक एवं / अथवा निक्षेप भागीदार अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र / पुष्टिकरणों के प्रमाणों) को सत्यापित किया गया है।

    घ) हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, बीमा अधिनियम एवं उसके विनियमों के प्रावधानों के अनुकरण पर निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।

ङ) हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कंपनी किसी न्यास की न्यासी नहीं है; एवं

च) कंपनी द्वारा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों एवं पॉलिसी धारकों की निधियों को वर्गीकृत किया है एवं तदनुसार आय को राजस्व खाते व लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1बी) के अनुसार शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों से संबन्धित अलग अलग खाते नहीं हैं एवं शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकोर्डों के अनुसार निधियों के उपयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। लेखा खातों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर एवं उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर हमें ऐसे कोई मामले नहीं दिखे, जहां पॉलिसी धारकों की आस्तियों के किसी भी अंश का, पॉलिसी धारकों की निधियों के उपयोग एवं निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया गया हो।

कृते के बी डी एस एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 323288E (दशरथ कुमार सिंह) भागीदार सदस्यता संख्या 060030 स्थान : मुंबई दिनांक : 16/05/2024 **यूडीआईएन: 24060030BKENEF5295**	**एम.एल. पुरी एंड कंपनी के लिए** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 002312N (राजेश चंद गुप्ता) भागीदार सदस्यता संख्या 095584 स्थान : मुंबई दिनांक : 16/05/2024 **यूडीआईएन: 24095584BKCQOE8930**

के बी डी एस एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी-405, जुपिटर, चौथा क्रॉस लेन, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम मुंबई – 400053	एम. एल. पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 904, योग गुलमोहर क्रॉस रोड नंबर 12 जुहू सर्कल के पास, जुहू मुंबई - 400049

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक-क"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारें द्वारा **ईसीजीसी लिमिटेड** ("कंपनी") के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लेखा परीक्षा की गई है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आई सी ए आई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन टिप्पण के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव, जिसमे अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों को चिन्हित किए जाने एवं रोकथाम करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील, शामिल हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त किया जाना है। हमारें द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण ("दिशानिर्देश लेख") एवं आई सी ए आई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षण जो, कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू एवं आई सी ए आई द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पण की आवश्यकता के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, योजना बनाने एवं तथा इस प्रकार के नियंत्रण सभी तथ्यात्मक रूप से प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं अथवा

नहीं, इस संदर्भ में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा किए जाने की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया एवं बनाए रखा गया था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई तथ्यात्मक कमी तो नहीं है एवं मूल्यांकित जोखिम के आधार पर डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के अनुमानों पर, इस बात पर निर्भर करती हैं कि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल हों।

हम मानते हैं कि हमारें द्वारा जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:-

(1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, ये उचित प्रकार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं निपटान को सटीक तथा निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु दर्ज किया जाता है एवं कंपनी की प्राप्ति तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं एवं;

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के बारे में समय पर चिन्हित किया जाना अथवा रोकथाम, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, पर उचित आश्वासन प्रदान करते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक त्रुटियाँ हो सकती हैं एवं जिन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा यह कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावशीलता पृथक हो सकती है।

अन्य मामले

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रदत्त परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर) एवं प्रदत्त परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) दावों तथा प्रीमियम की न्यूनता के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित है एवं दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। तदनुसार, पूर्व बीमांकिक मूल्यांकन के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मूल्यांकन एवं सटीकता पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय शामिल नहीं है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास तथ्यात्मक रूप से सभी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण, आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से प्रचालित की जा रही थी।

कृते के बी डी एस एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 323288E (दशरथ कुमार सिंह) भागीदार सदस्यता संख्या 060030 स्थान : मुंबई दिनांक : 16/05/2024 **यूडीआईएन: 24060030BKENEF5295**	**कृते एम.एल. पुरी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 002312N (राजेश चंद गुप्ता) भागीदार सदस्यता संख्या 095584 स्थान : मुंबई दिनांक : 16/05/2024 **यूडीआईएन: 24095584BKCQOE8930**

ई सी जी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

ECGC Limited
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069, महाराष्ट्र, भारत
वेबसाइट: www.ecgc.in

Regd. Office: ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, India.
Website: www.ecgc.in

IRDAI Regn. No. 124 | CIN No. U74999MH1957GOI010918 | @ecgclimited

आप निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे. You focus on exports. We cover the risks.